कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 63 अंक : 11 पृष्ठ : 64 सितंबर 2017 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण भारत में
कौशल विकास

लालकिले की प्राचीर से ग्रामीण विकास और किसान कल्याण पर प्रधानमंत्री के उद्‌गार

किसान कल्याण

- मेरे प्यारे देशवासियों, लाल बहादुर शास्त्री ने **जय जवान जय किसान** का मंत्र दिया था। हमारे देश के किसान ने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, रिकॉर्ड फसल उत्पादन आज हमारा किसान करके दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच में नई–नई सिद्धियां वो हासिल कर रहा है।
- हिंदुस्तान में कभी भी सरकार में दाल खरीदने की परंपरा ही नहीं रही है और कभी एक–आध बार किया हो तो हजारों टन के हिसाब से होता था, इस बार जब मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन करके गरीब को पौष्टिक आहार देने का काम किया, तो 16 लाख टन दाल सरकार ने खरीदने का ऐतिहासिक काम करके इस काम को बढ़ावा दिया।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,** एक सुरक्षा कवच मेरे किसान भाईयों को मिला है। तीन साल पहले सिर्फ सवा तीन करोड़ किसान इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो पहले दूसरे नाम से चलती थी, उसका लाभ लेते थे। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतने कम समय में कई नए किसान इसके साथ जुड़ गए हैं और करीब–करीब ये संख्या आगे चलकर पौने छह करोड़ पर पहुंची है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** किसान को अगर पानी मिले तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है और इसलिए किसान को पानी पहुंचाने के लिए मैंने पिछली बार लालकिले से कहा था– उन योजनाओं में से 21 योजना हम पूर्ण कर चुके हैं और बाकी 50 योजनाएं आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएंगी। और कुल 99 योजनाओं का मैंने संकल्प लिया है। 2019 के पहले कुल 99 बड़ी–बड़ी योजनाओं को परिपूर्ण करके, किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम पूर्ण कर देंगे।
- किसान को बीज से बाजार तक, जब तक हम व्यवस्था नहीं देते हैं, हमारे किसान के भाग्य को हम नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए। हर साल लाखों–करोड़ों रुपयों की हमारी सब्जी, हमारे फल, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और इसलिए उसको बदलने के लिए एक तो एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेश निवेश) को बढ़ावा दिया ताकि फूड प्रोसेसिंग के अंदर दुनिया हमारे साथ जुड़े।
- इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने **'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना'** लागू की है। जिसके कारण उन व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान को hand-holding करेंगे, व्यवस्थाएं विकसित करेंगे और हमारे करोड़ों किसानों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाने में हम सफल होंगे।

ग्रामीण विकास

- आज 14 हजार से ज्यादा गांव, जो आज़ादी के बाद भी अंधेरे में पड़े हुए थे, वहां तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है।
- 29 करोड़ गरीबों के जब बैंक अकाउंट्स खुलते हैं; किसान के नौ करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड निकलते है, ढ़ाई करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं–बहन को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलकर के गैस का चूल्हा मिलता है, गरीब आदिवासी का हौंसला बुलंद हो जाता है।
- युवाओं को बिना गारंटी स्वरोजगार के लिए आठ करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति मिली है।
- जन औषधि के द्वारा सस्ती दवाई की दुकान गरीब के लिए एक बहुत बड़ा आर्शीवाद बनी है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग के ये खर्च कम हो और उसके लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।
- अगर आप स्वच्छ भारत में सफल होते हैं तो गरीब का सात हजार रुपये दवाई का बंद होता है। महंगाई पर नियंत्रण आपके बढ़ते हुए खर्च को रोकने में सफल हुआ है; एक प्रकार से आपकी बचत है।
- हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां देश का किसान चिंता मे नहीं चैन से सोएगा। आज वो जितना कमा रहा है, उससे 2022 तक दोगुना कमाएगा।
- हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे, जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा।

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 63★ मासिक अंक : 11★ पृष्ठ : 64 ★ भाद्रपद–आश्विन 1939★ सितंबर 2017

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

रिकल इंडिया : चुनौतियां, उपलब्धियां और भावी संभावनाएं — डॉ. के.पी. कृष्णन, डॉ. दिव्या नाम्बियार — 5

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति का अवलोकन — ए. श्रीजा — 10

नए ग्रामीण भारत के निर्माण में कौशल विकास का योगदान — आलोक कुमार — 14

ग्रामीण भारत में कौशल विकास का लक्ष्य — सिद्धार्थ झा — 18

कौशल विकास को रोजगार से जोड़ना जरूरी — हरिकिशन शर्मा — 22

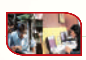
ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास: आवश्यकता और प्रयास — गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन' — 26

कौशल विकास और उद्यमिता पर प्रधानमंत्री के विचार — --- — 32

संकल्प से सिद्धि

'मन की बात' : प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन (मुख्य अंश 30 जुलाई, 2017) — --- — 33

समावेशी विकास के लिए जरूरी है कौशल विकास — डॉ. संजीव कुमार — 35

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अवलोकन — किशोर कुमार मालवीय — 38

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त

बुनकरों के कल्याण को प्राथमिकता — --- — 43

कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएं — डॉ. सीमा — 44

खुले में शौच से आज़ादी सप्ताह (9 से 14 अगस्त 2017)

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण - 2017 — --- — 48

'स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि' — --- — 51

संकल्प से सिद्धि :नए भारत का संकल्प

भारत छोड़ो आंदोलन का वर्तमान संदर्भ — दीपांकर श्रीज्ञान — 53

भारत छोड़ो आंदोलन इतिहास के झरोखे से — श्री प्रकाश सिंह — 57

एक नए भारत के निर्माण का आह्वान — पवन कुमार शर्मा — 60

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से एक नया भारत बनाने का आह्वान किया। यह नया भारत सवा सौ करोड़ भारतीयों के सम्मिलित प्रयास से ही बन सकता है। लेकिन फिर भी इसमें भारत के युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। युवा ही किसी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। देश और समाज को नई दिशा देने का जज़्बा उनमें होता है। भारत तो इस विषय में और भी धनी है। हमारी 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है तथा भारत में युवाओं का प्रतिशत किसी भी समकक्ष देश से ज्यादा है।

लेकिन ये युवा स्वयं ही राष्ट्र निर्माण के स्रोत नहीं बन जाएंगे। उसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। हमें हर युवा को कौशल प्रदान करना होगा ताकि वह अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग कर सकें। केवल हाथों के श्रम से ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क से भी नव राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

इसी तथ्य को पहचानते हुए, वर्तमान सरकार कौशल विकास पर विशेष बल दे रही है। 2015 में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और गत दो वर्षों में इसने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत में सही ढंग से कौशल विकास न हो पाने के पीछे एक बड़ी समस्या यह थी कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों ने अपने क्षेत्र के लिए अलग–अलग कौशल योजनाएं चला रखी थीं, और उनमें आपस में तालमेल भी नहीं था। नवंबर, 2014 में नया केंद्रीय मंत्रालय– कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) बनाने के पीछे सरकार का यही विचार था। अपनी स्थापना से लेकर अब तक मंत्रालय ने देश में स्किलिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कौशल विकास की सबसे अधिक आवश्यकता आज ग्रामीण भारत को है क्योंकि वहां युवाओं को आसानी से प्रशिक्षण सुविधाएं हासिल नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार नें कई नई पहल की हैं जैसे– दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), आजीविका आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करना है, ताकि वे समाज में अपनी सकारात्मक भागीदारी कर सकें।

युवाओं के अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र महिला प्रशिक्षण का है। अध्ययन बताते हैं कि यदि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए, तो भारत की जीडीपी में 27 प्रतिशत तक की आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये भागीदारी भी बिना उचित कौशल प्रशिक्षण के संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंडअप इंडिया और डीडीयू–जीकेवाई जैसे कार्यक्रम 'स्वयंसहायता समूहों' के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रशिक्षण पा लेने के बाद व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार हासिल करने की होती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। अतः सरकार ने पीएमकेवीवाई को प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई अहम बदलाव भी किए हैं। जैसे हर पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र पर आधार– बायोमेट्रिक्स और सीसीटीवी से निगरानी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षकों के स्टैंडर्ड को पुनर्निधारित किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षणदाता केंद्रों के लिए प्रशिक्षण उपरांत 'रोजगार मेला' लगवाने का प्रावधान है। निश्चय ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में महती भूमिका अदा करेगी। इसका मूल चरित्र आज़ाद भारत के संस्कार पुरुष महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप है। गांधी जी ने हुनरमंद होने की पुरजोर पैरवी की थी। उनका अपना काम खुद करने पर सर्वाधिक विश्वास था।

युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बना देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हमें उसकी क्षमता बढ़ाने की ओर इस प्रकार कार्य करना होगा कि वह रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बने। अतः केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर देने के साथ स्वावलंबन के लिए आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम 'संकल्प' की शुरुआत की गई है। इसके तहत साढ़े तीन करोड़ युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय वित्तीय प्रावधान के तहत स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम 'स्ट्राइव' के अगले चरण पर मौजूदा वित्त वर्ष में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं।

युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने और रोजगार प्रदाता बनाने के लिए उनमें उद्यमिता का भाव पैदा करना जरूरी है। यहां स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों का महत्व सामने आता है। इनके अलावा 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहल हैं जिनके जरिए भारत वैश्विक बाजार में स्वयं को एक ब्रांड के रूप मे पेश कर रहा है। लेकिन हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि हमारे पास स्किल, रि–स्किल और अप–स्किल अपनाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। इन्हें अपनाकर ही हम विश्व में नवाचार के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते है और एक नये भारत का निर्माण कर सकते हैं।

स्किल इंडिया : चुनौतियां, उपलब्धियां और भावी संभावनाएं

–डॉ. के.पी. कृष्णन
–डॉ. दिव्या नाम्बियार

भारत उद्यमिता के सामान्य 'नवाचार' और 'जुगाड़' मॉडलों से आगे बढ़ते हुए औपचारिक उद्यमिता की ओर अग्रसर हुआ है। आधार, विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन सहित हाल में सामने आए नियामक सुधारों का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में रूपांतरित करना है ताकि भारत के उद्यमी, बड़े और लघु, दोनों ही देश के आर्थिक मार्ग में योगदान कर सकें।

भूमिका : कौशल संबंधी चुनौतियां

विभिन्न प्रकार के कौशल आधुनिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संचालक हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का लक्ष्य व्यक्तियों की रोजगार सक्षमता में वृद्धि करना है। कौशल संबंधी बदलती जरूरतों, नई प्रौद्योगिकियों और नए तरह के रोजगारों ने कौशल प्रशिक्षण का महत्व उजागर किया है और यह जीवन पर्यंत प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया बनता जा रहा है।

कई घटकों ने मिलकर कौशल विकास को भारत के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता बना दिया है। इसकी शुरुआत जनसांख्यिकीय कारणों से होती है। भारत जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने की दहलीज पर है। अगले दशक में भारत की जनसंख्या में 15–59 की आयु समूह के लोगों की ''प्रधानता'' होगी। 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष होगी। इसकी तुलना में अमरीका में यह 40 वर्ष, यूरोप में 46 वर्ष और जापान में 47 वर्ष होगी। भारत की युवा आबादी की क्षमता का दोहन करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। परंतु भारत की प्रशिक्षण क्षमता सीमित है। सही संख्या के बारे में हालांकि कोई मतैक्य नहीं है, फिर भी अनुमान है कि हर वर्ष करीब 50 लाख युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण वातावरण की रीढ़ समझे जाने वाले भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की वर्तमान वार्षिक क्षमता केवल 25 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने की है। इसलिए, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता और आकार बढ़ाना भारत के लिए एक तात्कालिक नीति प्राथमिकता है।

मांग पक्ष पर विचार करें, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल अंतराल के बारे में कराए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 2022 तक 24 उच्च विकास क्षेत्रों के लिए सतत वृद्धिमान 10.9 करोड़ मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए, उद्योग जगत में प्रशिक्षित कार्मिकों की मांग को देखते हुए यह जरूरी है कि प्रशिक्षण उच्च क्वालिटी का हो और उद्योग की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हो।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मुद्दे के साथ ही रोजगार सक्षमता का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षित कार्मिकों की रोजगार सक्षमता सुनिश्चित करने का एक तरीका यह है कि उद्योगों के साथ संबंध सुदृढ़ किया जाए या बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुता कार्यक्रम अपनाए जाएं। परंतु भारत में यह तथ्य है कि 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और रोजगार खोजना कठिन कार्य है। अतः भारत के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य न

"मैं राष्ट्र का आह्वान करता हूं कि वे भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प लें।"

श्री नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

केवल युवाओं में बाजार अनुकूल कौशल पैदा करना है, बल्कि उन्हें रोजगार सक्षम भी बनाना है। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को स्वरोजगार सक्षम अथवा उद्यम शुरू करने में सक्षम भी बनाना होगा।

सरकार और निजी क्षेत्र में उसके भागीदारों और उद्योग द्वारा कौशल प्रशिक्षण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिर भी युवाओं में यह कोई प्रेरक करियर नहीं बन पा रहा है। इसे मेन स्ट्रीम करियर विकल्प समझने की बजाए दोयम दर्जे का विकल्प समझा जाता है। औपचारिक शिक्षा आज भी युवाओं के लिए शीर्ष पसंद बनी हुई है। यह पक्षपात नियोक्ताओं में भी देखा जा रहा है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी कार्मिकों की तुलना में भर्ती के स्तर पर इंजीनियरों को उच्चतर वेतन प्रदान करते हैं। अतः क्षमता, गुणवत्ता और रोजगार सक्षमता के मुद्दों के साथ ही इन धारणात्मक घटकों का समाधान करने की भी आवश्यकता है कि संभावित प्रशिक्षार्थियों और नियोक्ताओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण के प्रति क्या नजरिया अपनाया जा रहा है।

इन चुनौतियों से उत्पन्न जटिलता भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण वातावरण (जैसे सूचना असंतुलन, कौशल संतुलन में कमी, कौशल प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र के निवेश में कमी और नैतिक जोखिम) से सम्बद्ध अनेक बाजार विफलताओं के साथ जुड़कर इस बात की प्रबल आवश्यकता को उजागर करती है कि इस क्षेत्र में सरकार हस्तक्षेप करे। परंतु, सरकारी कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था भी अत्यंत विखंडित थी। उदाहरण के लिए 2014 के प्रारंभ में 20 केंद्रीय मंत्रालय अनेक तरह के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे थे, जिनकी मानदंड, मानक और प्रमाणन प्रणालियां अलग–अलग थीं। कौशल संबंधी इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए नीतिगत सामंजस्य और सुदृढ़ कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना की तत्काल आवश्यकता थी।

इन विविध चुनौतियों के समाधान के लिए नवंबर, 2014 में भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस मंत्रालय को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता (जिन्हें पहली बार पूरक गतिविधियां समझा गया) की जिम्मेदारी सौंपी गई। परिणामस्वरूप मंत्रालय का लक्ष्य भारत के युवाओं को दिहाड़ी रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक नाना भांति के आजीविका मार्गों तक पहुंच कायम करने में सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना था।

इस प्रकार एमएसडीई कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में उभरा। अन्य मंत्रालयों में इन विषयों का संचालन करने वाले महत्वपूर्ण संस्थानों को एमएसडीई के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। उदाहरण के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), जो भारत सरकार का प्रमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग था और औपचारिक रूप से श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता था, को अप्रैल, 2015 में एमएसडीई के तहत लाया गया। डीजीटी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और आईटीआई (जो 1–2 वर्ष अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हैं) के नेटवर्क के जरिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण की देखरेख करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी, जिसकी स्थापना सरकारी–निजी हिस्सेदारी के रूप में की गई थी ताकि कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रेरित की जा सके), जैसी अन्य संस्थाएं भी मंत्रालय के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण घटक बन गईं। एनएसडीसी ने निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को धन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ताकि वे अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर सकें। एनएसडीसी मंत्रालय के प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अथवा पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन और निगरानी में भी मंत्रालय की सहायता करता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (जो प्रशिक्षण मानकों को नियमित बनाती है और गुणवत्ता आश्वासन संबंधी कार्य करती है), को भी मंत्रालय के अधीन लाया गया।

पिछले दो से ढाई साल के बीच एमएसडीई ने अनेक नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सुदृढ़ कौशल प्रशिक्षण प्रणाली कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय

- राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015, जिसमें स्किल इंडिया के लिए अति महत्वपूर्ण विज़न की रूपरेखा तैयार की गई है;
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2015, जो स्किल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करता है;
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समान मानदंड;
- प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है ताकि उद्योगों को प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए उत्साहित किया जा सके।

ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि ऊपर वर्णित कौशल संबंधी चुनौतियों के समाधान में ये नीतिगत उपाय कितने सार्थक हैं? अभी तक क्या हासिल किया जा सका है?

कौशल संबंधी चुनौतियों का समाधान

एमएसडीई के नीतिगत उपाय एक सुदृढ़ कार्यक्रम कार्यान्वयन में रूपांतरित हुए हैं, जो स्किल संबंधी चार प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं, अर्थात् स्केल (यानी पैमाना), क्वालिटी (गुणवत्ता), एम्प्लायबिलिटी (रोजगार सक्षमता) और एसपीरेशंस (महत्वाकांक्षाएं)। इस खंड के अंतर्गत इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में मंत्रालय की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का सारांश दिया गया है।

☞ दीर्घावधि और अल्पावधि कौशल प्रणालियों में हासिल की गई उपलब्धियां

कुल मिलाकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दीर्घावधि प्रशिक्षणों के लिए मई, 2014–मई, 2017 की अवधि में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। मई, 2014 में ये संस्थान 10,750 थे, जो मई, 2017 में बढ़कर 13,353 हो गए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की कुल संख्या में 44 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो मई, 2014 में 19.82 लाख थीं, वे मई, 2017 में बढ़कर 28.52 लाख हो गईं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के दाखिलों में भी 26 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वर्ष 2013–14 में विद्यार्थियों की संख्या 17.80 लाख थी, जो 2016–17 में बढ़कर 22.4 लाख हो गई।

एनएसडीसी के जरिए अल्पावधि शुल्क आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी इजाफा हुआ है। मई, 2014 से मई, 2017 के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में 85.9 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2013–14 से 2016–17 के बीच प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भी भारी इजाफा (71 प्रतिशत) हुआ। इसी अवधि में रोजगार प्राप्ति की दर में भी सुधार हुआ। शुल्क–आधारित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों में से 65 प्रतिशत और पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों के मामले में 12 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला।

☞ गुणवत्ता में वृद्धि

प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि कौशल प्रशिक्षण प्रणालियों में अनेक उपाय किए गए। इनमें निम्नांकित शामिल हैं :

ग्रेडिंग : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक सुदृढ़ ग्रेडिंग प्रणाली (43 ग्रेडिंग मानदंडों पर आधारित) शुरू की गई है, ताकि बेहतर निष्पादन करने वाले और निष्पादन न करने वाले संस्थानों के बीच अंतर किया जा सके। ग्रेडिंग मानदंड में प्रशिक्षण परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, उद्योग से संबंध आदि को शामिल किया गया है। पहली बार अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रणाली में भी एक ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है। इसे नवस्थापित कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन (स्मॉर्ट) पोर्टल के जरिए कार्यरूप दिया जाएगा।

प्रत्यायन और सम्बद्धता मानदंड को सुदृढ़ करना: पहली दफा आईटीआई प्रत्यायन और सम्बद्धता संबंधी व्यापक मानदंड बनाए गए और जारी किए गए।

व्यापक पाठ्यक्रम सुधार : उद्योग के साथ सक्रिय सलाह–मशविरा करके 63 पाठ्यक्रमों को अपग्रेड किया गया है। 35 नए ट्रेड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किए गए, ताकि उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, मैकट्रोनिक्स, और इंस्ट्रूमेंटेशन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भविष्य में मांग बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार अल्पावधि प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत 405 पाठ्यक्रमों के लिए नोडल कार्यक्रम और 252 पाठ्यक्रमों के लिए विषयवस्तु को मानकीकृत किया गया है।

☞ रोजगार सक्षमता में सुधार (उद्योग के साथ संपर्क कायम करते हुए)

कौशल प्रशिक्षण चक्र के प्रत्येक स्तर पर उद्योग के साथ संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले युवा रोजगार सक्षम बनें और इस सक्षमता को जारी रख सकें। इस क्षेत्र में एमएसडीई के उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :

प्रशिक्षुता सुधार : सांविधिक–स्तर पर प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 (22 दिसंबर, 2014 से प्रभावित) के अंतर्गत व्यापक सुधार शुरू किए गए हैं। प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं :

- प्रशिक्षुता के लिए ऊपरी सीमा बढ़ा कर 10 प्रतिशत की गई।
- वैकल्पिक व्यापार मार्ग शुरू करना।
- प्रशिक्षुता के दायरे का विस्तार करते हुए सेवा क्षेत्र को उसमें शामिल करना।
- नियोक्ताओं के लिए दंड संबंधी नियमों को युक्तिसंगत बनाना।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन कार्यक्रम (एनएपीएस) : यह एक नया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुता को प्रेरित करना है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- प्रशिक्षुओं को अपने संस्थानों में शामिल करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना;
- ऑनलाइन और पारदर्शी प्रचालन प्रणाली;
- अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकरण;
- बेहतर संचार और आउटरीच कार्यनीति;

एनएपीएस ने प्रशिक्षुता प्रोत्साहन की दिशा में उद्योग और प्रशिक्षार्थियों की रुचि बढ़ाने में प्रेरक भूमिका निभाई है।

☞ कौशल प्रशिक्षण को युवाओं में लोकप्रिय बनाना

मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण को युवाओं के बीच लोकप्रिय करियर विकल्प बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके लिए दो कार्यनीतियां अपनाई गई हैं।

प्रथम कार्यनीति के अंतर्गत सांस्कृतिक मानसिकता के

भारतीय कौशल विकास सेवा

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) की स्थापना की है। इस संदर्भ में 4 जनवरी, 2017 को अधिसूचना जारी की गई। इस सेवा को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए गठित किया गया है। समूह 'क' श्रेणी में एक औपचारिक सेवा के गठन के उद्देश्य की पहल लगभग दो वर्ष पूर्व की गई थी, जब इस मंत्रालय का गठन किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अक्तूबर, 2015 को इसके गठन को अपनी स्वीकृति दे दी थी। इस सेवा की अधिसूचना के साथ देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के साथ कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के भी मजबूत और आधुनिक होने की उम्मीद है।

आईएसडीएस एक समूह 'क' सेवा होगी जिसमें यूपीएससी के द्वारा आयोजित कराई गई भारतीय अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होगी। यह युवा और प्रतिभाशाली प्रशासकों को कौशल विकास की दिशा में आकर्षित करने का एक प्रयास है। चयनित अभियंताओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान कौशल विकास के साथ–साथ योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार की पहल को नया प्रोत्साहन एवं उत्साह देगा और आने वाले वर्षों में मंत्रालय प्रशिक्षित कुशल प्रशासकों के कार्यबल के निर्माण में सक्षम होगा, जिनके माध्यम से कुशल युवाओं की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रशासित प्रशिक्षण भारतीयों को कौशलयुक्त बनाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौशल विकास को इस आशा के साथ प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है कि कौशल भारत अभियान न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर भी व्यापक मानव संसाधन की आपूर्ति करेगा। 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कुशल बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कौशल प्रशिक्षण को युवाओं में सामान्य विकल्प की बजाए एक जागयक होकर चुना गया विकल्प बनाने पर बल देती है। इसके अंतर्गत कौशल प्रतिस्पर्धा, रोजगार मेले, एकीकरण शिविर आयोजित करना, पुरस्कार प्रदान करना आदि शामिल हैं। नए प्रशिक्षण उपायों को युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मंत्रालय के इंडिया इंटरनेशनल स्किल्स सेंटर प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे युवाओं को वैश्विक मानदंड के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो विदेश में जाकर काम करने के इच्छुक हों। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र (पीएमकेके) कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श, प्रेरक, अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है ताकि देशभर में युवाओं को उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके।

दूसरी कार्यनीति के अंतर्गत औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा धाराओं के बीच लम्बवत और समानंतर प्रगतिशील मार्ग (समान फ्रेमवर्कों के लिए) निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा धाराओं को जोड़ा जा सकेगा, जिससे युवाओं के लिए व्यवसाय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

उद्यमशीलता को औपचारिक रूप देना

भारत की उद्यमिता की भावना विश्व–विख्यात है और इसके दो महत्वपूर्ण रूप हैं। पहला यह है कि उद्यमिता एक ऐसा पहलू है, जो जरूरत से उत्पन्न हुआ है और उसने सामान्य नवाचार का रूप ले लिया है। इस तरह की उद्यमिता अक्सर असंगठित क्षेत्र में दिखाई देती है। यह क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था के 93 प्रतिशत हिस्से को अपने में समाए हुए है। दूसरी उद्यमिता उच्च प्रौद्योगिकी स्टार्टअप से उभरी है, जो प्रमुख चुनौतियों का समाधान तलाश करने के लिए तकनीकी नवाचार विकसित करती हैं। ये स्टार्टअप औपचारिक रूप से पंजीकृत उद्यमी हैं और बंगलौर तथा हैदराबाद स्थित क्लस्टरों में तेजी से बढ़ रहे हैं।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत उद्यमिता के सामान्य 'नवाचार' और 'जुगाड़' मॉडलों से आगे बढ़ते हुए औपचारिक उद्यमिता की ओर अग्रसर हुआ है। आधार, विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन सहित हाल में सामने आए नियामक सुधारों का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में रूपांतरित करना है, ताकि भारत के उद्यमी, बड़े और लघु, दोनों ही देश के आर्थिक मार्ग में योगदान कर सकें। अनौपचारिक क्षेत्र में नव–उद्यमियों को सक्रिय सहायता प्रदान करते हुए उद्यमिता को औपचारिक बनाना और संगठित क्षेत्र में उनके प्रवेश में मदद करना उद्यमिता क्षेत्र में एमएसडीई के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

एमएसडीई के उद्यमिता विकास कार्यक्रम, **प्रधानमंत्री युवा योजना** का उद्देश्य उभरते हुए उद्यमियों, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके लिए कई घटक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे आसान ऋण की व्यवस्था करना, सगर्भता (इन्क्यूबेशन) सहायता और संरक्षण प्रदान करना, ताकि वे औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने में सक्षम हो सकें। सरकार का लक्ष्य व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसीज़) के माध्यम से 5 वर्षों में 3050 प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचना है। इन संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। यह कार्यक्रम सूचीबद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शक सहायता प्रदान करता है।

भावी संभावनाएं : भावी कार्यस्थलों के लिए तैयार करना

उद्योग की मांग गतिशील है, इसलिए एमएसडीई का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि युवा न केवल वर्तमान रोजगारों के

लिए कौशलयुक्त हों, बल्कि भावी रोजगारों के लिए भी उन्हें तैयार किया जा सके।

उद्योग – विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र परिवर्तन की दहलीज पर है, जिसकी परिणति एक नए औद्योगिक पैराडाइम के रूप में सामने आई है, जिसे इंडस्ट्री 4.0 के रूप में जाना जाता है। इंडस्ट्री 4.0 हमारी समझ में विनिर्माण जैसे गौण क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का इंटरसेक्शन और अनुप्रयोग है। विनिर्माण में विभिन्न क्षेत्र (विशेष रूप से ऑटोमोटिव क्षेत्र) प्रोसेस ऑटोमेशन, सिक्स सिग्मा जैसी पद्धतियों के इस्तेमाल और आपूर्ति चेन प्रबंधन द्वारा संचालित सक्षमताओं के इस्तेमाल के जरिए परंपरागत रूप में तीव्र आधुनिकीकरण की राह पर हैं। अन्य क्षेत्र, जैसे टेक्सटाइल विनिर्माण, एसएमईज़, और नए और उभरते हुए क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन आदि ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। नई विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियां नए तरह के काम बढ़ा रही हैं और नए तरह के लचीले रोजगार प्रदान कर रही हैं। शैक्षिक, औद्योगिक और नीतिगत क्षेत्रों में एक नई बहस इस बात से संबंधित है कि ऑटोमेशन और औद्योगिक रूपांतरण का भारत में रोजगार और कौशल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में कार्यस्थलों के लिए किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता पड़ेगी? हम अपने युवाओं को इन परिवर्तनों के प्रति कैसे संभावनाशील और अनुकूल बना सकते हैं। हम किस प्रकार जीवन–पर्यंत प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और पुनः कौशल अर्जन का मार्ग अपना सकते हैं, जो हमारी कौशल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय अनेक विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन प्रश्नों के ठोस समाधान तलाश किए जा सकें।

(डॉ. के.पी. कृष्णन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव और डॉ. दिव्या नाम्बियार वरिष्ठ परामर्शदाता हैं।)
ई–मेल : secymsde@nic.in

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयः प्रमुख उपलब्धियां

- 1.17 करोड़ से अधिक लोगों को मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।
- 26.5 लाख उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं।
- 4.82 लाख से अधिक लोगों को पहले से प्राप्त ज्ञान को मान्यता देने वाले पीएमकेवीवाई के कार्यक्रम के जरिए संगठित क्षेत्र में लाया गया (13,000 रबर टैपर, 250 से अधिक रेल कुली और राष्ट्रपति भवन के 1,500 कर्मचारी)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से मिले कौशल को मान्यता दी जाती है और युवाओं को प्रमाणपत्र दिया जाता है।
- 480 से अधिक प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की घोषणा की गई है, जो कौशल प्रदान करने वाले आदर्श केंद्र होंगे और आसानी से कौशल प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में होंगे। 162 केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
- 5 लाख सीटों वाले 1,381 से अधिक नए आईटीआई खोले जा चुके हैं और आईटीआई की पूरी व्यवस्था में नई जान तथा ऊर्जा फूंकी गई है।
- एनएसडीसी की अल्पकालिक कौशल व्यवस्था आरंभ होने के बाद से उसके अंतर्गत एक करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रधानमंत्री युवा योजना का लक्ष्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और अगले 5 वर्ष में 14.5 लाख से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने चालक प्रशिक्षण संस्थान भी आरंभ किए, 2017 के अंत तक 50 और संस्थान खोले जाएंगे।
- जम्मू–कश्मीर में उड़ान और पूर्वोत्तर में अन्य विशेष योजनाओं ने उन केंद्रित क्षेत्रों में युवाओं के लिए विकास एवं अवसरों के रास्ते तैयार किए हैं।
- 4 नए एटीआई को आईटीई सिंगापुर की तर्ज पर बनाए गए भारतीय कौशल संस्थानों में बदल दिया गया है।
- एमएसडीई का जोर आधार के साथ जोड़कर, निगरानी मजबूत कर तथा पाठ्यक्रम बेहतर कर कौशलों में गुणवत्ता पर अधिक से अधिक ध्यान देने पर है। उसे विश्व बैंक की 'स्ट्राइव' और 'संकल्प' जैसी योजनाओं का भी सहयोग मिल रहा है।
- एमएसडीई ने एक समान नियमों, राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप और आईटीआई के आईएसओ प्रमाणन के जरिए सभी को एक साथ ला दिया है।
- 'स्किल इंडिया' सभी कार्यक्रमों विशेषकर दिव्यांगों के कार्यक्रमों में समावेश और विविधता को बढ़ावा देता है।
- भारत ने दुनिया भर में आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौशल के कार्यक्रम में 11 देशों के साथ साझेदारी की है।
- सभी राष्ट्रीय अभियानों को कौशल संबंधी सहयोग मिलता है और 20 में से 18 मंत्रालयों के साथ साझेदारी की गई है।
- एमएसडीई को स्कूलों/विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे तथा कौशल शिक्षा पर राज्यों से भी सहयोग मिलता है।
- एमएसडीई ने प्रशिक्षुता, सीएसआर, बुनियादी ढांचे तथा भर्ती में साझेदारी के जरिए उद्योग के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किए हैं। 6 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न एनएपीएस के अंतर्गत लगाया गया है।
- एमएसडीई ने आईटीआई छात्रों से शैक्षिक समानता के लिए सेतु पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है।
- स्किल इंडिया ने अपने तकनीकी उपयोगों के जरिए प्रक्रियाओं में व्यवस्था का प्रबंधन आसान बना दिया है।
- एमएसडीई ने सशस्त्र बलों (नौसेना, सेना, वायुसेना), सीआरपीएफ जवानों आदि के साथ विशेष कौशल विकास परियोजनाएं चलाई हैं।

एमएसडीई ने मनाई कौशल भारत मिशन की दूसरी वर्षगांठ

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 15 जुलाई, 2017 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल भारत मिशन की दूसरी सालगिरह मनाई। इस अवसर पर 100 जीएसटी प्रशिक्षण केंद्रों, 51 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों, 100 योग प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया गया। कौशल भारत मिशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दिमागी उपज है। उनकी उपस्थिति में एमएसडीई ने 15 जुलाई, 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल इंडिया अभियान शुरू किया था। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, और श्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थे।

इस अवसर पर एमएसडीई के राज्यमंत्री ने कहा, 'स्किल इंडिया' हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है और यह दो साल का सफर बेहद शानदार रहा है। भारत पिछले 5000 वर्षों से एक कारीगर–आधारित अर्थव्यवस्था रहा है जो निरंतर उनकी आजीविका का भी साधन रहा है। हमारे पास हमेशा बुनकर, कुम्हार, धातुकर्म, किसान, माली आदि रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश शासन में देश ने 'शासकों की कला' सीख ली। हमें अब अपनी जड़ों में वापस जाने की जरूरत है, हमें अपनी जड़ों में वापस जाना होगा और हमारे प्राकृतिक कौशल की खोज करनी होगी जो हमे हमारी वर्कलाइफ में और अधिक सक्षम बनाएगा। हम सभी जानते हैं कि 'एप्लाइड नॉलेज' सीखने के लिए सबसे प्रासांगिक ज्ञान है।

इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपति और कंपनियों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए और 32000 से अधिक कंपनियों ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत कौशल भारत मिशन के प्रशिक्षु प्रशिक्षण को समर्थन दिया। एमएसडीई ने BFSI सेक्टर में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) की शुरुआत की भी घोषणा की।

स्किल इंडिया मिशन के तहत एमएसडीई द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री और कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा, 'यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम इंडस्ट्री के कप्तानों को शपथ लेते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के तहत सभी कार्यक्रमों में मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा 'पूर्व सीखे को मान्यता देना' (आरपीएल) जिसने लोगों को बड़े स्तर पर मान्यता और सम्मान दिलाया है। और संगठित क्षेत्र में उनकी वापसी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि एमएसडीई अपने उद्योग के फायदे के लिए कौशल केंद्रो से जीएसटी प्रैक्टिशनर हायर करे।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता और शहरी विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'इस समय देश में कौशल भारत किसी भी अन्य राष्ट्रीय मिशन की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है खासतौर से जब हमारे देश के ग्रामीण इलाकों को मजबूत करने की बात आती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2019 तक एक करोड़ घर बनाना अनिवार्य है; यह एक सक्षम और कुशल कार्यबल के बिना संभव नहीं होगा।

15 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल भारत मिशन के दूसरे जयंती समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती, श्री जे.पी. नड्डा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी,श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजीव प्रताप रुडी और अन्य गणमान्य व्यक्ति।

कौशल मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र में क्रांति ला दी है और उनके सराहनीय प्रयास दिखाई दे रहे हैं। हमारे ग्रामीण कार्यबल को गांवों में कौशल प्रशिक्षण मशीनरी के सहयोग से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपनी फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जीएसटी प्रेक्टिशनरों के प्रमाणीकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। देश में नई कर व्यवस्था को निर्बाध और सुविधाजनक बनाने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मदद करेगी।

पूरे देश में जीएसटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ 100 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। पूरे देश में हर जिले में एक पीएमकेके केंद्र खोले जाने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत देश में 51 और प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इस समय देश में कुल 200 पीएमकेके केंद्र खोले जा चुके हैं। एमएसडीई ने 100 योग प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अल्पकालिक/पूर्व प्रशिक्षण मान्यता प्रमाणपत्र (आरपीएल) भी वितरित किए गए। विश्व में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के माहौल से तारतम्य रखने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर ने आईटीआई के लिए नए मान्यता और संबद्धता दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने तक्षशिला पोर्टल भी शुरू किया। यह पोर्टल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण चक्र को रैंक करेगा और भारतीय कौशल इको–सिस्टम में उनकी गुणवत्ता बेंचमार्क के विकास से संबंधित सूचनाओं के 'केंद्रीय भंडार' के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति का अवलोकन

–ए. श्रीजा

भारत की आबादी का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग से है, इसलिए कौशल विकास पर जोर और भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 को इस तरह बनाया गया है कि देश में कौशल प्रदान करने के लिए चल रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं और उन्हें समान मानकों के अनुरूप ढाल दिया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहे।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2009 में घोषित की गई यह पिछली राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का ही नया रूप है। पहली राष्ट्रीय कौशल नीति में राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने का विचार था और यह प्रावधान था कि पांच वर्ष के बाद नीति की समीक्षा की जाएगी ताकि उसके ढांचे को श्रम बाजार के बदलते तौर–तरीकों के अनुरूप बदला जा सके। उस संदर्भ में मौजूदा नीति की रूपरेखा अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें युवाओं के कौशल में वेतन वाले रोजगार के अनुरूप विकास, उद्यमशीलता का ध्यान रखा गया है और पहले सीखे हुए ज्ञान को मान्यता भी दी जाती है। राष्ट्रीय कौशल नीति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया की युवा आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा भारत में ही रहता है। भारत की कुल आबादी में 15 से 34 वर्ष आयु वर्ग वाले युवाओं की हिस्सेदारी 2011 में 34.8 प्रतिशत थी, जो 2030 में 31.8 प्रतिशत अर्थात 49 करोड़ होने का अनुमान है। इसीलिए युवाओं को अपनी आजीविका प्राप्त करने लायक शक्ति प्रदान करने का जिम्मा देश का है ताकि भारत अपनी आबादी में युवाओं की अधिक संख्या को देश की आर्थिक संपन्नता में तब्दील कर सके। भारत की आबादी का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग से है, इसलिए कौशल विकास पर जोर और भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 को इस तरह बनाया गया है कि देश में कौशल प्रदान करने के लिए चल रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं और उन्हें समान मानकों के अनुरूप ढाल दिया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में भी उनकी प्रासांगिकता बनी रहे।

नीति का उद्देश्य

विशाल श्रम बल को कुशल बनाने की चुनौती के अनुरूप ही नीति का लक्ष्य तेजी से बड़े स्तर पर कौशल प्रदान करना और कौशल की गुणवत्ता बरकरार रखना है ताकि यह टिकाऊ बना रहे। नीति के उद्देश्य हैं: (अ) युवाओं के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण की आकांक्षा उत्पन्न करना, (आ) कुशल कार्यबल को आगे की वृद्धि के लिए सभी प्रकार के साधन प्रदान करना और कौशल प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा के साथ सुगम तरीके से मिलाना, (इ) कौशल प्रदान कर युवाओं की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करना, (ई) प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षकों की क्षमता तथा गुणवत्ता बढ़ाना, (उ) उद्योगों के क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार कुशल कर्मचारियों की आपूर्ति सुनिश्चित कर उद्योग को मानव संसाधन प्रदान करना, (ऊ) कुशल कार्यबल की मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा एक स्थान पर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सूचना प्रणाली तैयार करना ताकि मांग के अनुरूप आपूर्ति में मदद मिल सके, (ए) कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप बनाने के लिए मानक ऊंचे करना।

नीतिगत रणनीति

कौशल विकास पर नीति का ढांचा नीति में बताए गए कौशल

के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ग्यारह प्रमुख घटकों और कारकों को दर्शाता है। ये हैं; आकांक्षा एवं समर्थन, क्षमता, गुणवत्ता, साथ कार्य करना, संगठन करना और साथ जोड़ना, महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक साझेदारी, पहुंच, आईसीटी से योग्य बनाना, प्रशिक्षक, आकलनकर्ता एवं समावेशन।

नीति की रूपरेखा में एकदम सही कहा गया है कि उद्यमिता को विस्तार देने के लिए संस्कृति, वित्त, विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे, कौशल एवं कारोबार के अनुकूल नियमों का प्रोत्साहक वातावरण होना चाहिए। उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला वातावरण तैयार करने के लिए नीति का ढांचा निम्न रणनीति की बात कहता है – पूरे भारत में संभावित और आरंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षा एवं कौशल प्रदान किया जाए, उद्यमियों को अन्य उद्यमियों, मार्गदर्शकों और बढ़ावा देने वालों से मिलाया जाए; उद्यमिता केंद्रों (ई–हब) के जरिए उद्यमियों की मदद की जाए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति में बदलाव को प्रोत्साहित किया जाए, प्रतिनिधित्व से वंचित समूहों में उद्यमिता आरंभ की जाए, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, कारोबारी सुगमता में वृद्धि की जाए, धन की उपलब्धता बढ़ाई जाए, सामाजिक उद्यमिता और जनसाधारण में नई पहलों को मजबूत किया जाए।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति स्त्री–पुरुष भेद, सामाजिक एवं वर्ग विभेद दूर कर सबको साथ लाने की बात कहती है, जिसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक रूप से पिछड़े एवं वंचित तथा हाशिये के वर्गों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग आदि) की कौशल संबंधी नीतियों को समुचित रूप से पूरा किया जाए। उद्यमिता के मोर्चे पर नीति नई पहलों पर आधारित तथा सामाजिक उद्यमिता को मजबूत करने की बात कहती है ताकि एकदम निचले–स्तर की जनता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और सामाजिक तथा भौगोलिक रूप से सुविधाहीन वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर उद्यमिता संबंधी आपूर्ति का आधार बढ़ाया जाए। कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए नीति ऐसे क्षेत्रों में नए आईटीआई खोलने की बात कहती है, जहां अभी तक उनकी मौजूदगी नहीं है। सभी प्रकार के कौशलों के लिए दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने तथा उनमें एकरूपता लाने के लिए नीति यह भी कहती है कि कौशल प्रशिक्षण समेत सभी प्रकार की औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा को दिसंबर, 2018 तक राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप ढलना होगा। एनएसक्यूएफ को अपनाने से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों अथवा युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के भीतर मनचाहे तरीके से आगे बढ़ने के लिए और व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण में से किसी में भी आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के रास्ते मिल जाएंगे। एनएसक्यूएफ से असंगठित क्षेत्र में पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता भी मिलती है और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपने कौशल बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा शिक्षा के औपचारिक दायरे में आने का मौका भी मिल जाता है।

नीति का क्रियान्वयन

इस समय 22 अलग–अलग केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की गई 40 से अधिक कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, जो बुनियादी एवं उद्योग विशेष के अनुरूप कौशल प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2015–16 में इन योजनाओं के जरिए 104.16 लाख लोगों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत 6 जुलाई, 2017 तक कुल 30.67 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया था अथवा किया जा रहा था। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 2.9 लाख उम्मीदवारों को रोजगार मिल चुका है। कौशल प्रशिक्षण का कार्य केंद्र, राज्य, नागरिक समाज और कॉरपोरेट क्षेत्र में फैला हुआ है। अनुमानों के अनुसार 2015 से 2022 के बीच देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें से 30 करोड़ का कौशल बढ़ाना था अथवा दोबारा प्रदान करना था और जिन बाकी 10 करोड़ को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, वे श्रम बाजार में नया प्रवेश करने वाले थे। ग्रामीण युवाओं की कौशल संबंधी आवश्यकताओं की अलग से पूर्ति करने के लिए रोजगार नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) है, जिसने 2016–17 में 1,62,586 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया और उनमें से 84,900 को रोजगार प्राप्त हो गया।

सरकार द्वारा 2014 में आरंभ किए गए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को स्किल इंडिया मिशन के साथ जोड़ दिया गया है ताकि विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग वाले क्षेत्रों जैसे वाहन एवं वाहन पुर्जे, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा विनिर्माण, इलैक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा आदि के लिए कुशल मानव बल की आवश्यकता पूरी की जा सके। इससे मेक इन इंडिया के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं को कुशल, बेहद कुशल तथा पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान कर पूरी होने वाली आवश्यकताओं की श्रेणी में बांटना आवश्यक हो जाता है। कौशल का परिदृश्य सुधारने के लक्ष्य वाले कार्यक्रम जैसे पीएमकेवीवाई, संकल्प, स्ट्राइव, शिल्पकार प्रशिक्षण कुशल मानव बल के लिए मेक इन इंडिया के उद्योगों से आने वाली मांग पूरा करने लायक वातावरण तैयार करने में भी सहायक होंगे।

कौशल का पैमाना और गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कौशला प्रशिक्षण उसे ग्रहण करने वाले क्षेत्र के सबसे नजदीक प्रदान किया जाए और वहां से इसे देश के सुदूर क्षेत्रों में फैलाया जाए। इसके लिए नीति विद्यालयों, उच्च्य शिक्षण संस्थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, कृषि विज्ञान केंद्रों, दुकानों आदि में उपलब्ध बुनियादी

ढांचे/खाली स्थान का उपयोग करने की बात कहती है क्योंकि काम के घंटे खत्म होने के बाद उनका उपयोग बुनियादी कौशल शिक्षा एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

नीति स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वालों, किशोरियों, गृहिणियों तथा ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार/आजीविका के अवसरों में कौशल प्रशिक्षण जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पंचायत–स्तर पर कौशलवर्धन केंद्र खोले जाने की बात भी कहती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) भी निजी प्रशिक्षण साझेदारों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों समेत पूरे देश में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

प्रशिक्षण क्षमता सुधारने के लिए नए आईटीआई भी खोले जा रहे हैं और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए आईएसओ 29990 प्रमाणन मानक लागू किए गए हैं। उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण व्यवस्था के तहत आने वाले पाठ्यक्रमों को भी एनएसक्यूएफ के अनुरूप ढाला गया है। दोहरे प्रशिक्षण की व्यवस्था आरंभ की गई है। जुलाई, 2016 में विश्व युवा कौशल दिवस पर आईटीआई से 23300 युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए और 18,000 से अधिक को रोजगार के प्रस्ताव मिले।

एनएसक्यूएफ के अनुपालन की बात करें तो पिछले दो वर्षों में एनएसडीसी और आईटीआई के तंत्र को एनएसक्यूएफ के अनुरूप बनाया गया है। 2016 में आरंभ की गई राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले कुल वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा सरकार चुकाती है, जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु होता है और बुनियादी प्रशिक्षण में आने वाले खर्च में भी अधिकतम 7,500 रुपये प्रति प्रशिक्षु तक का योगदान करती है।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना भी है, जो स्कूलों तथा कॉलेजों में प्रशिक्षुता शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करती है, अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स तथा अटल इनक्यूबेशन सेंटरों के जरिए स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, स्टार्टअप इंडिया कारोबारी सुगमता प्रदान करता है और नए स्टार्टअप उद्यमों को एकल खिड़की मंजूरी दिलाता है, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी अथवा मुद्रा एवं एस्पायर (अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड आन्त्रप्रेयरशिप) ग्रामीणों तथा सामाजिक रूप से सुविधाहीन समूहों के बीच उद्यमिता की प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं। स्टार्टअप की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया एस्पायरेशन फंड है, जो स्टार्टअप के लिए विराट कोष को मजबूत करता है।

कौशल के क्षेत्र में चुनौतियां

किंतु इन प्रयासों के बाद भी कौशल के तंत्र में निम्नलिखित चुनौतियां हैः (1) कौशल विकास के संबंध में धारणा अब भी यही है कि कौशल की आवश्यकता स्कूल या कॉलेज की शिक्षा बीच में ही छोड़ने वालों या छोटे–मोटे काम करने वालों को होती है, (2) कौशल विकास योजनाओं के लिए एक समान नियम बना लिए गए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालयों में साधारण कौशल कार्यक्रमों को एकसार बनाने में अब भी समस्या हैं, (3) राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा को दिसंबर, 2018 तक लागू कर देना है, लेकिन अभी तक कई प्रमाणन संस्थाएं काम कर रही हैं, (4) प्रशिक्षित/अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी, (5) कुशल प्रशिक्षुओं की आकांक्षाओं और उद्योग की आवश्यकताओं में अब तक मेल नहीं है, (6) प्रशिक्षु प्रशिक्षण को उद्योग विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की इकाइयों के अनुरूप बनाना अभी बाकी, (7) गैर–कृषि कार्यों की ओर बढ़ते रुझान वाले ग्रामीण इलाकों में कौशल प्रशिक्षण काम के साथ–साथ प्रशिक्षण के रूप में है, (8) चमक खोते दस्तकारी एवं हथकरघा क्षेत्रों में ग्रामीण बुनकरों और शिल्पकारों के कौशल का उन्नयन करने की और उनके कौशलों को आरपीएल के अंतर्गत प्रमाणित कराए जाने की आवश्यकता है, (9) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता में कौशल प्रशिक्षण/शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है और अंत में (10) समूचे कौशल तंत्र में कुशल प्रशिक्षुओं के नियोजन अर्थात रोजगार के बारे में जानकारी का प्रसार बहुत कम है।

उपाय

कौशल विकास में 'ऊपर से नीचे' (टॉप डाउन) के तरीके की समीक्षा होनी चाहिए। राज्य सरकारों को अपने राज्य के अनुरूप ऐसी योजना बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसे केंद्रीय राशि के जरिए क्रियान्वित किया जा सकता हो। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और क्लाउड कम्प्यूटिंग आने के बाद काम करने का तरीका तेजी से बदलता जा रहा है, इसीलिए कौशल कार्यक्रम में दोबारा कौशल प्रदान करने और कौशल के उन्नयन पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकतर कार्यबल आरंभिक आयु वर्ग में है। एनएसक्यूएफ के अनुपालन में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र में कार्यबल के बड़े अनुपात को पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता प्राप्त करने और अपना कौशल बेहतर करने में मदद मिल सके। आईटीआई पाठ्यक्रम को अद्यतन करने, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए तकनीकी जानकारी को बढ़ाने, प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए कार्यस्थल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उद्योग का अनुपालन और बढ़ाया जाना चाहिए तथा विनिर्माण के साथ सेवा क्षेत्र को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। समर्थन, बाजार और ऋण की उपलब्धता तथा कारोबार करने में सुगमता के जरिए वेतनभोगी रोजगार के बजाय उद्यमिता के प्रति ललक जगाई जानी चाहिए।

(लेखिका नीति आयोग में कौशल विकास एवं रोजगार की निदेशक हैं।)
ई–मेल : srija.a@gov.in

नए ग्रामीण भारत के निर्माण में कौशल विकास का योगदान

–आलोक कुमार

रोजगार प्राप्ति की दिशा में कौशल विकास परियोजनाओं की सफलता इतिहास रच सकती है। कौशल विकास के जरिए कम पढ़े–लिखे लोगों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। केंद्र सरकार का ध्येय 2022 तक देश के 40 करोड़ युवकों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना है। सरकार युवाओं को रोजगार संपन्न बनाने के लिए तीन स्तरों पर काम कर रही है। पहला, स्किल इंडिया; दूसरा, स्टार्टअप इंडिया और तीसरा, मेक इन इंडिया। इन तीनों को मुकाम हासिल करने के लिए अभी मीलों सफर तय करना है। सरकार ने बेरोजगारी से मुकाबिल होने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया को गति देने का फैसला लिया है। इसके तहत यूनिक बिजनेस आइडिया वाले बिजनेस पर 55 फीसदी तक सरकारी मदद मुहैया कराए जाने की बात है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सम्यक विकास के लिए गांव का सुदृढ़ और सक्षम होना जरूरी है। गांव में हर हाथ को काम और मेहनत का समुचित लाभ मिले तो ही नए भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो सकता है। लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नए इंडिया के निर्माण का आह्वान किया है। इसके लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ बनाने की बात की गई है। हर फसल तक पानी की बूंद को पहुंचाने की योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

सिंचाई के अलावा गांवों तक रोजगार पहुंचाना वक्त की मांग है ताकि नौकरी के लिए पलायन कम हो। बेरोजगारों का स्थानीय–स्तर पर नियोजन संभव हो सके। सरकार युवाओं को रोजगार संपन्न बनाने के लिए तीन स्तरों पर काम कर रही है। पहला, **स्किल इंडिया** दूसरा, **स्टार्टअप इंडिया** और तीसरा, **मेक इन इंडिया**। इन तीनों को मुकाम हासिल करने के लिए अभी मीलों सफर तय करना है।

रोजगार प्राप्ति की दिशा में कौशल विकास परियोजनाओं की सफलता इतिहास रच सकती है। किसी भी विकसित देश का अवलंब उसके वर्कफोर्स पर निर्भर होता है। भारत में महज दो से तीन फीसदी लोगों का ही वर्कफोर्स है जबकि जापान में 15 फीसती तो चीन में तीस फीसदी लोग वर्कफोर्स बनाकर विकास के इंजन को चला रहे हैं। सक्षम राष्ट्र बनने के लिए वर्कफोर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। अगर आबादी कौशल संपन्न हो जाती है, तो अधिक आबादी का होना हमारे लिए वरदान बन सकता है जबकि मौजूदा स्थिति इसके विपरीत है।

कौशल विकास के जरिए कम पढ़े–लिखे लोगों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। कौशल एवं उद्यमिता विकास राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रुढ़ी के मुताबिक ग्रामीणों को रोजगार बाजार के लिए तैयार करने की महती योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि देश के चार सौ संसदीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की शुरुआत हो रही है। तकरीबन ढाई सौ पीएमकेके का उद्घाटन हो चुका है। इन केंद्रों को प्राइवेट पार्टनरशिप में सौ फीसदी सरकारी अनुदान से चलाया जाना है। इसमें पलम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल मैकानिक से लेकर ब्यूटिशियन तक का प्रशिक्षण होना है। कौशल विकास मंत्रालय पीएमकेके के साथ आवासीय सुविधा को जोड़ने पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए सरकार की मंशा है कि एक करोड़ गरीब परिवारों को

नीति आयोग ला रहा है "मेंटॉर इंडिया" अभियान

नीति आयोग ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को साथ लेने का रणनीतिक राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम मेंटॉर इंडिया अभियान आरंभ करेगा, जो अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्थापित की गई 900 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब में छात्रों को मार्गदर्शन एवं परामर्श दे सकें। अटल टिंकरिंग लैब समर्पित कार्यस्थल हैं, जहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र नवाचार संबंधी कौशल सीखते हैं और ऐसे विचार विकसित करते हैं, जो भारत का कायाकल्प कर देंगे। इन प्रयोगशालाओं में छात्रों को अत्याधुनिक उपकरणों जैसे 3डी प्रिंटर, रोबोटिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास उपकरण, रोजमर्रा के उपकरणों में इंटरनेट और सेंसर आदि से परिचित कराने की सुविधा उपलब्ध है।

मेंटॉर इंडिया का उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब्स के प्रभाव को अधिकाधिक करना है, जो दुनिया भर में औपचारिक शिक्षा में संभवतः सबसे अधिक उथलपुथल मचा सकते हैं। इसमें ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को साथ लेने का विचार है, जो छात्रों को तैयार करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इन प्रयोगशालाओं में किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाएगा और मेंटॉर यानी मार्गदर्शक भी निर्देश देने के बजाय सक्षम बनाने में मदद करेंगे। नीति आयोग ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को तलाश रहा है, जो ऐसी एक या अधिक प्रयोगशालाओं में हफ्ते में एक से दो घंटे बिता सकें ताकि छात्रों को डिजाइन और कंप्यूटर से संबंधित भावी कौशलों का अनुभव करने, सीखने और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता मिल सके।

नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में शुमार है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना और देशभर में टिंकरिंग लैब खोलना है। मिशन ने देशभर में ऐसी 900 से अधिक प्रयोगशालाएं खोल दी हैं अथवा खोल रहा है और 2017 के अंत तक ऐसी 2,000 प्रयोगशालाएं खोलने का उसका लक्ष्य है।

इस बार गरीबी–रेखा से बाहर किया जा सके। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रुढ़ी के मुताबिक देश में एंट्री लेवल पर रोजगार की कोई कमी नहीं है। जितने भी कलकारखाने, कॉलोनियां और नए बढ़ते बाजार हैं, उनको चलाने के लिए कर्मचारियों की जरुरत है। पहले यह जरूरत बिना किसी प्रशिक्षित कर्मचारी के पूरी होती रही हैं। अब कौशल विकास के प्रशिक्षण की ओर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास के फलीभूत होते ही नियोक्ताओं को प्रशिक्षित आया, राजमिस्त्री, पलम्बर, इलैक्ट्रिशियन, सफाईकर्मी, हेल्थवर्कर आदि सुगमता से मिल जाया करेंगे। अभी एंट्री लेबल पर रोजगार पाने वालों को काम बताने और सिखाने में नियोक्ता को काफी माथापच्ची करना होता है।

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक देश के 50 करोड़ युवकों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना है। इसके लिए पंचायत–स्तर तक डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास केंद्रों की पहुंच बनाने पर काम चल रहा है। गांवों में रोजगार की एक बयार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से आई थी। उसके जरिए 'हर हाथ को काम और हर जेब तक धन' पहुंचाने का प्रयास हुआ। समाजशास्त्रियों का आकलन है कि यूपीए सरकार ने मनरेगा की सफलता का प्रभावी प्रचार किया और उसी की वजह से यूपीए की सरकार दोबारा बन पाई। कालांतर में यह प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। अकार्य और धन के बंदरबांट वाले भ्रष्टाचार ने मनरेगा को आलोचना का पात्र बना दिया। शिद्दत से महसूस किया गया कि आम भारतीयों में विधिवत कौशल विकसित किए बिना बात बनने वाली नहीं है।

देश के कुछ गांवों और केरल के इलाकों को गुलजार करने में विदेश पहुंच गए भारतीयों ने अहम भूमिका अदा की है। विदेश नौकरी करने गए भारतीय मूल के लोगों की सफलता का आलम लाजवाब है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां के रोजगार बाजार में दस हजार से ज्यादा भारतीयों की खपत नहीं हो। गुजरात आदि राज्यों के उद्यमियों ने तो दो–ढाई सौ बरसों से विदेशों में उद्यमिता का डंका बजा रखा है। खेती और मजदूरी की औसत नौकरियों के लिए उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों के जमाने से गिरमिटिया मजदूर बेयर द्वीपों पर ले जाकर बसाए जाते रहे हैं। लेकिन बीती शताब्दी के आखिरी दशक में आई सॉफ्टवेयर क्रांति ने तो भारतीय टेक्नोक्रेट के जलवे बिखेर दिए। विकसित देशों की ज्यादातर कंपनियां भारतीय ब्रेन की मुरीद हैं। पढ़े–लिखे रोजगारों के बीच समस्या कम पढ़े–लिखे लोगों के नियोजन की है। ये कम पढ़े–लिखे अथवा ड्रॉप आउट भारतीय जब विदेशी रोजगार बाजार में पहुंचते हैं, तो कई मुसीबतों से दो–चार होना पड़ता है।

लेकिन बिना कौशल विकास के विदेश की धरती पर पहुंच गए कई भारतीयों के साथ ग्लानिपूर्ण व्यवहार और व्याभिचार की शिकायतें आम होने लगीं। इसलिए शिद्दत से महसूस किया गया कि कौशल विकास के कार्यक्रम को गति दी जाए। विदेश की धरती पर कदम रखने से पहले आम भारतीय किसी न किसी कौशल में निपुण हो, उससे उनके लिए रोजगार तलाश का काम आसान हो जाए। इस दिशा में कौशल विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच काम चल रहा है। **वीजा हासिल करने वालों को शॉर्ट टर्म कौशल रोजगार प्रशिक्षण देकर भेजने की दिशा में काम चल रहा है।**

देश में बेरोजगार बहुसंख्यक हैं। इसलिए रोजगार के लिए विदेशों की ओर मुखातिब होना पड़ता है। गांवों में नौकरी वाले अल्पसंख्यकों की तादाद कम है। वहां बेरोजगार ही बहुतायत में हैं। गिने–चुने परिजनों की छोटी नौकरी परिवार और समाज चलाने का दायित्व है। नौकरी प्राप्त अल्पसंख्यकों की अनुपातिक आबादी तेजी से कम हो रही है। ऐसे में न्यू इंडिया की परिकल्पना को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन के क्षेत्र में द्रूतगामी सफलता की जरूरत है। नौकरी पा लेना या फिर मंदी के दौर में बचा लेना इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का एक निवारण कौशल विकास है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में एकरूपता और गुणवत्ता पर जोर

कई स्तर पर बिखरे कौशल विकास कार्यक्रमों को केंद्रीकृत तरीके से चलाने की पहल हो रही है। इसके लिए आईआईटी और पॉलिटेक्निक जैसे तकनीकी संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी परिषद से निकाल कौशल विकास मंत्रालय के तहत ले आया गया है। कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रुढ़ी के मुताबिक कौशल विकास मंत्रालय के आकार में आने से पहले तक देश भर में 35 हजार से ज्यादा संस्थाएं, एनजीओ आदि कौशल विकास का काम कर रहे थे लेकिन उनमें एकरुपता नहीं थी और गुणवत्ता का घोर अभाव था। शॉर्ट टर्म कोर्स के बजाय बेरोजगारों को लंबे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। उन सबको एकरूप करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2 अक्तूबर, 2016 को नए सिरे से लांच किया गया।

पाठ्यक्रम की एकरूपता के साथ प्रशिक्षण केंद्रों के मानक तय किए गए। उपस्थिति की अनिवार्यता के लिए सीसीटीवी और आधार–आधारित मेट्रिक्स से जोड़ा गया। प्रशिक्षित ट्रेनर को रखने का विधान आया। प्रशिक्षण केंद्र विश्व मानक पर खरे उतरें, इस दिशा में सफाई और पर्यावरण फ्रेंडली माहौल बनाए रखने पर जोर दिया गया। भारतीयों में कौशल की दक्षता के जरिए सरकार की कोशिश रोजगार बाजार में आने वाले युवकों में गुणवत्ता इन तैयारियों के दीगर है कि घोषणाओं और दावों के बावजूद कौशल विकास केंद्र के परवान चढ़ने का काम सरकार से निजी क्षेत्र के आपसी अनुबंध (एमओयू) स्तर पर ही सिमट कर रह गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) द्वितीय में अहर्ताओं को पूरा करने वाले हजारों केंद्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण के काम का शुरू होना लालफीताशाही के भेंट चढ़ा है।

वास्तव में विशाल आबादी के दबाव में भारत में रोजगार के मायने बदल रहे हैं। आबादी के अनुरूप नौकरी सृजन करना आसान नहीं। इससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने कौशल विकास का प्रशिक्षण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर स्वरोजगार की संभावना बढ़ाने का ठोस वैकल्पिक मार्ग अपनाया है। ऐसा करके नौकरी की वैंकसी के लिए भटकते युवाओं को नौकरी का सृजनकर्ता बनने आह्वानकिया गया है। केंद्रीय बजट 2017–18 में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने युवाओं को रोजगार लायक बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपये का **'संकल्प'** कार्यक्रम पेश किया जिसके तहत देशभर में 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, कौशल और रोजगार के जरिए आम युवाओं में ऊर्जा भरने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों का मौजूदा आकार 60 जिलों से विस्तृत कर देशभर के 600 जिलों तक कर दी गई है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के जरिए पलम्बर, इलेक्ट्रिक

फीटर, हेल्थ वर्कर, सुरक्षा गार्ड, टेलरिंग जैसे सात सौ से ज्यादा किस्मों के हुनर के व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन अपने आप में रोजगार का प्रसाधन बन रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए प्रशिक्षकों के नियोजन का काम चल रहा है। अत्तदीपा फांउडेशन के अध्यक्ष विकास सिंह बताते हैं, 'प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन से बेरोजगारी की समस्या व्यापक पैमाने पर दूर हो रही है।' इन केंद्रों से प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए सरकारी मदद पाने में प्राथमिकता मिल रही है, तो इलाके के औद्योगिक विस्तार को गति देने में प्रशिक्षित हुनरमंदों से मदद ली जा रही है। गांव–गांव, शहर–शहर शुरू हो रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से उच्च–स्तरीय कौशल में प्रशिक्षण के लिए बड़े केंद्र शुरु किए जा रहे हैं। इन केंद्रों की शुरुआत के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है।

बजट 2017–18 में वित्तमंत्री ने युवकों में विदेशों में नौकरी पाने की ललक को दूर करने के लिए देशभर में 100 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया। इन संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे विदेशों में रोजगार की संभावना तलाश रहे युवाओं को लाभ होगा। औसत दर्जे के हुनर के अलावा उच्च मानक वाले स्किल के लिए स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम 'स्ट्राइव' के अगले चरण पर वित्तमंत्री ने 2017–18 के बजट में 2200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था की है।

'स्ट्राइव' के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार में इसकी प्रासंगिकता बढ़ाने तथा औद्योगिक क्लस्टर के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षा पर विशेष ध्यान देगी। इसके लिए 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए 'स्वयं' नाम का डिजिटल चैनल लांच किया जाएगा। इन सबका सीधा संबंध उद्यमिता से है जिसके जरिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केंद्रों की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि प्रशिक्षित होकर खुद को रोजगार के बाजार के लिए तैयार किया जाए। इस विकल्प से नौकरी तलाश में फंसने के बजाय कौशल विकास कर स्वरोजगार खड़ा कर लिया जाए एवं स्वरोजगार से अन्य बेरोजगारों की सुध ली जाए। कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की महती योजना– 2020 तक एक करोड़ भारतीय युवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण के दौरान उनको स्वनियोजन के लिए प्रवृत्त किया जाता है। सरकारी मदद पर चलने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य किया गया है कि प्रशिक्षित युवक या युवती स्वरोजगार खड़ा कर ले या कहीं रोजगार हासिल कर लें। यूं तो कौशल विकास का अभियान केंद्र सरकार के एजेंडे में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत 2009 में ही शामिल कर लिया गया था लेकिन इसे जोर–शोर से प्रचारित और प्रसारित करने के साथ–साथ मौजूदा सरकार ने नीति में कुछ संशोधन कर नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2015 प्रस्तुत की है।

बीते तीन वर्षों से निरंतर कोशिश जारी है कि रोजगार बाजार के आगंतुकों को कौशल से सुसज्जित किया जाए। उनका कौशल विकास प्रशिक्षण हो। **न्यू इंडिया की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए जरुरी है कि बेरोजगार पहले खुद में कौशल विकास करें, तदनुरूप बाजार में दस्तक दें; हो सके तो कौशल विकास के जरिए बढ़े आत्मविश्वास से स्वरोजगार के लिए प्रवृत्त हो जाएं; उद्यमिता की दिशा में आएं। खुद के रोजगार संकट का समाधान करने के साथ उद्यमी संस्थान में अन्य को रोजगार दें।**

योजना का उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ युवकों को कौशल विकास केंद्रों के जरिए प्रशिक्षित करना है। इसके लिए देश भर में चार सौ से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोलने का अनुबंध हो चुका है। पीएमकेवीवाई–तकनीक के नाम से नए आईआईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में कौशल विकास के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आरंभ करने की पहल हो रही है। मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय से अलग कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया है। केंद्र सरकार के इस मंत्रालय का पूरा फोकस युवाओं में कौशल विकास करने का है। इसके लिए द्रुत गति से घोषणाएं हो रही हैं।

आज़ादी के बाद से रोजगार के लिए सरकारी–स्तर पर प्रयास की निरर्थकता जगजाहिर है। देश की कुल आबादी में 65 फीसदी लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। उनको काम की जरुरत है। आजीविका के लिए रोजगार चाहिए। अगर इसमें सरकार को सफलता मिलती है, तो जनसांख्यिकी लाभांश के जरिए भारत फिर से 'सोने की चिड़िया' बन सकता है क्योंकि इस युवा उम्र में ही इंसान के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाने का मौका नहीं मिल पाने की वजह से सतत नुकसान की गुंजाईश बनी रहती है। इसका ख्याल करते हुए केंद्र सरकार का जोर लघु, कुटीर व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढाने और उद्यमिता के लिए मौकों को संवारने पर है।

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया को बढ़ावा

स्टार्टअप की सहूलियतों के साथ बढ़ावा देने की बात है। सरकार ने बेरोजगारी से मुकाबिल होने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया को गति देने का फैसला लिया है। इसके तहत यूनिक बिजनेस आइडिया वाले बिजनेस पर 55 फीसदी तक सरकारी मदद मुहैया कराए जाने की बात है। लेकिन बैंकों की आनाकानी और कागजी खानापूर्ति ने इसकी सफलता में व्यावहारिक अड़चन पैदा कर रखी है। उद्यमिता के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना महत्वपूर्ण है। इसके जरिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे युवकों को उद्यमी बनाने का उपाय है। **प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना** जो जहां है वह इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरु कर सकता है। मुद्रा योजना में बैंक से बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक की मुद्रा सहायता (ऋण मदद) का प्रावधान है। आवेदक की कुशलता, उद्योग का प्रकार और उद्योग की ज़रूरत को ध्यान मे रखते हुए ऋण सहायता दी जा रही है। मुद्रा योजना यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट री फाइनेंस एजेंसी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार की संभावनाओं को बयान करते हुए बजट पर प्रतिक्रिया में कहा, था कि हमारी कोशिश गरीब को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने की है, हर किसी की उम्मीदों को अवसर देने, अर्थतंत्र को एक नई ताकत देने, नई मजबूती देने और विकास को बहुत तेजी देने की है। इसके लिए रेलवे के आधुनिकीकरण से लेकर के सरल अर्थतंत्र निर्माण करने की दिशा में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर उद्योग तक, वस्त्र निर्माण से ले करके कर राहत तक हर किसी के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में वृद्धि की गई है। ये सब रोजगार सृजन की संभावना बढ़ाने वाले कारक हैं। कृषि और ग्रामीण विकास में परोक्ष रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना है। लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का इरादा फिर से जाहिर किया है। इस दिशा में हर खेत तक सिंचाई जल को पहुंचाने के काम पर द्रूत गति से काम हो रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ेगी। कृषि के प्रति बढ़ते अनाकर्षण ने शहरों की ओर आबादी को धकेलने का काम किया है। कृषि को सम्मान मिलने से रोजगार के लिए पलायन के अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। जिस ढंग से कृषि मंडियों को ऑनलाइन करने का काम जोर पर है, किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने का संकल्प है उससे भी गांवों की हालत में बदलाव आने की संभावना है। रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और नए रोजगार के लिए बैंकों से ऋण मिलने की गुंजाईश बढ़ने से ग्रामीण समाज को उद्यमिता में हाथ आजमाने का मौका लग सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई–मेल : aloksamay@gmail.com

ग्रामीण भारत में कौशल विकास का लक्ष्य

–सिद्धार्थ झा

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास वक्त की जरूरत भी है और बाजार की मांग भी। इससे ना सिर्फ गांवों में खुशहाली और तरक्की आएगी बल्कि देश के उद्योग और सेवा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। इसके अलावा नई राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता नीति पर अभी भी काम चल रहा है और नई शिक्षा नीति में भी इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि युवा शक्ति का संपूर्ण कौशल विकास हो सके। सरकार इस मसले पर गंभीर है कि कौशल विकास शिक्षा का अभिन्न अंग हो हालांकि ये योजना दूरगामी है लेकिन बेरोज़गारी पर बड़ा प्रहार होगा। उम्मीद की जा सकती है 2022 तक एक बड़ी आबादी भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपना सहयोग कर रही होगी।

'हर हाथ को हुनर हर हाथ को रोज़गार' किसी देश के लिए भला इससे ज्यादा सम्मानजनक स्थिति क्या हो सकती है। आज से एक दशक पूर्व हमारे देश में चीन और जापान की दक्षता और उनके हुनर की तारीफ होती थी तो हर भारतीय के मन में ये टीस जरूर उठती होगी कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आखिर हममें कमी कहां रह गई। ये कमी नीति निर्माताओं की चूक का नतीजा है या उन देशों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो उन्हें हमसे बेहतर बनाती हैं इसलिए हम विकास की दौड़ में उनसे पीछे रह गए।

ऐसा नहीं है कि स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए योजनाएं नहीं बनी। ऐसी तमाम योजनाएं हैं लेकिन उनका वजूद नियमों–शर्तों की आड़ में कागजों पर सिमट के रह गया। आज देश की 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष की उम्र से कम है और यही आज हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। आज हमारी आबादी सवा सौ करोड़ से अधिक है। आमतौर पर बढ़ती हुई जनसंख्या को अभिशाप माना गया है लेकिन ये समय इस अभिशाप को वरदान में बदलने का है। यदि सही समय पर और सही तरीके से इस ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी कोई वज़ह नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे।

'स्किल इंडिया' कार्यक्रम को जब 15 जुलाई, 2015 को 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' के रूप में शुरू किया गया तब प्रधानमंत्री अपने उद्देश्य में बेहद स्पष्ट थे। जब उन्होंने कहा– ''ये सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग है और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है।'' देश को विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में लगभग 50 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से **'कुशल भारत– कौशल भारत'** योजना शुरु की थी। इस योजना का मकसद ही यही है कि भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है और विकास के नए क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें विकसित करने के प्रयास करना है। कौशल विकास योजनाएं केवल जेब में रुपये भरना मात्र नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है। प्रधानमंत्री के इन शब्दों पर गौर करें जो उन्होंने बिना किसी लाग–लपेट के कहे– ''हुनरमंद स्वाभिमानी बनाने का ये सरकार का एक प्रयत्न है।''

आज प्राकृतिक संसाधनों और भू–क्षेत्र में अगर हम अपनी दशा देखें तो हमारे पास विश्व में उपलब्ध कुल भू–क्षेत्र का मात्र 2.4 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि इसके विपरीत विश्व की साढ़े सत्रह प्रतिशत आबादी भारत की है यानी सीमित संसाधनों में बड़ी

आबादी का पेट भरना बड़ी चुनौती है। अब 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर अगर हम नज़र दौड़ाए तो कुल आबादी के 72.2 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जबकि शेष 27.8 प्रतिशत से अधिक शहरों और कस्बों/इलाकों में रह रहे हैं। इस जनसांख्यिकी से भारत में ग्रामीण और शहरी इलाकों में वितरण की विविधता काफी स्पष्ट है। हालांकि स्वतंत्रता से पहले हमारे राष्ट्रीय नेताओं का बल ग्रामीण सशक्तीकरण पर रहता था। महात्मा गांधी का ही ग्राम स्वराज का उदाहरण देख ले, वो आज भी कितना प्रासंगिक है। गांव को मजबूत करने और सशक्त करने की बातें ज़ोर–शोर से होती थी लेकिन आज़ादी के बाद हमारे नीति निर्माताओं का रवैया ग्रामीण क्षेत्र को लेकर उदासीन रहा। ज्यादातर विकास के काम शहरी नगरीय परिधियों में होते रहे और गांव एक अदद खड़ंजे के लिए भी बेहाल रहा। बिजली, पानी, सड़क को कौन पूछता है! जब किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों पर देश अभी भी क्रोधित हो जाता है, जब अमीर भारत का उज्ज्वल चेहरा दूसरे देशों में चमक रहा होता है। दरअसल गांव और शहर शरीर के दो हाथों की तरह थे मगर एक हाथ को ताकतवर करने के चक्कर में दूसरे हाथ को लगातार कमजोर किया गया। अंततः खोखले विकास को लकवा मार गया। इसी का नतीजा है आज़ादी के 70 सालों के बाद भी गांव त्राहिमाम कर रहे हैं और लोग गांव से शहरों में पलायन करने को मजबूर हुए। विकास के मॉडल की बहुआयामी कमी ने आबादी और रोज़गार की खोज के लिए शहरी इलाकों में ग्रामीण आबादी को खींचकर इन क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मजबूर लोग अपना घर–बार, संस्कार, सभ्यता, समाज छोड़कर यहां शहरों में छोटी–छोटी नौकरियों में या मजदूरी में नारकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर हुए। ऐसा नहीं है कि गांव के विकास की और बेरोज़गारी दूर करने की योजनाएं नहीं बनाई गई लेकिन जिस अदूरदर्शिता के साथ वो योजनाएं लाई गई वो सिर्फ भ्रष्टाचार और असफलता का पर्याय बन गई। बहुत–सी योजनाओं में बैंक आसानी से कर्ज नहीं देते वहीं मनरेगा में चंद माह का रोज़गार साल भर उनका पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारतीय जनसंख्या का तीन–चौथाई गांवों में है इसलिए, भारतीय मानव शक्ति मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। इसके अलावा, भारत में आज कुल जनसंख्या में 65 प्रतिशत से अधिक की उम्र 35 साल से कम है; इससे देश में श्रम शक्ति के मामले में काफ़ी संभावनाएं हैं। देश के अधिकांश प्राकृतिक संसाधन, दूरदराज के क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। ग्रामीण परिदृश्य में निर्माण और उद्योग का लाभ उठाकर, हम उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ विनिर्माण की लागत कम हो जाएगी बल्कि उत्पादकता, निर्यात और विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने में वृद्धि होगी। भारत को आज भी एक विशाल 'अकुशल' देश के रूप में देखा जाता है, यहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल हमारे कार्यबल का हिस्सा बनते हैं मगर ये भी सत्य है कि मात्र 2 प्रतिशत ही ऐसे कुशल श्रमिक होते हैं जो बाजार की जरूरतों के मुताबिक काम करने के योग्य होते हैं। ब्रिटेन में 68 प्रतिशत और अमेरिका में 52 प्रतिशत की तुलना में ये संख्या बहुत कम है। सरकार की ये पहल देश के विकास में गति लाने के लिए महत्वाकांक्षी कदम है।

'कौशल भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल उत्साही कदम हैं। ग्रामीण भारत को सक्रिय विकास के दायरे में लाए बिना समग्र राष्ट्र की प्रगति असंभव है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण युवाओं और समुदायों के सशक्तीकरण के लिए तैयार की गई योजनाओं पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण भारत में कौशल विकास की प्राथमिकता में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित योजनाओं पर जोर होना चाहिए। कौशल विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक सुस्थापित मूल संरचना का गठन किया जाना चाहिए। कुशल श्रमशक्ति के निर्माण के लिए ग्रामीण युवाओं को पेशेवर कौशल और रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रमुख जरूरत है। भारतीय बाजार मजबूत खरीद शक्ति के साथ आकर्षक बन रहा है, इसलिए कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कई उद्योगों को लगाने में आने वाले समय में कुशल श्रम की भारी मांग होगी। **ग्रामीण भारत में मेक इन इंडिया ने एक प्रभावशाली विकास की बुनियाद रखी है।**

हमारे यहां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से आप बेहतर क्लर्क तो बन सकते है लेकिन नौकरियों की भारी कमी है। ऐसे में आप बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। ज़रा याद कीजिए कैसे लखनऊ में कुछ चपरासी के पदों के लिए एमबीए, पीएचडी, परास्नातक हजारों लोगों ने आवेदन के लिए लाइन लगाई थी। ये नज़ारा देखकर किसी भी देश का सिर शर्म से झुकने के लिए काफी है। हमारी शिक्षा प्रणाली की गंभीरता में कुछ कमी है क्योंकि ये हमे सिर्फ नौकरी पाने के लिए प्रेरित करती है।

कौशल निर्माण, की दिशा में एक प्रक्रिया के रूप में एक सार्थक प्रयास है जहां आप हुनरमंद बनकर जॉब सीकर नहीं जॉब प्रदाता की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। अगर हम 1998 से 2008 का उदहारण ले जब जीडीपी में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उच्चतम वृद्धि हुई तब भी ये वृद्धि उस अनुपात में आजीविका पैदा करने में असफल रही। विकास की इस उच्च दर ने ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों में अपना कोई योगदान नहीं दिया। दरअसल, पिछले दशकों में विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण ग्रामीण गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित हुई। वर्ष 1998 से 2008 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 26 प्रतिशत से घटकर 17.5 प्रतिशत हो गया, हालांकि ग्रामीण आबादी का हिस्सा, जो इस कृषि क्षेत्र पर निर्भर था, वो लगभग स्थिर रहा। इस तरह 9.8 करोड़ छोटे और सीमांत खेत वाले परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी उच्च जीडीपी की दर को भी हम बेरोज़गारी मिटाने की समस्या से जोड़ने में नाकाम रहे खासतौर से ग्रामीण आजीविका की चुनौतियों से निपटने में

विफल रहे। आज देश में बेशक समृद्धि आई है। इसी का नतीजा है ढेरो होटल, रेस्तरां, वाहन फैक्ट्री, मोबाइल कंपनियां खुली हैं और रोज़गार के असीम अवसर खुले हैं लेकिन ये विडंबना है कि कुछ समय पूर्व तक अकुशल ग्रामीण जनसंख्या इस औद्योगिक विस्तार का हिस्सा नहीं बन पाई।

कौशल निर्माण, नौकरी पाने की दिशा में एक प्रक्रिया के रूप में है। ग्रामीण भारत, वास्तव में राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे कुशल पावर हाउस हो सकता है। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, भारतीय जनसंख्या का तीन–चौथाई गांवों का है इसलिए, भारतीय मानव संसाधन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। सरकार की ये पहल देश के विकास में गति लाने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। **कौशल भारत** और **मेक इन इंडिया** जैसी पहल उत्साही कदम हैं। ग्रामीण भारत को सक्रिय विकास के दायरे में लाए बगैर समग्र राष्ट्र की प्रगति असंभव है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण युवाओं और समुदायों के सशक्तीकरण के लिए हाल ही में तैयार किए गए उपायों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाए।

कौशल विकास अब भारत में प्राथमिकता है। ग्रामीण भारत में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित योजनाओं पर जोर होना चाहिए। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब तक 76 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल निर्माण योजना सरकार की एक बड़ी योजना है जिसका लक्ष्य अगले तीन सालों में 10 लाख ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने का है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामने अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जैसे औपचारिक शिक्षा और बाज़ार के अनुकूल कौशल की कमी और यही कमियां हमें आधुनिक बाज़ार का हिस्सा बनने से रोकती हैं। इस योजना के अगर हम अहम् बिंदुओं को देखे तो निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार साझेदार तैयार करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ना सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि तमाम स्राक्राई योजनाओं की जानकारी आम निर्धन ग्रामीणों तक पहुंचाना और उन्हें रोज़गार शुरू करने की दिशा में हर संभव मदद प्रदान करना भी है। डीडीयू–जीकेवाई के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण आदि जैसे अनेक 250 से भी अधिक ट्रेडों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण किया जाता है। ये योजना संपूर्ण भारत में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 610 जिलों में बड़े पैमाने पर लागू की गई है। डीडीयू–जीकेवाई बाजार की मांग के समाधान के लिए नियोजन से जुड़ी स्किलिंग परियोजनाओं के लिए 25,696 रूपए से लेकर 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो परियोजना की अवधि और परियोजना के आवासीय या गैर–आवासीय होने पर निर्भर करता है। डीडीयू–जीकेवाई 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की प्रशिक्षण अवधि की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रशिक्षण से कैरियर में बदलाव लाना है। ऐसे लोग जो गरीबी की वज़ह से हाशिये पर खड़े हों,उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। दूसरा, विस्थापन और पलायन के दर्द को कम करना है; इसमें एक मुख्य बात ये है। पूर्वोत्तर और कश्मीर के इलाकों के लिए भी इसमें खास प्रावधान किए गए हैं क्योंकि वहां स्किल इंडिया की जरूरतें थोड़ी अलग हो जाती हैं। आज देश में 43 करोड़ से अधिक युवा 15 से 40 वर्ष की उम्र के हैं जिसमें से ज्यादातर गांवों में रहते हैं। इस योजना के तहत रोज़गार के ढेरों अवसर हैं। सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी रोज़गार प्रदान करने के लिए इस योजना में अनेक प्रावधान है। इस योजना में मुख्य भूमिका ग्राम पंचायतों एवं समूहों और जॉब रिसोर्स पर्सन की है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की जानकारी देते हैं और इच्छुक लोगों को समझा–बुझा करके ये तय करते हैं कि इनको किस ट्रेड में रखा जाए और उनको स्किल सेंटर तक पहुंचाते हैं क्योंकि उनकी योग्यता और रूचि जांचना इस कार्यक्रम का अहम् हिस्सा है। जो लोग गांव से दूर रहते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए निशुल्क आवासीय व्यवस्था होती है। जो युवा किन्हीं कारणों से आठवीं भी पास नहीं कर पाए हैं, उनको ट्रेनिंग के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से आठवीं या दसवीं की पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि ऐसे ग्रामीणों की कमी नहीं जिन्होंने किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।

यहां बाज़ार की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाती है। कोशिश की जाती है वहां के लोकल मार्केट की जरूरत के अनुरूप ट्रेनिंग करवाई जाए। कंप्यूटर ट्रेनिंग और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान इस ट्रेनिंग का अहम् हिस्सा होता है। प्रशिक्षण के लिए 25 हज़ार से एक लाख 22 हज़ार रुपये प्रति छात्र पर कोसीसी की जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान ऑन जॉब प्रशिक्षण इसका अहम हिस्सा है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों की मदद से उनको कुशल बनाया जाता है क्योंकि इनको ट्रेनिंग पार्टनर्स के तौर पर शामिल किया गया है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको नौकरी दिलवाने की ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की होती है।

जिस संस्थान से युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि इनकी नौकरियों की भी व्यवस्था करे और सरकार इसकी कड़ी निगरानी रखती है। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है जहां भी उनको नौकरियां मिले उनको वेतन बैंक खाते के द्वारा मिले जिससे कि बाज़ार उनका शोषण न कर सके।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत अंत्योदय का था यानी आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का भला होना। राजग सरकार भी इसी सिद्धांत पर चलकर आगे बढ़ रही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बेहतरी करने का हक है और सरकार का ये परम कर्तव्य है किसको वो अवसर दे। महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ना अहम् बिंदु है क्योंकि वे सदियों से ग्रामीण अर्थ्वावस्था की रीढ़ रही हैं। कृषि कार्यों में उनकी भागीदारी पुरुषों से कहीं अधिक रही है लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा उनको कभी ये सम्मान

दिया नहीं गया और उनका ये श्रम दुनिया से छुपा रहा जबकि उनको पढ़ाई–लिखाई और अन्य कामों में समाज ने बराबरी का हक नहीं दिया लेकिन जहां–जहां महिलाओं को बराबरी का दर्ज़ा दिया गया, उन्होंने अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया है। इस योजना के स्वर में भी हमें भविष्य में एक बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे।

सीएसआर की भूमिका सीएसआर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और ज़िम्मेदारी भी। जितने भी बड़े फैक्ट्री, होटल चेन, बिज़नेस नेटवर्क या निजी उद्यम हैं वो इन्हीं कॉरपोरेट घरानों के हैं। बाजार की मांग आपूर्ति की समझ इनसे बेहतर भला किसे हो सकती है। प्रशिक्षण लेने के दौरान वास्तविक कार्य के दौरान ट्रेनिंग देकर योग्य प्रोफेशनल बनाने का दारमोदार इन पर होता है क्योंकि सरकारी उद्यमों या संस्थाओं की एक सीमा है। ऐसे में इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है और इनका लाभ ये है कि इनको पढ़े–लिखे प्रशिक्षित लोगों की आपूर्ति इसके माध्यम से हो जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रो में कौशल विकास वक़्त की जरूरत भी है और बाजार की मांग भी। इससे ना सिर्फ गांवों में खुशहाली और तरक्की आएगी बल्कि देश के उद्योग और सेवा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। औपचारिक शिक्षा एवं मूलभूत ढांचे का अधूरा काम ग्रामीण विकास में चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त में शामिल है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना एक सशक्त प्रयास है जिसमे ना सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि समग्र रोज़गार का लक्ष्य भी समाहित है। ग्रामीण कौशल विकास के मुद्दे पर चौतरफा विकास के लिए मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना जैसी अन्य योजनाएं भी पूरी कार्यकुशलता के साथ अपना काम कर रही हैं और लाखों ग्रामीणों ने इन योजनाओं से अपने भविष्य को संवारा भी है। इसके अलावा नई राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता नीति पर अभी भी काम चल रहा है और नई शिक्षा नीति में भी इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि युवा शक्ति का संपूर्ण कौशल विकास हो सके। सरकार इस मसले पर गंभीर है कि कौशल विकास शिक्षा का अभिन्न अंग हो हालांकि ये योजना दूरगामी है लेकिन बेरोज़गारी पर बड़ा प्रहार होगा। उम्मीद की जा सकती है 2022 तक एक बड़ी आबादी भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपना सहयोग कर रही होगी।

(लेखक लोकसभा टीवी में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।)
ई–मेल : jha.air.sidharath@gmail.com

कौशल विकास को रोजगार से जोड़ना जरूरी

–हरिकिशन शर्मा

कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे युवा आज के उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल और रोजगार के लायक (एम्लॉयएबल) हों। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता, संसाधन और परंपरागत ज्ञान को ध्यान में रखकर हमें कोर्स की विषयवस्तु तैयार करनी होगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से भी कुशल श्रमबल तैयार किया जा सके। दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं तक पहुंचने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है।

''अक्षर और साहित्य ज्ञान के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी को किसी न किसी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाए। औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि विचार बहुत दिनों से हो रहा है किंतु अभी तक सिवाय कुछ औद्योगिक शिक्षा केंद्रों के खोलने के साधारण शिक्षा का मेल औद्योगिक शिक्षा से नहीं बैठाया गया है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों में भी शिक्षा प्राप्त नवयुवक इस योग्य नहीं बन पाते कि वे स्वयं कोई कारोबार शुरू कर सकें। वे भी नौकरी की ही तलाश में घूमते हैं। कारण, जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती है वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अयोग्य बना देती है। अतः आवश्यक तो यह होगा कि गांवों के उद्योग धंधे, खेती और व्यापार के साथ हमें शिक्षा का मेल बैठाना होगा। उन उद्योग धंधों की योग्यता के प्रमाणपत्र की भी हमें कुछ व्यवस्था करनी होगी''–पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ('सब को काम' ही भारतीय अर्थनीति का एकमेव मूलाधार पांचजन्य, 31 अगस्त, 1953)

अंत्योदय दर्शन के प्रतिपादक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह कथन व्यावसायिक शिक्षा की आवश्ययकता और भारत के परिप्रेक्ष्य में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उसकी प्रासंगिकता को परिलक्षित करता है। आज़ादी के बाद भारत में बुनियादी शिक्षा की दिशा में तेजी से प्रयास हुए लेकिन व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि वर्ष 2011 की जनगणना में देश की साक्षरता दर तो बढ़कर 74 प्रतिशत तक पहुंच गई लेकिन औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का स्तर काफी निम्न रहा। वास्तव में आज देश के श्रमबल में पांच प्रतिशत लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कितना अहम है इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जर्मनी, चीन और दक्षिण कोरिया जैसी उन्नतशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन का स्तर भारत की तुलना में काफी उच्चतम है। दरअसल किसी भी समाज की तरक्की का सीधा संबंध वहां कौशल विकास के स्तर से है। जिन देशों में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा का स्तर उच्च है वहां आर्थिक और मानव विकास का स्तर भी ऊंचा है। उदाहरण के लिए जर्मनी में 70 प्रतिशत, डेनमार्क में 40 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत, चीन में 50 प्रतिशत और मिस्र में 30 प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों (कोर्स) में दाखिल हैं जबकि भारत में यह आंकड़ा काफी कम है। इसलिए देश के विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत में अगर कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण का स्तर ऊपर उठता है तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की रफ्तार

और तेज हो जाएगी। साथ ही इससे क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का परिदृश्य

भारत में व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है लेकिन इसे औपचारिक रूप देने के प्रयास बीसवीं सदी में ही शुरू हुए। देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को संविधान की समवर्ती सूची में स्थान दिया। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के पास व्यावसायिक शिक्षा के लिए नीतियां, नियम और मानक तय करने का उत्तररदायित्व है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए 1956 में राष्ट्रीय व्यावसायिक ट्रेड प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई जिसे बाद में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण (एनसीवीटी) नाम दे दिया गया। इसके बाद देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विद्यार्थियों को औपचारिक तौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रयास किया गया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है। आईटीआई में विद्यार्थियों को 70 प्रतिशत कौशल प्रशिक्षण तथा 30 प्रतिशत सिद्धांत की पढ़ाई पर जोर होता है। आज देश में करीब 13 हजार (सरकारी और निजी) आईटीआई हैं और इनमें करीब सवा सौ ट्रेड (इंजीनियरिंग और गैर–इंजीनियरिंग) में पढ़ाई होती है। इनमें से अधिकांश आईटीआई शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं। सरकार ने अब देश के प्रत्येक विकास खंड (ब्लॉक) में आईटीआई की स्थापना की घोषणा की है। हालांकि आईटीआई व्यवस्था में कई खामियां थी। मुख्य कमी यह थी कि अगर कोई छात्र 10वीं कक्षा के बाद दो साल का आईटीआई डिप्लोमा करता था तो उसे 12वीं कक्षा के बराबर नहीं माना जाता था। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण औपचारिक शिक्षा से जुड़ा नहीं था। इसके चलते विद्यार्थी इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे। यही वजह है कि सरकार ने अभी घोषणा की है कि **दो वर्ष के आईटीआई डिप्लोमा को भी अब दो साल की औपचारिक शिक्षा के तौर पर माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक के बाद दो साल का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा।** आईटीआई के साथ–साथ विद्यार्थियों के समक्ष पॉलीटेक्निक के रूप में भी व्यावसायिक शिक्षा का एक विकल्प रहा है।

बहरहाल समय–समय पर छोटे–छोटे प्रयासों और सुधारों को छोड़ दें तो देश में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र रूप से नीति बनाने और उसे लागू करने का सवर्था अभाव ही रहा। इसका नतीजा यह रहा कि आज भारत में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन वे रोजगार पर रखने के योग्य नहीं हैं। इसके चलते बेरोजगारी का स्तर काफी उच्च है। यह समस्या शहरों के साथ–साथ गांवों में अधिक है। भारत के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के श्रमबल में से मात्र 4.69 प्रतिशत को ही औपचारिक तौर पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि सरकार ने सात

गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम)

सरकारी खरीद सरकारी गतिविधि का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकारी खरीद में सुधार के रूप में गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम) आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य सरकारी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों आदि के द्वारा की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के तरीके का कायाकल्प करना है।

जेम (https://gem.gov.in/) पूरी तरह कागजरहित, नकदरहित तथा प्रणाली से चलने वाला ई–मार्केट प्लेस है, जो सामान्य उपयोग वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ करने में मदद करती है।

सरकार, विक्रेताओं तथा भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था को जेम से लाभ

- **पारदर्शिता:** खुला प्लेटफॉर्म होने के कारण उन वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं के प्रवेश में कोई बाधा नहीं आती है, जो सरकार के साथ व्यापार करना चाहते हैं। खरीदार, उसके संगठन के प्रमुख, भुगतान करने वाले अधिकारियों और विक्रेताओं को प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ई–मेल से सूचनाएं भेजी जाती हैं।
- **दक्षता:** जेम पर कुछ ही मिनटों में सीधी खरीद की जा सकती है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, विक्रेता से खरीदार तक एकीकृत है और इसमें यह पता लगाने की ऑनलाइन सुविधा भी है कि कीमत वाजिब है अथवा नहीं।
- **सुरक्षित एवं संरक्षित:** जेम पूरी तरह सुरक्षित प्लेटफॉर्म है और जेम पर सभी दस्तावेजों पर विभिन्न चरणों में खरीदारों तथा विक्रेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी एमएसीए21, आधार एवं पैन के डाटाबेस के जरिए ऑनलाइन और स्वतः सत्यापित हो जाती है।
- **मेक इन इंडिया में सहयोग की संभावना:** जेम में तरजीही बाजार पहुंच (पीएमए) का अनुपालन करने वाली और लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अलग करने की सुविधा होने के कारण सरकारी खरीदारों को मेक इन इंडिया तथा लघु उद्योग वाली वस्तुएं खरीदने में आसानी होती है।
- **सरकारी बचत:** जेम पोर्टल की पारदर्शिता, कुशलता तथा प्रयोग में आसानी के कारण निविदा, दर अनुबंध तथा प्रत्यक्ष खरीद की दरों की तुलना में जेम पर कीमतों में काफी कमी आई है। जेम पर औसत मूल्य कम से कम 15–20 प्रतिशत और कुछ मामलों में 56 प्रतिशत तक कम है।

साल में 40 करोड़ लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 10.63 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पहली बार स्किल की ट्रेनिंग पाएंगे।

ग्रामीण भारत में कौशल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का स्तार काफी निम्न है। परंपरागत तौर पर गांवों में हस्तशिल्प और दस्तकारी जैसे कौशल को औपचारिक शिक्षा से न जोड़ने के कारण यह स्तर उठ नहीं पाया। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का केंद्रीयकरण भी उन्हीं शहरी क्षेत्रों के आस–पास रहा जहां उद्योग–धंधे थे, इसलिए ग्रामीण भारत का बड़ा भाग कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से वंचित रह गया। नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट 'भारत में शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति' के अनुसार वर्ष 2011–12 में देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में केवल 2.4 प्रतिशत के पास ही तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट था। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 5.5 प्रतिशत था।

इससे भी चौंकाने वाला तथ्य यह है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों का आंकड़ा भी काफी कम है। वर्ष 2011–12 में देश में मात्र 0.9 प्रतिशत लोग ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। गांवों में तो यह स्तर आधा प्रतिशत ही है। इस तरह यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है।

बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों ने जो औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया उसमें 22 प्रतिशत ने ड्राइविंग और मोटर एवं मोटर मेकेनिक कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं महिलाओं में 32.2 प्रतिशत ने 'वस्त्र से जुड़े कार्यों' के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। वैसे हाल के दिनों में कंप्यूटर प्रशिक्षण की ओर भी ग्रामीण युवाओं का झुकाव देखा गया है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक तौर पर दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में कोई खास विविधता भी नहीं रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण में गति लाना अब भी बड़ी चुनौती है। यह कार्य इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण का सबसे ज्यादा अभाव उन राज्यों में है जो आर्थिक और मानव विकास के मानकों पर पिछड़े हुए हैं। इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी काफी कम है।

वर्तमान दशा और दिशा

बहरहाल वर्तमान सरकार ने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए देश में एक अलग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की है। साथ ही व्यापक–स्तर पर युवाओं के कौशल विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शुरु की है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत बीते दो साल में 1.17 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल की है। सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तर्ज पर देश में पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कानपुर में की है। इस संस्थान की अवधारणा सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के आधार पर तैयार की गई है। सरकार ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का विज़न रखा है। साथ ही सरकार ने अप्रेंटिस से संबंधित कानून में भी समुचित बदलाव कर कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए अप्रेंटिस के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है। देश में तकरीबन आठ लाख कंपनियां पंजीकृत हैं जबकि मात्र 23000 ही अप्रेंटिस की सुविधा दे रही हैं। अप्रेंटिस की व्यवस्था से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचा है। यही वजह है कि सरकार ने इससे जुड़े कानून में जरूरी बदलाव करते हुए वर्ष 2016–17 में पांच लाख युवाओं को अप्रेंटिस कराने का लक्ष्य रखा।

निष्कर्ष

देश में बेरोजगारी और बेगारी की समस्या को दूर करने, आय का स्तर उठाने और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने की जरूरत है। इस दिशा में मौजूदा प्रयासों के साथ–साथ **सरकार को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने और अर्थव्यवस्था के अलग–अलग क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरूप ढालना होगा।** इस समय दुनियाभर में 'इंडस्ट्री 4.0' की लहर चल रही है। विकसित देशों में तेजी से उद्योगों में आर्टीफिशियल इंटेंलीजेंस अपनाकर उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित किया जा रहा है। इसी को 'इंडस्ट्री 4.0' नाम दिया गया है। इससे विनिर्माण उद्योग में रोजगार के अवसर सीमित होने की संभावना है। ऐसे में कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे युवा आज के उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल और रोजगार के लायक (एम्प्लॉययबल) हों। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता, संसाधन और परंपरागत ज्ञान को ध्यान में रखकर हमें कोर्स की विषयवस्तु तैयार करनी होगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से भी कुशल श्रमबल तैयार किया जा सके। दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं तक पहुंचने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक–निजी भागीदारी के आधार पर बेहतर बनाने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नए आईटीआई खोलने पर भी जोर दिया जा सकता है। बहरहाल इतना तय है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं उठाया जाता तब तक देश को विकसित बनाने का सपना अधूरा रहेगा।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई–मेल : hari.scribe@gmail.com

CHANAKYA IAS ACADEMY®

CHANAKYA IAS ACADEMY *Nurturing Leaders of Tomorrow*

SINCE-1993

24 Years of Excellence, Extraordinary Results every year, 3000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of Success Guru AK Mishra

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern proof teaching
- Experienced faculty
- Hostel assistance

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th August, 10th September, 10th October - 2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Centre: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21, Ph: 011-64504615, 9971989980/ 81

North Delhi Centre: 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

Our Centres

Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ph: 7574824916
Allahabad: 10B/1, Data Tower, 1st Floor, Patrika Chauraha,Tashkand marg, Civil Lines, Ph: 9721352333
Chandigarh: S.C.O. 45 - 48, 2nd Floor, Sector 8C, Madhya Marg, Ph: 8288005466
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI evening branch, Kamrup, Ph: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Ph: 9771869233
Indore: 120, 1st Floor, Veda Business Park, Bhawarkuan Square, AB road, Ph: 8818896686
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandhi Nagar, Ph: 8715823063
Jaipur: Felicity Tower,1st Floor, Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Ph: 9680423137
Ranchi : 1st Floor, Sunrise Forum, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ph: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprastha Colony, Sonipat Road, Ph: 8930018880
Patna: 304, 3rd Floor, above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Ph: 8252248158
Pune: Millennium Tower, 4th Floor, Bhandarkar Road, Deccan Gymkhana, Ph: 9067975862, 9067914157
Dhanbad (Information Centre): Univista Tower, Near Big Bazaar, Saraidhela, Ph: 9771463546

चेतावनी

छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथाinfo@chanakyaacademygroup.comपर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास: आवश्यकता और प्रयास

–गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

देश के संसाधनों के बहुआयामी सदुपयोग और आबादी के उचित समायोजन हेतु आज कौशल विकास अपरिहार्य हो गया है क्योंकि मानव संसाधन की दृष्टि से अब भारत दुनिया का सर्वाधिक धनी देश बन गया है। भारत आज दुनिया का सर्वाधिक युवा देश है जिसे कार्यशील आबादी में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि देश में कार्यकारी आबादी की भागीदारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

यदि देश की ग्रामीण–शहरी संरचना पर गौर करें तो भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक–आर्थिक तरक्की के नए सोपानों तक पहुंचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे निर्णायक भूमिका होगी क्योंकि आगामी कुछ दशकों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा, जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़नी है। कुल ग्रामीण आबादी में जहां 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है, यदि गांवों में उचित उद्यमीय शिक्षण–प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए तो अगले तीन–चार दशकों में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा, अभी देश की कुल आबादी में 49.91 प्रतिशत हिस्सेदारी 24 साल से कम आयु वर्ग वालों की है और 47.2 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं।

जनांकिकीय लाभांश की दृष्टि से भारत को अपने कार्यबल को कौशलपूर्ण करना न सिर्फ अपने लिए अपितु दुनिया की संभावनाओं से लाभान्वित होने के लिए भी अपरिहार्य हो गया है क्योंकि वर्ष 2025 तक भारत की आबादी 1.4 अरब तक पहुंचने के आसार हैं। उस दौरान हमारे जनसांख्यिकीय पिरामिड़ में 15–64 आयु वर्ग का सर्वाधिक विस्तार होगा, हमारी कार्यशील आबादी वर्ष 2011 के 76.1 करोड़ के मुकाबले बढ़कर वर्ष 2020 में 86.9 करोड़ हो जाएगी और इस अवधि में कार्यशील आबादी की वृद्धि दर कुल आबादी की वृद्धि दर से अधिक होगी।

युवाओं में कौशल विकास के सरकारी प्रयास : अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय कौशल विकास नीति' जारी की थी। इसके अनुसार 10000 करोड़ रुपये से वर्ष 2022 तक 50 करोड़ उच्च–स्तर के कुशल व्यक्तियों को तथा 'राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद' के जरिए बड़ी संख्या में गुणवत्तापरक संस्थाओं का सृजन करके उनके जरिए 15 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करके कुशल कामगार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शेष 35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के 18 विभागों द्वारा उपाय शुरू किए जाने थे। अब देश की युवा शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' की शुरुआत तथा 'नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति' की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2015 को की, साथ ही 'कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग' का प्रोन्नयन 'कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)' के रूप में 9 नवंबर, 2014 को किया गया जो देशभर में विभिन्न योजनाओं और संगठनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। देश के औद्योगिक विकास हेतु कुशल जनशक्ति की आवश्यकता आपूर्ति हेतु विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कौशल प्रदान करने के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। यह योजना 14 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए देशभर में स्थित 13350 आईटीआई के नेटवर्क द्वारा संचालित है जिसकी मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता 126 ट्रेडों में 28.47 लाख अभ्यर्थियों की है। देशभर के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता नेटवर्क द्वारा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से कौशल विकास पहल योजना (एसडीआईएस) शुरू की गई है जिसके तहत 70 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु 629 मॉडल तैयार किए गए हैं। इनमें से 129 मॉडल राष्ट्रीय कौशल ढांचा अर्हता के अनुरूप हैं। इसके अलावा मंत्रालय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना भी चला जा रहा है।

इस दिशा में एमएसडीई विभिन्न क्षेत्रों से निरंतर सहयोग ले रहा है। जैसे इसने कौशल विकास पहल के प्रभावी कार्यान्वयन

के लिए भारत सरकार के 16 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समय भारत सरकार के 20 मंत्रालय और विभाग देश में 47 कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाएं चला रहे हैं तथा 22 मंत्रालय और विभागों ने वर्ष 2016–17 में 99.35 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध दिसंबर 2016 तक 19.58 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। मंत्रालय प्रशिक्षार्थियों को सीएनसी मशीनिंग, आटोमोटिव तकनीक, वेल्डिंग, प्लंबिंग, निर्माण जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कौशल निखारने हेतु देशभर में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित कर रहा है और ऐसा पहला संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा देश के असेवित ब्लॉकों में पीपीपी मोड में 1500 बहु–कौशल प्रशिक्षण संस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। अभी देश में 2500 असेवित ब्लॉक हैं। कौशल सुदृढीकरण के लिए विश्व बैंक के वित्तपोषण से 'स्ट्राइव' परियोजना, नवंबर 2016 में शुरू की गई है। इसके अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना भी चलाई जा रही है। वैश्विक–स्तर के पेशेवर कौशल विकास के लिए एमएसडीई ने अब तक यूरोपीय संघ सहित 11 देशों– यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, स्विट्जरलैंड, कतर और जापान के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं।

देश में कुशल जनशक्ति और नियोजनीय युवाओं हेतु प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) अब एमएसडीई के अधीन कार्यरत हैं जो देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण नीति का निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम, मानक निर्धारण, प्रमाणन और समन्वय का शीर्ष संगठन है। इसके अधीन 13350 आईटीआई, 31 केंद्रीय संस्थान, 12 निजी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान, 6 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय सहित कई राज्य व संगठन–स्तरीय संस्थान कार्यरत हैं। प्रशिक्षण विस्तार एवं गहनता के लिए इसने विभिन्न संगठनों के साथ 18 एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। यह राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षण चलाता है जिसके तहत हर साल करीब 392 ट्रेडों के लिए 16 परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की 126, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना की 259 और कौशल विकास पहल योजना के 578 ट्रेड भी इसके अधीन हैं। साथ ही मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2017 से इसके अधीन भारतीय कौशल विकास सेवा भी शुरू की है। इसके अलावा मंत्रालय ने देश में बड़े पैमाने पर कौशलयुक्त कार्यबल सृजित करने और कुशल कार्यबल की मांग व आपूर्ति की विषमता पाटने के लिए डीजीटी के अधीनस्थ संस्थानों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। वर्ष 1993 में उद्योग मंत्रालय में गठित भारतीय उद्यमशीलता संस्थान 27 मई, 2015 से एमएसडीई के अधीन कार्यरत है जो अपने 7 शाखा कार्यालयों के साथ देशभर में कौशल प्रशिक्षण, आजीविका और उद्यमशीलता परियोजनाओं का संचालन कर रहा है और कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसने 15 निगमों और संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान मई 2015 से एमएसडीई के अधीन कार्यरत है और इसका उद्देश्य आजीविका परियोजनाओं की संस्थापना, उद्यमशीलता संवर्धन, मौजूदा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को परिचालनार्थ सहायता तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्प्रेरक का काम करना है। यह हर साल करीब 6 हजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा औसतन 1.50 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित यह एक गैर लाभ अर्जक कंपनी है। यह देश में कौशल एवं शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी का पहला उदाहरण है। अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करने, समर्थन सेवाओं को सक्षम बनाने और आकार निर्माण करने में अहम भूमिका निर्वहन करने वाला यह निगम 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा हैं। अब यह एमएसडीई का हिस्सा है और इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 15 करोड़ भारतीयों को कुशल बनाना है। वर्ष 2016–17 में इसके कार्य निष्पादन से 34 राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के 540 जिलों में 2263 पाठ्यक्रमों के तहत 11 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह कौशल विकास के विस्तार हेतु देशभर में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना कर रहा है। अब तक 36 एसएससी स्थापित और 40 अनुमोदित हो चुके हैं, जो सरकार द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता क्षेत्रों तथा मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करती हैं। इसके अलावा एनएसडीसी ने इनकी मदद से प्रशिक्षण संचालन के लिए 34 क्षेत्रों के 348 मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। इन परिषदों ने अब तक 27.70 लाख शिक्षार्थियों को प्रमाणित करने के अलावा 1826 अर्हता पैक और 4886 असाधारण राष्ट्रीय पेशा मानकों का सृजन किया है जिन्हें 2028 से अधिक कंपनियों ने मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा एनएसडीसी गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित जम्मू–कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए 'उड़ान' योजना चला रहा है। इसका लक्ष्य 5 वर्ष में राज्य के 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करना है जिसके तहत अब तक 25 हजार युवाओं को कवर किया गया है जिसमें 17 हजार युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि भी अपने उद्देश्य को एनएसडीसी के माध्यम से पूरा करती है। इसका गठन वर्ष 2009 में देश के सरकारी व गैर–सरकारी क्षेत्र के कौशल विकास के लिए धन जुटाने हेतु किया गया। अलाभकारी कंपनी के रूप में यह कौशल प्रशिक्षणदाता उद्यमों, कंपनियों व संगठनों के लिए धन जुटाकर कौशल विकास में उत्प्रेरक का कार्य करती है और निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहन, सहयोग व समन्वय भी करती है। जनवरी 2017 तक इसने एनएसडीसी को कौशलीकरण हेतु 3800 करोड़

रुपये जारी किए जिस पर एनएसडीसी ने 290 प्रशिक्षण भागीदारों तथा 4526 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से देशभर में 91.91 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन : देश में दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस मिशन का उद्घाटन किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है, इसके द्वारा कौशल विकास के प्रयासों को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु नियोक्ताओं और नागरिकों की अकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुमुखी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत 20 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हैं जिन्होंने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के कौशलीकरण लक्ष्य क्रमशः 125.69 और 117.50 लाख की तुलना में क्रमशः 104.16 और 60.32 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। इसने निगमित सामाजिक दायित्व और उद्योग भागीदारी के तहत कौशल विकास पहलों के संवर्धन और प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए अब तक 9 निजी कंपनियों के साथ वित्तीय तथा 17 निजी कंपनियों के साथ गैर–वित्तीय एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। अधिकांश एमओयू राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, एनएसडीसी तथा कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : यह एमएसडीई की परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणन व पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को परिणाम–आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने, नियोजनीय बनने अपनी आजीविका कमाने में समर्थ बनाना और प्रेरित करना है। 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू इस योजना को एनएसडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के दो घटक हैं। पहला, केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित पीएमकेवीवाई की 75 प्रतिशत धनराशि एनएसडीसी के माध्यम से कौशलीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा दी जाती है जिसके तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व–शिक्षण मान्यता और विशेष परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। दूसरा, केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित पीएमकेवीवाई 2.0 की 25 प्रतिशत धनराशि राज्यों को आवंटित की जाती है और राज्य सरकारें अपने राज्य कौशल विकास मिशनों के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। इस योजना के तहत 31 जुलाई, 2017 तक 31.22 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं जिनमें करीब 17 लाख पुरुष और 14 लाख महिलाएं हैं।

इसके सफल कार्यान्वयन का एक वर्ष पूरा होने पर पीएमकेवीवाई 2 अक्तूबर, 2016 को शुरू किया गया है जिसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक करोड़ युवाओं के कौशलीकरण हेतु 12000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। इसके तहत देशभर में 1697 फ्रेंचाइजी केंद्रों सहित 3365 प्रशिक्षण केंद्रों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और सभी केंद्रों की संबद्धता स्मार्ट पोर्टल से अनिवार्य की गई है। अब मंत्रालय इस योजना के जरिए कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी के माध्यम से सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के प्रत्येक जिले में मॉडल कौशल केंद्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना चला रहा है। जिसके तहत 16 जुलाई, 2017 तक देश के 514 जिलों में 556 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं जिनमें से 212 खोले जा चुके हैं। पीएमकेवीवाई का पूरा फोकस रोजगार पर है और इसमें 50 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को मजदूरी युक्त रोजगार में तैनात करना आवश्यक है। अब तक 2.9 लाख अभ्यर्थियों को तैनाती का ऑफर प्रदान किया गया है। इसके प्रशिक्षण में 15 जुलाई, 2017 से जीएसटी लेखा सहायक और योग प्रशिक्षण के 4 रोजगार पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं और अभी 18 राज्यों में 85 जिलों के 91 प्रशिक्षण केंद्रों ने जीएसटी लेखा सहायक पाठ्यक्रम शुरू किया है।

प्रधानमंत्री युवा योजना (पीएमवाईवाई) : प्रशिक्षुता शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच और सामाजिक उद्यमशीलता संवर्धन के लिए युवाओं के बीच उद्यम समर्थकारी पारिस्थितिकी सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता अभियान (युवा) योजना 9 नवम्बर, 2016 को शुरू की गई है। 30 साल तक के सभी भारतीय उद्यमियों के लिए उपलब्ध इस पंचवर्षीय (वर्ष 2016–17 से 2020–21) योजना का लक्ष्य 14.5 लाख युवाओं को शिक्षा, कौशल व उद्यमशीलता में प्रशिक्षित करना तथा कुल 260 सामाजिक उद्यम स्थापित करना है। साथ ही 30 हजार स्टार्टअप सृजित कर करीब 2.60 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा करना है। इस योजना में 450 करोड़ रुपये व्यय किए जाने हैं और प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 3050 संस्थान जिसमें उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान, 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से शामिल किए जाने हैं।

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) : इस योजना की शुरुआत 9 जनवरी, 2017 को 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रधामनंत्री द्वारा की गई। इसका उद्देश्य विदेशों में रोजगार और नौकरी की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ चुने हुए क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार मांग के अनुरूप युवाओं को प्रमाणित प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि भारतीय युवा जब व्यवसाय के लिए किसी अन्य देश जाएं तो स्वयं को ठगा महसूस न करें। इस योजना का नारा **'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं'** है। यह योजना एमएसडीई के प्रशिक्षण भागीदारों और विदेश मंत्रालय के परामर्श एवं सहयोग से एनएसडीसी द्वारा चलाई जा रही है और इसके तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु अब तक देश के 9 राज्यों में 16 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।

गांवों में कौशल विकास : गांवों की विविधता और बहुमुखी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कौशल विकास के लिए राष्ट्रव्यापी, क्षेत्र–आधारित और समुदाय–केंद्रित योजनाओं का संचालन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपने 15 वर्षों से अधिक के अनुभवों से अर्जित ज्ञान द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम को **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** (डीडीयूजीकेवाई) के रूप में 25 सितंबर, 2014 को पुनर्गठित किया है। यह राष्ट्रव्यापी रोजगार से जुड़ा मांग–आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका वित्त–पोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य रोजगार से जुड़ी आबादी में वैश्विक कमी के कारण उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाना है। इसमें 18–35 आयु के ग्रामीण युवकों के लिए पीपीपी मोड में बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़े 3, 6, 9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसमें एससी/एसटी को 50 प्रतिशत, महिलाओं को 33 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत अनिवार्य कवरेज दिया गया है। इसमें प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत को रोजगार दिलाएं। इसके तहत वर्ष 2016–17 में 1.49 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 74 हजार अभ्यर्थियों को 329 व्यवसायों में रोजगार दिया गया है। इस योजना के दिशानिर्देश, मार्गदर्शी सिद्धांत और सुविधा शर्तें इसकी वेबसाइट (http://ddugky.gov.in) पर उपलब्ध हैं। यह योजना अभी 24 राज्यों के 617 जिलों में लागू है जिसमें 281 से अधिक पीआईए भागीदार हैं और इसमें 39 क्षेत्रों के 329 से अधिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना के साथ कई विशेषीकृत योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जम्मू–कश्मीर के युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त, 2011 को श्रीनगर से 'हिमायत' योजना शुरू की गई थी जिसका लक्ष्य 5 वर्ष में 18–35 आयु के एक लाख युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। अब प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया है। इसमें निजी एवं एनजीओ के सक्षम प्रशिक्षणदाताओं की सहायता से 3, 6 और 9 माह के प्रशिक्षण क्रियान्वित किए जा रहे हैं। देश के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 27 जिलों के 18–35 आयु के गरीब युवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 10 जून, 2013 को 'रोशनी' योजना शुरू की थी। इसमें युवाओं को योग्यताओं के अनुरूप 6, 9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 3 वर्ष में 50 हजार युवाओं को कवर करने का लक्ष्य है जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होंगी। कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना** को वर्ष 2010–11 में शुरू किया गया था। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और एनजीओ द्वारा संचालित इस योजना में स्थायी कृषि, गैर–इमारती वन उत्पाद और बाजार संपर्क पहलों की स्थापना के लिए मूल्य श्रृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं। अभी 18 राज्यों में 71 एमकेएस परियोजनाएं– आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडू, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य राज्यों में एनजीओ द्वारा संचालित हैं जिससे 119 जिलों की 30.65 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित हो रही हैं।

इसके अलावा मनरेगा की ग्रामीण भारत में व्यापक कवरेज को देखते हुए 12वीं योजना में इसके प्रावधानों में बदलाव कर इसे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास के साथ जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित कर संस्थागत रोजगार दिलाना है। इसके द्वारा वर्ष 2012–13 से हर साल औसतन 2–3 लाख युवाओं को आजीविका विकास के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। समेकित कार्ययोजना (आईएपी) वाले जिलों में दुर्गम व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य के लिए होनहार युवा व्यावसायियों को क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 7 अप्रैल, 2012 को **प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना** शुरू की जिसका संचालन वर्ष 2016–17 से कपार्ट द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में ऐसे विकास सहायकों का संवर्ग तैयार किया जाता है जो आईएपी जिलों में प्रशासन को लघु अवधि की उत्प्रेरक सहायता प्रदान कर सकते हैं और समुदाय–आधारित संगठनों के साथ कार्य करके गरीबों की पहुंच उनके अधिकारों तक बढ़ाने में सहायता करते हैं।

इन योजनाओं के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न संस्थान देशभर के गांवों में व्यापक–स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना घटक के रूप में केंद्र एवं राज्यों के सहयोग से स्थापित गैर–लाभकारी संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण और व्यवसाय जमाने में मदद कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का सृजन करना है। ये 18–45 आयु के युवाओं को

व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में समग्र, गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता आधारित प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। ये संस्थान मुख्यतः चार क्षेत्रों–कृषि, प्रसंस्करण, उत्पादन विनिर्माण और सार्वजनिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत 334 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देते हैं। अभी देश के 552 जिलों में 585 आरएसईटीआई कार्यरत हैं जिनके द्वारा पिछले 6 वर्षों (अप्रैल 2011 से दिसंबर 2016) में 21.69 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया है जिनमें से 13.44 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया है।

गांवों में लोकोपकारी प्रयोजनों के लिए मंत्रालय ने 10 दिसंबर, 2013 को **भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन** को स्थापित किया है। यह महिलाओं और जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविकाओं और उनके जीवन को बदलने के लिए सरकारी भागीदारी के साथ सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के कार्यकलापों में सहायता करता है। यह अभी 34 सीएसओ को सहायता दे रहा है और इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 7 लाख परिवारों को लाभान्वित करना है जिनमें अधिकांश जनजातीय परिवारों के हैं जो 8 राज्यों के 59 जिलों के 130 ब्लॉकों में बसे हैं। इसने ग्रामीण व्यावसायियों की क्षमता निर्माण के लिए 6 माह का बहुकेंद्रीय, बहुविषयक पाठ्यक्रम **'सर्टिफिकेट प्रोग्राम आन रूरल लाईवलीहुड'** 16 नवंबर, 2016 को शुरू किया है। यह ऐसे ग्रामीण व्यावसायियों के लिए है जो एनजीओ, सरकार या पीआरआई के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उपयोजना के रूप में **स्टार्टअप ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम** (स्वेप) डीडीयूजीकेवाई की तर्ज पर शुरू किया गया हैं। ग्रामीण उद्यमियों पर केंद्रित यह ग्रामीण स्टार्टअप्स की तीन समस्याओं ज्ञान, उद्भवन और वित्तीयन की कमी का समाधान करने का प्रयास करता है। यह प्लेसमेंट आधारित कौशल विकास के बजाय स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका प्रदान करता हैं।

कृषि में कौशल विकास : देश के कृषि क्षेत्र में धारित विविधता और उद्यम आधारित कौशल विकास हेतु व्यवसाय विशेष के लिए समर्पित संस्थान युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर रहे हैं। जैसे मधुमक्खी पालन में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, पिसीकल्चर और मेरीकल्चर में केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी शोध संस्थान और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, एक्वाकल्चर में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, डेयरी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, रबर में रबड़ कौशल विकास परिषद और रबड़ बोर्ड, रेशम कीट पालन एवं व्यवसाय में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के 4 विविध समशोध संस्थान, 64 शोध संस्थान, 15 राष्ट्रीय शोध केंद्र और 13 परियोजना निदेशालय द्वारा समय–समय पर कौशल विकास के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। **'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कृषि की संभावनाओं को निखारने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को भी कौशल विकास की पहल से जोड़ दिया है।** देश में कुल 680 केवीके में से 438 राज्य कृषि विवि से,99 एनजीओ से और 59 आईसीएआर से जुड़े हैं। इसके पहले भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु वर्ष 2002 में एग्रीक्लीनिक और एग्रीबिजनेस केंद्र योजना शुरू की थी जिसके तहत 40 हजार से अधिक कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया ताकि रोजगार के साथ गांवों में सक्षम और कुशल लोगों को विस्तार सेवाओं में लगाया जा सके, ग्रामीण युवाओं और खेतिहर महिलाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उद्यमों का गहन प्रशिक्षण दिया जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग ने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वर्ष 2015 में एक क्रांतिकारी **स्टूडेंट रेडी योजना** (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) शुरू की है, जो वर्ष 2016–17 से प्रभावी है। यह योजना अनेक समस्याओं का समाधान कर कृषि क्षेत्र का कायाकल्प कर सकती है और खेती में युवाओं को आकर्षित कर गांवों से उनका पलायन रोक सकती है। इस ग्रामीण उद्यमशीलता एवं जागरूकता विकास योजना के तहत कृषि शिक्षा में युवाओं में उद्यमशीलता के लिए कौशल विकास को परियोजना मोड में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तीन घटक हैं जिसमें पहला 24 सप्ताह का अनुभव आधारित प्रशिक्षण, दूसरा 10 सप्ताह का ग्रामीण कार्य अनुभव और तीसरा 10 सप्ताह का उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण है जिनके तहत कृषि स्नातकों को शिक्षण के दौरान हुनरमंद बनाकर रोजगार के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और स्नातक डिग्री के लिए इन चरणों को पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें 3 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इस योजना का दायरा बहुत व्यापक है जिसमें संबद्ध कृषि व्यवसाय के सभी क्षेत्रों सहित मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण जैसे सारे अहम् पक्ष शामिल हैं। इस योजना में सरकार का लक्ष्य देश में सालाना 25 हजार से अधिक छात्रों को रोजगार हेतु हुनरमंद बनाना है। इस समय देश में 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसमें 4 सम विवि, 2 केंद्रीय विवि और 4 कृषि संकाय वाले केंद्रीय विवि शामिल हैं, जहां से सालाना करीब 50 हजार से अधिक छात्र स्नातक होते हैं जिनमें 60 फीसदी ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं और इनमें अपने प्रयासों से कृषि उद्यम आरम्भ करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। ऐसे में यह योजना ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव में छात्रों को ग्रामीण परिवेश के साथ कृषि व संबद्ध कार्यकलापों को समझने के अवसर और कृषको के सामाजिक–आर्थिक हालात से वाकिफ कराने के अलावा अनुभव–आधारित प्रशिक्षण में परियोजना विकास और क्रियान्वयन, एकाउंटेसी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विपणन सरीखे कौशल विकास के बाद उद्यम प्रबंधन के विकास में सहायक बनकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही है।

महिलाओं में कौशल विकास : विभिन्न हितधारियों के सहयोग से सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देशभर में महिलाओं

के लिए कई कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम– उज्ज्वला योजना, मिशनपूर्ण शक्ति, प्रियदर्शिनी योजना, सबला योजना, स्वाधार गृह योजना, सक्षम योजना, ईडब्ल्यूआर प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टेप कार्यक्रम संचालित कर रहा है जिनसे बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशिक्षित हो रही हैं। महिलाओं में कौशल विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अपनी योजनाओं के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके तहत वर्ष 2016–17 में 1.30 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए केंद्रीय–स्तर पर 16 क्षेत्रीय संस्थानों सहित नोएडा स्थित राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण दे रहे हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 32 पाठ्यक्रमों में 4436 महिलाएं प्रशिक्षित करने की है तथा देश में 405 महिला आईटीआई और सामान्य आईटीआई में 1003 महिला खंड हैं जिनमें 67 इंजीनियरी और 60 गैर–इंजीनियरी ट्रेडों में 83270 प्रशिक्षण सीटें हैं। इन सबके बावजूद देशभर के प्रशिक्षण संस्थानों और कौशल कार्यक्रमों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होती हैं।

पिछड़े समूहों में कौशल विकास : भारत सरकार के एमएसडीई सहित 22 मंत्रालय और विभाग करीब 47 कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं जिनमें ऊर्ध्व आरक्षण के तहत 27,15 और 7.5 प्रतिशत सीटें क्रमशः ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। इनके प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता से योजना घटक के रूप में देशभर में जन शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके लिए प्रायोजकों को अनुदान देता है और स्वयं विशेषीकृत योजनाएं चलाता है। अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की उपयोजना के तहत भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ट्राईफेड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र योजना को प्रशासित करता है जहां जनजातीय युवाओं को निशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं, इसके लिए शत–प्रतिशत अनुदान संघ/राज्य क्षेत्रों व कार्यान्वयन एजेंसियों को दिया जाता है। इसके अलावा राज्यों को जनजातीय उपयोजना संबंधी विशेष केंद्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कौशल विकास के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। जुलाई 2017 तक पीएमकेवीवाई के तहत एससी और एसटी के क्रमशः 4.35 लाख और 1.19 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं।

दिव्यांगों में कौशल विकास : जनगणना, 2011 के अनुसार देश में 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत हैं जिनके बहुमुखी विकास हेतु सरकार का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईडी) सक्रिय है और इसने एनएसडीसी के सहयोग से 2018 तक 5 लाख दिव्यांगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। इनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अलावा डीईडी के अधीन 7 राष्ट्रीय संस्थान भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं जिनके द्वारा 2011 से अब तक करीब 20 हजार दिव्यांगों को व्यावसायिक कौशल दिया गया है। दिव्यांगों को क्षमताओं के अनुरूप अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण व सहायता के उद्देश्य से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 21 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनके तहत 2011 से अब तक 45 हजार से अधिक दिव्यांगों को प्रशिक्षित किया गया है। 15–35 आयु के दिव्यांगों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना** चलाई जा रही है।

कुल मिलाकर अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद कौशल भारत कुशल भारत' के घोष वाक्य के साथ शुरू कौशल विकास मिशन कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में प्रसार हेतु जनांकिकीय लाभांश प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें हैं और आज देश श्रमाधिक्य के दौर से गुजर रहा है जहां ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में यदि पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ प्रच्छन्न बेकारी के शिकार अकुशल श्रमिकों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रमिक बना भी दिया जाता है तो उन्हें अपनी काबिलियत के अनुरूप रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि निकट भविष्य में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कौशल अंतराल को पाटने की है। तमाम चुनौतियों आशंकाओं के बावजूद आशाजनक पहलू यह है कि वर्तमान में भारत को प्राप्त जनांकिकीय लाभांश की स्थिति अगले 30 वर्षों तक रहने वाली है। यदि देश का नेतृत्व इस स्थिति को भुनाने में सफल हो पाता है तो देश के समक्ष विश्व की महान आर्थिक शक्ति बनने की अपार संभावनाएं हैं।

(लेखक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार हैं।)

ई–मेल : gajendra10.1.88@gmail.com

कौशल प्रशिक्षण के बाद करीब 85,000 उम्मीदवारों को मिला रोजगार

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए प्लेसमेंट यानी रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण से युवा वेतन वाला रोजगार पाने योग्य बन जाते हैं। वित्त वर्ष 2016–17 में कुल 1,62,586 उम्मीदवारों को कौशल प्रदान किया गया और 84,900 को रोजगार मिल गया। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान अन्य घटक हैं, जो प्रशिक्षु को बैंक ऋण के साथ स्वरोजगार प्राप्त करने योग्य बनाते हैं। वित्त वर्ष 2016–17 में कुल 4,45,106 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 3,63,111 को रोजगार प्राप्त हो गया है।

कौशल विकास और उद्यमिता पर प्रधानमंत्री के विचार

71वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन

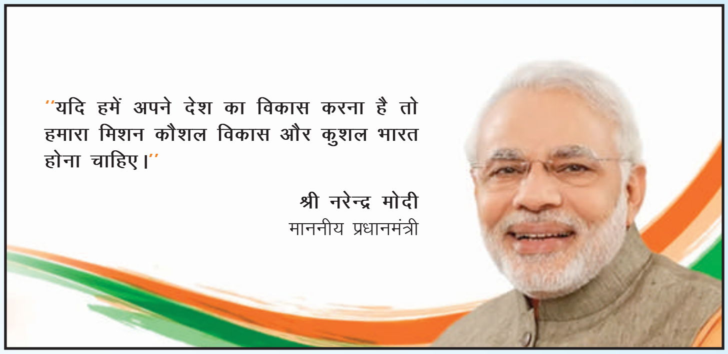

- डिमांड और टेक्नोलॉजी के कारण, हमारे देश में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है।
- रोजगार से जुड़ी योजनाओं में ट्रेनिंग के तरीके में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक नई योजनाएं हाथ में ली हैं।
- नौजवान को बिना गारंटी बैंक से पैसे मिले, इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वो रोजगार पाने वाला ही न रहे, रोजगार देने वाला बने।
- पिछले तीन साल में देखा है कि 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण करोड़ों नौजवान अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, इतना ही नहीं, एक नौजवान एक या दो–तीन और लोगों को भी रोजगार दे रहा है।
- शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए हमने बंधन से मुक्ति देने का एक बड़ा अहम कदम उठाया है। 20 यूनिवर्सिटियों का आह्वान किया कि आप अपने भाग्य का फैसला कीजिए, सरकार बीच में नहीं आएगी। ऊपर से सरकार एक हजार करोड़ रुपये तक की मदद करने के लिए भी तैयार है।
- पिछले तीन वर्ष में 6 IIT, 7 नए IIM, 8 नए IIIT, इसका निर्माण किया है और शिक्षा को नौकरी के अवसरों के साथ जोड़ने का भी काम हमने किया है।

नीति आयोग द्वारा आयोजित 'चैंपियंस ऑफ चेंज' पहल पर युवा उद्यमियों का संबोधन

- एक बात निश्चित है कि इनोवेशन है तो जीवन है। अगर इनोवेशन नहीं है तो एक ठहराव है। और जहां भी ठहराव है, वहां गंदगी है। इनोवेशन से ही बदलाव आता है।
- अगर कोई हेंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन क्या उसने हेंडीक्राफ्ट बनाने वाले को नई टेक्नोलॉजी के साथ, ग्लोबल requirement के अनुसार ,उस हेंडीक्राफ्ट को आधुनिक समय में मॉडिफाई करने के लिए उसको सिखाया है क्या? अगर वो ट्रेनिंग भी साथ–साथ करता है तो हम हमारे सामान्य गरीब व्यक्ति को जो हेंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काम करता है, उसका एक प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग कहो, स्किल ट्रेनिंग कहो, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग कहो, उसको मार्किट की समझ कैसी है, उसको समझाया तो वो थोड़ा बढाकर देता है।
- बैम्बू का फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति भी, अगर हम मार्किट को ध्यान में रखते हुए, बदले हुए युग को ध्यान में रखते हुए, और कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाने के लिए उसको प्रेरित करेंगे तो अपने–आप वो अवसर मिल जाएगा।
- आपने देखा होगा, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर की दुनिया का जो स्टार्टअप वर्ल्ड है, एक है। लेकिन दूसरे जो स्टार्टअप्स बने हैं, उसने सामान्य–सामान्य समस्याओं का समाधान खोजा है, और रूरल बेस को पकड़ा है।
- वेस्ट टू वैल्थ भारत में आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा एक इकोनॉमी का क्षेत्र है वेस्ट टू वैल्थ इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें इनोवेशन है, इसमें रिसाइक्लिंग है, इसमें सब चीज है और भारत के लिए आवश्यक भी है।
- शिक्षा, अब ये बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब आईआईएम में से कैंपस प्लेसमेंट होता है। एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़, ऐसे बोली बोल करके उठा लेते हैं लोग। क्या हम वो ड्रीम नहीं देख सकते हैं, क्या जो टीचर है, उसका भी कैंपस प्लेसमेंट हो, और वो भी एक करोड़, दो करोड़ तीन करोड़, पांच करोड़ में बदल जाए।

'मन की बात' : प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन (मुख्य अंश 30 जुलाई, 2017)

वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं पर

- मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मनुष्य का मन ही ऐसा है कि वर्षाकाल मन के लिए बड़ा लुभावना काल होता है। पशु, पक्षी, पौधे, प्रकृति– हर कोई वर्षा के आगमन पर प्रफुल्लित हो जाते हैं।
- प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें पालती है, लेकिन कभी–कभी बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदायें, उसका भीषण स्वरूप, बहुत विनाश कर देता है।
- पिछले कुछ दिनों से भारत के कुछ हिस्सों में विशेषकर असम, नॉर्थ–ईस्ट, गुजरात, राजस्थान, बंगाल के कुछ हिस्से, अति वर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पूरी मॉनीटरिंग हो रही है। व्यापक स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं।
- बाढ़ से जनजीवन काफी अस्त–व्यस्त हो जाता है। फसलों, पशुधन, इनफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन लिंक्स सब कुछ प्रभावित हो जाता है। खास कर के हमारे किसान भाइयों को, फसलों को, खेतों को जो नुकसान होता है, तो इन दिनों तो हमने इंशोरेंस कंपनियों को और विशेष करके crop insurance कंपनियों को भी प्रो–एक्टिव होने के लिए योजना बनाई है, ताकि किसानों के क्लेम सेटलमेंट तुरंत हो सकें। और बाढ़ की परिस्थिति से निपटने के लिए 24x7 कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 1078 लगातार काम कर रहा है।

जीएसटी पर

- मुझे बहुत प्रसन्नता और संतोष होता है जब कोई गरीब व्यक्ति पत्र लिखकर मुझे कहता है कि जीएसटी से किस तरह उसकी जरूरत की चीजों के दाम कम हुए हैं और सामान सस्ता हुआ है।
- जीएसटी भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का एक उत्तम उदाहरण है; यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर

- एक अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है और 15 अगस्त, 1947 को देश आज़ाद हुआ। एक तरह से अगस्त महीने में अनेक घटनाएं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के साथ करीबी से जुड़ी हुई हैं।
- इस वर्ष हम भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 'भारत छोड़ो' ये नारा डॉ. यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 1857 से 1942 तक जो आज़ादी की ललक के साथ देशवासी जूझते रहे, झेलते रहे, लड़ते रहे, इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा हैं।
- 1857 से 1942 – आज़ादी की वो ललक जन–जन तक पहुंची। और 1942 से 1947 – पांच साल, एक ऐसा जन–मन बन गया, संकल्प से सिद्धि के पांच निर्णायक वर्ष के रूप में

सफलता के साथ देश को आज़ादी देने का कारण बन गए। ये पांच वर्ष निर्णायक वर्ष थे।
- 1947 में हम आज़ाद हुए। आज 2017 है....तो जैसे 1942 से 1947 पांच साल देश की आज़ादी के लिए निर्णायक बन गए, ये पांच साल 2017 से 2022 के, भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। पांच साल बाद देश की आज़ादी के 75 साल मनाएंगे। तब हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है आज।
- 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है। गंदगी– भारत छोड़ो, गरीबी– भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार– भारत छोड़ो, आतंकवाद– भारत छोड़ो, जातिवाद– भारत छोड़ो, संप्रदायवाद– भारत छोड़ो।
- आज आवश्यकता 'करेंगे या मरेंगे' की नहीं, बल्कि **नए भारत के संकल्प** के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी–जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की है। **संकल्प को लेकर के जीना है, जूझना है...** आइए, इस संकल्प के पर्व पर हम जुड़ें।

नया भारत

- 'करो या मरो' आज की जरूरत नहीं है, इसके बदले नव भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेना, साथ मिलकर काम करना, परिरक्षित करना तथा अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार काम करना है। आइए इस संकल्प के साथ जिएं और इसके लिए कोशिश करें।
- इस 9 अगस्त से एक व्यापक अभियान 'संकल्प से सिद्धि' की शुरुआत करें। नव भारत के लिए प्रत्येक भारतीय, सामाजिक संगठन, स्थानीय स्वशासित संस्था, स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संगठन सभी को कोई न कोई संकल्प लेना चाहिए। एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे।

सामाजिक सुधार के रूप में उत्सव

- हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, वो सिर्फ आनंद–प्रमोद के ही अवसर हैं, ऐसा नहीं है। हमारे उत्सव, हमारे त्योहार एक सामाजिक सुधार का भी अभियान हैं। लेकिन उसके साथ–साथ हमारे हर त्योहार, गरीब–से–गरीब की आर्थिक जिन्दगी के साथ सीधा सम्बन्ध रखते हैं।

ETEN IAS KSG

Preparing Civil Servants

UPSC CSE '16 में सफल प्रत्येक तीसरा अभ्यर्थी ETEN IAS KSG* का है।

AIR 6

के. दिनेश कुमार

AIR 14

उत्सव कौसल

AIR 21

प्रताप एम.

...और कई अन्य

*From the house of KSG

टॉप 100 सफल अभ्यर्थियों में से 30 ETEN IAS KSG के विद्यार्थी हैं।

सिविल सेवा परीक्षा '18 के नये बैच

प्रोग्राम	समय
जीएस फाउंडेशन सप्ताहिक (हिंदी)	10:00AM – 01:00PM

राज्य लोक सेवा आयोग

UPPSC, CGPSC, MPPSC, RPSC and BPSC के लिए नए बैच प्रारंभ, शीघ्र नामांकन करें!

नामांकन के लिए: फोन: 9654200523/17 | टोल फ्री: 180030029544 | बेवसाइट: www.etenias.com

ETEN IAS Centers: Agra, Allahabad, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bhilai, Bhilwara, Bhiwani, Bhubneswar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Ernakulam, Ghaziabad, Gorakhpur, Guhana, Gurgaon, Hissar, Imphal, Indore, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Kohlapur, Kolkata, Lucknow, Meerut, Moradabad, Mumbai, Nagpur, Panipat, Patiala, Patna, Pune, Raipur, Rewari, Rohtak, Shimoga, Sikar, Sonipat, Trivandrum, Udaipur, Varanasi, Vijayawada

THE TRUSTED COACH FOR IAS

Career Launcher

समावेशी विकास के लिए जरूरी है कौशल विकास

–डॉ. संजीव कुमार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में "कौशल विकास योजना, केवल जेब मे पैसे भरने जैसा नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्मविश्वास भरना है।" यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा। आज भारत में बेरोजगार लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के तंत्र को तेजी से पुर्नगठित करने की आवश्यकता है, जो उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ यहां आबादी को अपने जीवन की गुणवत्ता को शानदार बनाने में समर्थ बनाएं। भारत सरकार का लक्ष्य इस मिशन के द्वारा 2022 तक बेरोजगार युवाओं का उनकी रूचि अनुसार कौशल विकास करके रोजगारपरक बनाना है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता से सम्बन्धित प्रयास अब तक हमारे देश मे बिखरे हुए हैं। विकसित देशों में जहां कुशल कार्यबल का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 60 से 90 प्रतिशत के बीच है। इसके विपरीत भारत के कार्यबल का स्तर औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.69 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। आज भारत में बेरोजगार लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के परिस्थितिकी तंत्र को तेजी से पुर्नगठित करने की आवश्यकता है, जो उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ यहां आबादी को अपने जीवन की गुणवत्ता को शानदार बनाने में समर्थ बनाएं।

कौशल एवं ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। कौशल का उच्च–स्तर और बेहतर मानक वाले देश घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। स्वतंत्रता के 68 वर्ष पश्चात् भारत में पहली बार कौशल को रोजगारपरक वनाने की कोशिश हुई और इसके परिणामस्वरूप कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन हुआ ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए तथा गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान किया जाए।

भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ग्रामीण जनता ज्यादातर कृषि–आधारित व्यवसायों पर निर्भर रहती है। असली भारत आज भी ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं पशुपालन जैसे परंपरागत कार्यों में संलग्न है। और गरीबी, अशिक्षा से लगातार संघर्ष करते हुए राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन के रूप में योगदान कर रहे हैं। आज विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना है तो इन गांवों में रहने वाली जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके इनका सही मार्गदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की शक्ति को युवाओं के रूप में देखा। और अपने कौशल भारत मिशन के उद्घोषणा भाषण में कहा कि भारत की 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत है तो 'युवा भारत' का सपना साकार करने का यह सही वक्त है। इनका उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने हेतु **'कौशल भारत–कुशल भारत'** योजना की शुरूआत भारत सरकार ने विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई, 2015 को एक मिशन के रूप में की। भारत सरकार का लक्ष्य इस मिशन के द्वारा 2022 तक बेरोजगार युवाओं का उनकी रूचि अनुसार कौशल विकास करके रोजगारपरक बनाना है।

कौशल विकास के मामले में हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले काफी पीछे है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौशल विकास 3.5 प्रतिशत है। और 2019 तक भारत को 12 करोड़ कौशल युवाओं की जरूरत होगी। पहले वर्षों में लगभग 24 लाख शहरी व ग्रामीण युवाओं को इस योजना के तहत लाया गया। सरकार का लक्ष्य 2022 तक यह संख्या 40 करोड़ से भी ऊपर ले जाने का है। तथा साथ ही यह भी निर्धारित किया कि देश के अंदर युवाओं को विधिवत कौशल विकास की शिक्षा के लिए कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रत्येक राज्य में की जाएगी।

कौशल विकास योजना के उद्देश्य

देश में गरीबी का उन्मूलन कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार दिलाना है। इसके अलावा इस मिशन का उद्देश्य विकास के नए क्षेत्रों को ढूंढ़कर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा कौशल विकास योजना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. जो गरीब बच्चे उचित शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं उनके अंदर छुपे हुए कौशल को पहचानना है।
2. ज्यादा से ज्यादा युवा शक्ति के हुनर को पहचानना और उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार दिलाना।
3. गरीबी एवं अशिक्षा को दूर करने के अलावा गरीब परिवारों और युवाओं में कौशल विकास करना और उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिलाना।
4. युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ कंप्यूटर शिक्षा देना इस योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक है।
5. भारतीय बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगारपरक बनाकर राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित करना।
6. कौशल विकास के साथ–साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
7. सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

भारत में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों?

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रम की शुरुआत रहा। साथ ही केन्द्र सरकार ने एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की। और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को कौशल विकास योजना के साथ जोड़ा गया जिसमें खासकर ग्रामीण एवं गरीब युवाओं का पूर्ण विकास किया जा सके। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' एवं 'स्मार्ट सिटीज' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने के अलावा अन्य आवश्यकताएं इसलिए हुई–

1. चीनी आर्थिक विकास दर धीमी होना एक अच्छा अवसर।
2. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
3. कौशल पूंजी मे भारत विश्व–स्तर पर गुणवत्ता बनाएं।
4. अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
5. युवा शक्ति को आर्थिक विकास में योगदान के रूप मे स्वीकार करना।
6. भारत को विश्व कौशल की राजधानी बनाना।

कौशल परिवेश की रूपरेखा

विश्व के सबसे बड़े मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत भारत की मानव श्रमशक्ति में प्रत्येक महीने 10 लाख की वृद्धि हो रही है। इसी के आधार पर भारत के कौशल परिवेश के लिए 10 बिंदुओं वाली रूपरेखा तैयार की गई है, जो निम्न है–

1. तेज गति से व्यापक विस्तार एवं प्रसार।
2. गुणवत्तापूर्ण परिणाम पर बल।
3. मानक से जुड़कर कौशल का विकास करना।
4. सभी जातिवर्गों में कौशल विकास पर बल।
5. विश्व में कहीं भी कार्य करने योग्य बनाने का प्रयास।
6. कौशल क्षेत्र के सभी प्रयासों को समेटते हुए उनमें समन्वय स्थापित करना।
7. कुशलता को महत्वाकांक्षा से जोड़ने की पहल।
8. उद्योग जगत से जुड़ाव पर बल।
9. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के बीच अंर्तसंबंध स्थापित।
10. तकनीकी के उपयोग पर बल।

कौशल प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षित वृद्धि

कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या सन् 2014 में 1736 थी लेकिन वही 2017 में बढ़कर 8662 तक पहुंच गई यानी 499 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि प्रशिक्षण की तुलना करते हैं तो 2014 में प्रशिक्षित लोगों की संख्या 19 लाख 54 हजार 3 सौ थी और 2017 तक यह वृद्धि 600 प्रतिशत पर पहुंच गई। ग्राफ निश्चित करता है कि कौशल विकास योजनाओं से युवाओं के प्रशिक्षण प्रयासों में तेजी आई है।

समावेशी विकास के लिए कौशल विकास

ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बल दे रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडा पर बल दिया गया है। आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना। विश्व–स्तरीय प्रशिक्षण, वित्तपोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यमों से यह योजना अंतर को पाटने का कार्य करती है।

योजना की विशेषताएं

1. ग्रामीण गरीबों के लिए ग्राम–आधारित निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. समावेशी कार्यक्रम तैयार करना।

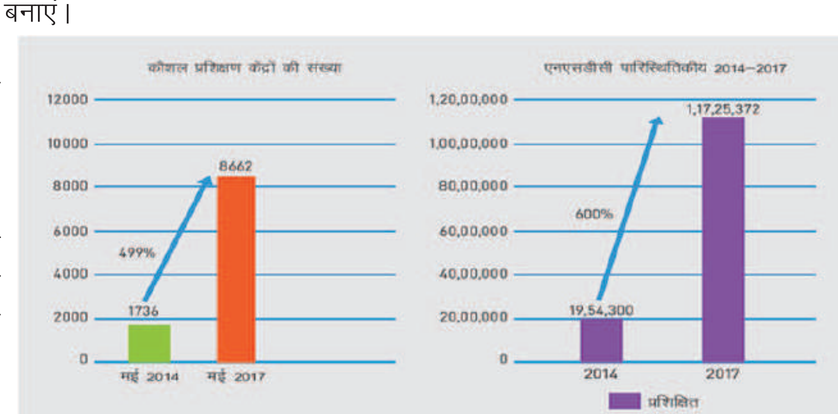

स्रोत– कौशल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट–2017

3. सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अनु.जाति/जनजाति 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिलाएं 33 प्रतिशत) को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया।
4. प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना।
5. नियोजन पश्चात् सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व छात्र नेटवर्क तैयार।
6. रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल।
7. कम से कम 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी।
8. जम्मू एवं कश्मीर (हिमायत) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों (रोशनी) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर।

विभिन्न मंत्रालयों की कुछ प्रमुख योजनाएं।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना; अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम; क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम; कौशल विकास प्रयास

ग्रामीण विकास मंत्रालय

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

कपड़ा मंत्रालय

- इंटीग्रेटिड कौशल विकास नीति

कृषि मंत्रालय

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- कृषि चिकित्सालय एवं कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम
- विस्तार से सुधार क्षेत्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय

- उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
- प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम
- स्किल अपग्रेडेशन एवं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड वुमैन कोर प्लान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- अप्रेन्टिसशिप स्कीम
- वोकेशनालाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन
- समुदाय विकास कार्यक्रम पालीटेक्निक द्वारा

सूचना एवं संचार मंत्रालय

- स्टेट फार स्किल डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग
- स्किल डेवलपमेंट इन ई.एस.डी.एम. फार डिजिटल इंडिया

कौशल भारत–कुशल भारत के लाभ

कौशल भारत मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार ने गरीब व वंचित युवाओं को प्रशिक्षित करके बेरोजगारी की समस्या एवं गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा। इस मिशन का उद्देश्य उचित प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास को लाना है जिससे उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकारी, निजी और गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ शैक्षिक संस्थाएं सम्मिलित होकर कार्य करेंगी। कौशल विकास योजना के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं–

1. युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिले।
2. उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।
3. भारत सें गरीबी खत्म करने में सहायक हो।
4. भारतीयों में छिपी हुई कौशल योग्यता को बढ़ावा देने में सहायक हो।
5. राष्ट्रीय उत्पादन आय के साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके।
6. ग्रामीण गरीब लोगों की जीवन निर्वाह आय में वृद्धि।
7. भारतीयों की जीवन गुणवत्ता में सुधार।

कौशल विकास पर सुझाव

ग्रामीण भारत में कौशल विकास मिशन सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है इससे राष्ट्र का निर्माण एक विकसित, व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा। सरकार की नीतियों में युवाओं के विकास का उद्देश्य अच्छा है लेकिन बहुत–सी कमियां भी हैं। इनको संतुलित करना भी विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए निम्न सुझाव हैं–

1. कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को बनाए रखा जाए।
2. जो व्यवस्था है उसकी क्षमता के सभी को बराबर अवसर दिए जाएं।
3. स्कूली शिक्षा एवं कौशल विकास प्रयास के लिए सही संतुलन बनाए रखा जाए।
4. कौशल विकास योजनाओं के शोध एवं विकास के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए।
5. परीक्षा, प्रमाणपत्रों एवं उनकी सम्बद्धता की गुणवत्ता बनाई रखी जाए।

निष्कर्ष

भारत में युवाओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है। यहां मानव संसाधनों के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिससे युवाओं में कौशल विकास के बल पर विश्व–स्तर पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जा सकता है। ग्रामीण–स्तर पर बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है। लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होंगे जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में "कौशल विकास योजना, केवल जेब मे पैसे भरने जैसा नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्मविश्वास भरना है।" यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा।

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रोफेसर है। तथा इनके कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर एवं पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।)

ई–मेल : sanjeevss786@gmail.com

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अवलोकन

—किशोर कुमार मालवीय

किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ज्ञान के साथ–साथ कौशल भी महत्वपूर्ण है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वही देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च–स्तर प्राप्त कर लिया है। हमारा देश दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कौशल की जरूरत को यहां भी मौजूदा सरकार ने काफी गंभीरता से न सिर्फ महसूस किया है बल्कि इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार के इसी एहसास की उपज है। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में भारत अच्छी स्थिति में है क्योंकि हमारे पास 60 करोड़ 50 लाख लोग 25 साल से कम उम्र के हैं।

भारत विश्व में सबसे अधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। यहां की कुल आबादी में से 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रोजगार करने वालों (15 से 59 वर्ष) की है और कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। अगले दशक में 15 से 59 आयु वर्ग की आबादी और बढ़ने की उम्मीद है। भारत अपनी इस युवा आबादी से काफी लाभ उठा सकता है लेकिन हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगार लायक कौशल और ज्ञान के साथ श्रम बल तैयार करना एक चुनौती है।

हर साल 1.3 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश करते हैं। आईटीआई संस्थानों, पोलिटेक्निकों, स्नातक कॉलेजों, प्रोफेशनल कॉलेजों आदि में प्रशिक्षण और शैक्षणिक क्षमताओं को जोड़कर देखें तो देश में कुल 30 लाख वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता है। इन संस्थानों में किसी शिक्षित/कुशल भारतीय के निर्माण पर 1 से 4 साल तक लगते हैं। इसलिए भले ही तेजी से क्षमता निर्माण की होड़ लगी हो, जिस गति से नए भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें प्रशिक्षण के लिए लंबी अवधि की तुलना में धीमी गति से कौशल विकास की गति को बनाए रखने के लिए 10 लाख से अधिक की इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल काम है। इस मुद्दे पर ध्यान देना भारत की बहुसंख्यिक आबादी की क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके मद्देनजर ही भारत सरकार ने भारत में **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** का गठन किया है जिसने **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** (पीएमकेवीवाई) नामक प्रमुख कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, ताकि भारत में कौशल विकास पर आधारित योग्यताओं को नई गति प्रदान की जा सके। कौशल विकास प्रमाणीकरण और पुरस्कार योजना का उद्देश्य परिणाम– आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए, भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को सक्षम और एकजुट करना है, ताकि उन्हें रोजगार और आजीविका मिल सके। यह योजना प्रशिक्षण संस्थानों पर आधारित योग्यताओं पर चलने वाले उद्यमों और प्रशिक्षण–आधारित योग्यताओं की कमी के कारण बाजार में असफल होने वाले उद्यमों के लिए है। इस परियोजना की शुरुआत 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की थी। योजना का पहला वर्ष यानी 2015–16 इस योजना की नींव को पुख्ता बनाने और आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह योजना नियोक्ताओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति का एक प्रमुख स्रोत बन रही है।

कौशल विकास कार्यक्रम 45 लाख परिवारों को कवर कर रहा है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना की शुरूआत 15 जुलाई, 2015 को की गई।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा
- 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को अलग अलग विधाओं में कुशल बनाने का लक्ष्य।
- 596 जिलों में 8479 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।
- 11 लाख से अधिक युवाओं का नामांकन किया गया, 375 व्यवसायों में प्रशिक्षण।
- पीएमकेवीवाई (2015–16) के हिस्से के रूप में 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 2.49 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।
- पीएमकेवीवाई (2016–2020) के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत 16.37 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य; अब तक 2.72 लाख नामांकन।
- योजना के अंतर्गत सभी नामांकित उम्मीदवारों में करीब 50 प्रतिशत महिलाएं।
- इस योजना में पिछली (यूपीए के अंतर्गत) स्टार योजना की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

अंसगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तवर्ष 2017 में इसके तहत रिकॉर्ड 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण उद्यमियों को सस्ते यात्री वाहन उपलब्ध कराकर युवाओं को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जा रहा है। **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के तहत, सरकार अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए **आजीविका स्टोर** खोलने की योजना भी बना रही है।

पीएमकेवीवाई को प्रभावी बनाने के लिए नवंबर 2016 में इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। जैसे हर पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र पर आधार बायोमेट्रिक्स और सीसीटीवी से निगरानी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षकों के स्टैंडर्ड को पुनर्निधारित किया गया है। बायोमेट्रिक्स की हाजिरी से ये इसकी निगरानी की जाएगी कि छात्र नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। सेक्टर स्किल कौंसिल से दक्षता का प्रशिक्षण पाए प्रशिक्षक तय करेंगे कि प्रशिक्षण हासिल करने आए छात्रों को हुनरमंद बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को उद्यमी बनाने में मदद करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षणदाता केंद्रों के लिए प्रशिक्षण उपरांत "रोजगार मेला" लगवाने का प्रावधान है। ये नई व्यवस्था पूर्व में पीएमकेवीवाई के संचालन में मिली खामियों के निवारण के लिए की गई हैं।

पीएमकेवीवाई से प्रशिक्षण हासिल करके निकले लोगों को उद्यमिता ऋण देने के लिए बैंकों को खास निर्देश दिया गया है। पीएमकेवीवाई से प्रशिक्षित हुनरमंदों की उद्यमिता से नए रोजगार का सृजन हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के जरिए माली, प्रेसमैन, पल्मबर, इलैक्ट्रिक फीटर, हेल्थ वर्कर, सुरक्षा गार्ड, टेलरिंग जैसे दो सौ पच्चीस किस्मों के हुनर के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन अपने आप में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रसाधन बन रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से उच्चस्तरीय कौशल विकास के बड़े प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इन केंद्रों की शुरुआत के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण में लगी कंपनियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा रही है। पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों पर घंटों में सीमित प्रशिक्षण से तैयार प्रशिक्षु आईटीआई व पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर वाले रोजगार पाने के हकदार बन रहे हैं।

पीएमकेवीवाई केंद्रों तक प्रशिक्षुओं को आकर्षित करने के लिए यात्रा भत्ता व रहने–ठहरने के खर्च का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार तलाशने के दौरान दो महीने की आर्थिक मदद सीधे प्रशिक्षु के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने चार वर्षों (2016–20) में एक करोड़ नए लोगों को प्रशिक्षित करने का ध्येय रखा है। इसमें से साठ लाख प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित होंगे तो 40 लाख कार्यरत कर्मचारियों को गुणवत्ता वृद्धि का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए योजना मद से 12000 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आम बजट में रोजगार सृजन के संदर्भ में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का देशभर के 600 जिलों में विस्तार करने की घोषणा की गई।

इसके अलावा विदेश जाकर नौकरी करने वालों का ख्याल रखकर देशभर में सौ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान अनेक सफल रैलियों से यह बात साबित हो चुकी है कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर देश में मौजूद हैं। पहले ये बिना किसी खास प्रशिक्षण के विदेश जाने की तैयारी में रहते थे। खास हुनर के अभाव में विदेशों में भारतीयों के शोषण की शिकायतें आम थी। अब जब प्रशिक्षित होकर यानी हुनरमंद होकर विदेश पहुंचेंगे तो उनके सामने सम्मानजनक रोजगार का संकट नहीं रहेगा।

केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर देने के साथ स्वावलंबन के लिए आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम **"संकल्प"** की शुरुआत की गई है। इसके तहत साढ़े तीन करोड़ युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय वित्तीय प्रावधान के तहत स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम **"स्ट्राइव"** के अगले चरण पर मौजूदा वित्तवर्ष में 2200 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता सहायता योजना

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कुशल श्रमबल तैयार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इसके तहत उद्योग, अभ्यास उन्मुख, प्रभावी और कुशल तरीके से औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसमें नियोक्ता को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रशिक्षु के लिए निर्धारित वजीफे की 25 प्रतिशत राशि सीधे नियोक्ता को दी जाती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सहित उद्योग के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर इस पहल के अंतर्गत 2019–20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की उम्मीद है। देश की प्रौद्योगिकी और औद्योगिक वृद्धि के वास्ते श्रमबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 1950 के दशक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। 2014 से 2017 की अवधि में 3342 नए आईटीआई स्थापित किए गए, जिनमें छात्रों की संख्या बढ़कर 5,85,284 हो गई है। रोजगार या स्वयं का कारोबार शुरू करने के जरिए आईटीआई से लाखों युवाओं को आजीविका कमाने में मदद मिली है। दिसंबर, 2014 में सरकारी आईटीआई में सुधार कर इन्हें आदर्श आईटीआई में परिवर्तित करने की योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग उन्मुखी आईटीआई के लिए मानदंड तैयार करना था, जो अन्य आईटीआई के लिए आदर्श के रूप में होगा और इससे आईटीआई शिक्षा की साख भी बढ़ेगी। इन आदर्श आईटीआई की स्थापना अपने क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें समाधान उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पीपीपी) के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई में सुधार करने की योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 1227 सरकारी आईटीआई को कवर किया गया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप देश में कुशलता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कारों सहित कई अन्य प्रोत्साहन आधारित योजनाएं भी शुरू की हैं।

खर्च किए जाने है। "स्ट्राइव" के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार में इसकी प्रासंगिकता बढ़ाने और औद्योगिक क्लस्टर के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढीकरण पर विशेष जोर है।

पीएमकेवीवाई के साथ केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को सहूलियतों के साथ बढ़ावा देने की बात की है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की नई योजना को गति देने के फैसले की यह प्रमुख वजह है। इसके तहत यूनिक बिजनेस आइडिया वाले व्यापार पर सरकार 55 फीसदी तक सरकारी मदद मुहैया करा रही है।

उद्यमिता के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना महत्वपूर्ण है। इसके जरिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे युवकों को उद्यमी बनाने का उपाय है। व्यवासाय का इच्छुक भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना का लाभ लेकर उद्यमिता शुरू कर सकता है। मुद्रा योजना में बैंक से बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक की मुद्रा सहायता (ऋण मदद) का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत गांवों में मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों खासकर कक्षा 10 और 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान दिया जाएगा। गांवों में स्कूल छोड़ने का रुझान काफी है, इसलिए इस योजना का फायदा ग्रामीणों को ज्यादा मिलने की संभावना है। युवाओं को कौशल मेलों के जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय–स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय–आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए दर्जी, हाथ कढ़ाई, छोटे पोल्ट्री किसान, ई–रिक्शा चालक और तकनीशियन, बढ़ई, सिलाई ऑपरेटर वगैरह शामिल हैं। देश की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत के संरक्षण के लिए चिकनकारी और हस्तनिर्मित खेल के सामान जैसे प्रशिक्षण भी इसके दायरे में हैं। इनके अलावा भी बहुत से क्षेत्रों को ये योजना कवर कर रही है। जो लोग कृषि जगत में शोध और विकास कार्यों से जुड़े हैं, वो भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे लोग किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनकी ये प्रेरणा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार होगी। साथ ही पशु स्वास्थ्य का प्रशिक्षण लेकर भी युवा रोजगार पा सकते हैं।

कौशल और उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च्य प्राथमिकताओं में शामिल है। कौशल विकास का कोर्स करने वालों के लिए 5 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये के कर्ज का प्रावधान है। योजना दो पहलुओं पर काम कर रही है। कम अवधि वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम तो है ही, जो लोग पहले से प्रशिक्षण प्राप्त हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना भी इसमें शामिल है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अल्प अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 लाख 45 हजार 107 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 3 लाख 9 हजार 760 युवा इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 5 लाख 16 हजार 861 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षित लोगों में 54 हजार 563 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। दूसरी ओर, पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त लोगों में करीब चार लाख लोगों ने प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 2 लाख 90 हजार 99 लोगों को प्रमाणपत्र पा चुके हैं।

इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में दूसरे पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान' की मांगों को भी ध्यान में रखा गया है। ये अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन

फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित है। मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाल हर युवा को औसतन 8,000 रुपये का पारितोषिक दिया जाएगा।

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत 100 दिन में 51216 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और हर साल 1 लाख 44 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके लिए फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट की चार नई शाखाएं हैदराबाद, पटना, बनूड़ (पंजाब) और अंकलेश्वर (गुजरात) में खोलीं जा रही हैं ताकि प्रशिक्षण संसाधनों को और विकसित किया जा सके। इस उद्योग में कुशल कामगारों की जबर्दस्त कमी है इसलिए ज्यादातर प्रशिक्षित लोगों को आसानी से काम मिल जाता है।

योजना के राज्य–स्तरीय घटक के रूप में, राज्य कौशल विकास मिशन ने संबंधित राज्यों के शिल्पकारों और हस्तकला समूहों को पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षण के लिए भी प्रोत्साहित किया। देश की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों का निर्माण एक बहुत ही जटिल कार्य है। चिकनकारी, हस्तनिर्मित खेल के सामान आदि पर प्रशिक्षण जैसी पायलट योजनाओं को पीएमकेवीवाई के तहत पहले ही चुना जा चुका है।

1. प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे के मानकीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्पष्ट गुणवत्ता मानक
2. अंतिम परिणाम के एक उपाय के रूप में नियुक्तियों पर अनवरत फोकस
3. उद्देश्यमूलक और प्रक्रिया आधारित निर्णय लेने के ढांचे के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि

इन तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर पीएमकेवीवाई (2016–2020) के लिए सुधरे हुए मानकों को लागू किया जाएगा –

1. **प्रशिक्षण केन्द्रों की एक्रीडिटेशन और मान्यता–** प्रशिक्षण केन्द्रों की एक्रीडिटेशन और मान्यता की नई प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रदाताओं का ध्यान प्रशिक्षण केंद्रों की ओर खींचेगी। सेक्टर स्किल काउंसिल्स विस्तृत बुनियादी ढांचे के दिशा–निर्देशों के आधार पर बनाए जाएंगे, जो निरीक्षण के अधीन होंगे। एक्रीडिटेशन का निर्णय प्रशिक्षण केंद्रों की रेंटिग और ग्रेडिंग पद्धति पर आधारित होगा। संबंधित सेक्टर स्क्लि काउंसिल्स स्वीकृति रोजगार भूमिका के लिए प्रशिक्षण केंद्र को प्रमाणीकरण प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर निरीक्षण और आत्म–रिपोर्टिंग ऐप्सा के माध्यम से प्रौद्योगिकी से लबरेज होगी। इस प्रक्रिया की सहायता के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पॉर्टल (smartnsdc.org) भी विकसित किया जाएगा।
2. **कोर्स की सामग्री का मानकीकरण–** सेक्टर स्किल काउंसिल्स पीएमकेवीवाई (2016–2020) के तहत निर्धारित प्रशिक्षणों के लिए मॉडल सामग्री पाठ्यक्रम का प्रकाशन करेगा, जिससे पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित किए जा सकेंगे। एक मानकीकृत प्रस्तावना किट प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं को दी जाएगी।
3. **प्रशिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण–** संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल्सि में 'ट्रेन द ट्रेनर' के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
4. **विशिष्ट नामांकन और आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली–** बैच निर्माण के समय सभी प्रशिक्षुओं के आधार आईडी की मान्यता जांची जाएगी, जिससे फर्जी नामांकनों से बचाव होगा। पीएमकेवीवाई के तहत आधार कार्ड सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के जरिए उपस्थिति अनिवार्य होगी। पूर्वोतर और जम्मू–कश्मीर के चुने हुए राज्यों में, जहां आधार की उपस्थिति अभी कम है, प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए बायोमेट्रिक उपकरण से उपिस्थिति अनिवार्य है।
5. **आकलन के लिए मोबाइल एप साक्ष्य–** आधारित आकलन के लिए एक नया मोबाइल एप विकसिल किया जा रहा है। यह माना गया है कि ये बेहतर प्रशिक्षण परिणामों को सामने लाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद 70 प्रतिशत मजदूरी वाले रोजगार अनिवार्य बना दिए जाएंगे और प्रशिक्षण प्रदाताओं को उसके अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीएमकेवीवाई बड़े पैमाने पर और निर्धारित गुणवत्ता पर योग्यता–आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह भारतीय कार्यबल, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के नजरिए, ज्ञान और कौशल में सफलतापूर्वक वृद्धि कर रहा है। समय के साथ, यह योजना मौजूदा और भविष्य में रोजगार इकोसिस्टम के लिए एक व्यापक और समग्र कार्यबल प्रदान करेगी।

कौशल विकास योजनाओं को कई स्तर पर वित्तीय मदद देने का प्रावधान है। इनमें राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक और मुद्रा योजना की भूमिका अहम है। मुद्रा योजना आज सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 08 अप्रैल, 2015 को इसकी शुरुआत की।
- बैंकों द्वारा बिना किसी गारंटी के तीन वर्गों – शिशु, किशोर और तरुण के लिए आसान कर्ज उपलब्ध।
- 13 अप्रैल 2017 तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बांटे गए।
- 2016–17 में 1.22 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 2017–18 में इसे दोगुना कर 2.44 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।
- 70 प्रतिशत ऋणों का लाभ महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया।

(लेखक डीडी किसान चैनल में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : malviyakk@hotmail.com

माल और सेवा कर

प्रायः पूछे गए प्रश्न

राष्ट्र कर बाजार

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जीएसटी दरों से संबंधित प्रश्नों की समीक्षा कर प्रायः पूछे गए प्रश्नों का एक संकलन तैयार किया गया है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>लाख या शेल्लैक की चूड़ियों का एचएसएन कोड और जीएसटी की दर क्या है?</td><td>लाख या शेल्लैक की चूड़िया हेडिंग 7117 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 3% है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कुल्फी का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>कुल्फी हेडिंग 2105 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>• लोहे या इस्पात के स्ट्रक्चर हेडिंग 7308 के अंतर्गत वर्गीकृत है और अल्युमिनियम के स्ट्रक्चर 7610 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 18% है।
• सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर, इस आधार पर कि वो किस धातु से बने है, हेडिंग 7308 या 7610 के अंतर्गत वर्गीकृत होंगे और इन पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>इडली डोसा बैटर (गीला गूंथा आटा) का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>इडली डोसा बैटर (गीला गूंथा आटा) {बतौर खाद्य सामग्री मिश्रण}, हेडिंग 2106 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मक्के के दानों का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>मक्का (बीज क्वालिटी), हेडिंग 1005 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी शून्य है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>साड़ी और धोती का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>साड़ी और धोती उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर अलग–अलग हेडिंग में वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर निम्नलिखित है:
<table>
<tr><th>घटक रेशा</th><th>विवरण</th><th>एचएसएन कोड</th><th>जीएसटी दर</th></tr>
<tr><td>रेशम</td><td>रेशम का वोवन फैब्रिक–साड़ियाँ</td><td>5007</td><td>5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">कपास</td><td>200 जीएसएम तक का फैब्रिक</td><td>5208</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>200 जीएसएम से अधिक का फैब्रिक</td><td>5209</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>मैनमेड फिलामेंटस यार्न</td><td>किसी भी जीएसएम का</td><td>5407 या 5408</td><td>5%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर का एचएसएन कोड और जीएसटी की दर क्या है?</td><td>फिल्टर और प्यूरिफायर, हेडिंग 8421 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>ऑर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट्स का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>• ऑर्गेनिक सर्फेस–एक्टिव प्रोडक्ट्स या प्रिपरेशंस या एजेंट्स, हेडिंग 3401 या 3402 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
• साबुन; साबुन में इस्तेमाल के लिए तैयार ऑर्गेनिक सर्फेस एक्टिव प्रोडक्ट्स और सामग्रियाँ, बार, टिकिया, साँचे में तैयार पीस या आकृतियाँ जो कि हेडिंग 3401 {अपवादः 3401 30} के अंतर्गत वर्गीकृत है, उन पर जीएसटी की दर 18% है।
• अन्य ऑर्गेनिक सर्फेस एक्टिव प्रोडक्ट्स और तैयार सामग्रियाँ, जोकि सब–हेडिंग 3401 30 के अंतर्गत और ऑर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट्स और तैयार सामग्रियाँ, जोकि हेडिंग 3402 के अंतर्गत वर्गीकृत है, उन पर जीएसटी की दर 28% है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>राखी पर जीएसटी दर क्या है?</td><td>• पूजा सामग्रियाँ, कलावा (रक्षा सूत्र) सहित, जीएसटी छूट प्राप्त है।
• इसलिए यदि राखी कलावा (रक्षा सूत्र) के रूप में है, तो जीएसटी शून्य होगा।
• अन्य किसी राखी को उसकी निर्माण सामग्रियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार जीएसटी लगेगा।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>नेल पॉलिश पर जीएसटी दर क्या है?</td><td>नेल पॉलिश {चाहे बड़ी मात्रा की पैकिंग में, जैसे 50 से 100 लीटर तक या रिटेल पैक में हों}, हेडिंग 3304 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 28% है।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>गीले खजूर की जीएसटी दर और एचएसएन कोड क्या है?</td><td>गीले खजूर, हेडिंग 0804 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और इस पर जीएसटी की दर 12% है।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>पालतू जन्तु के आहार का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>कुत्ते या बिल्ली का आहार, हेडिंग 2309 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर रेज़िडुअल एन्ट्री क्र. सं. 453 के तहत जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंस, जैसे, एमईआईएस, एसईआईएस और आईईआईएस की बिक्री का वर्गीकरण और जीएसटी की दर क्या है?</td><td>एमईआईएस आदि, हेडिंग 4907 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 12% है।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>पैंट के लिए काटे गए 1.2 मीटर फैब्रिक और शर्ट के लिए काटे गए 2.5 मीटर फैब्रिक का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>निर्दिष्ट फैब्रिक पर जीएसटी की दर 5% है, चाहे वह कट पीस के रूप में हो या नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>मार्बल पाउडर, पत्थर और अनसैचुरेटेड रेज़िन से तैयार, हाथ से बनी सजावटी मूर्तियों एवं सजावटी कलाकृतियों का वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है?</td><td>मार्बल की चीज़ें (जिनमें मार्बल पाउडर, पत्थर और अनसैचुरेटेड रेज़िन से तैयार चीज़ें शामिल हैं), हेडिंग 6802 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 28% है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>अरेकानट/सुपारी के लिए जीएसटी दर क्या होगा?</td><td>• ताज़ा अरेकानट/सुपारी, हेडिंग 0802 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी शून्य है।
• सूखा अरेकानट/सुपारी, हेडिंग 0802 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 5% है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>कपास के बीज के तेल से तैयार टिकिया का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>• कपास के बीज के तेल से तैयार टिकिया, जोकि पानी के जीव जैसे कि श्रिम्प और प्रॉन के आहार, पोल्ट्री आहार और मवेशी के आहार है, पर जीएसटी शून्य है।
• कपास के बीज के तेल से तैयार टिकिया, जिनका अन्य उपयोग है, पर जीएसटी की दर 5% हैं।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>पोर्टेबल और मोबाइल टॉयलेट पर जीएसटी दर क्या है?</td><td>प्री–फैब्रिकेटेड इमारतें, जिनमे पोर्टेबल और मोबाइल टॉयलेट भी आते है हेडिंग 9406 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>आयातित कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (कम्पनसेशन सेस) की दर क्या है?</td><td>आयातित कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की दर 400 रु. प्रति टन है।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>मोबाइल हैण्डसेट की बैटरी के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>मोबाइल हैण्डसेट की बैटरी, हेडिंग 8506 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 28% है।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>इमली का एचएसएन कोड और इस पर जीएसटी दर क्या है?</td><td>• इमली (ताज़ा), हेडिंग 0810 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी शून्य है।
• इमली (सूखी), हेडिंग 0813 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 12% है।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>इमली के कर्नेल के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>इमली का कर्नेल, हेडिंग 1207 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी शून्य है।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>इमली कर्नेल पाउडर के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>इमली का कर्नेल पाउडर, हेडिंग 1302 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>बालों के रबड़ बैण्ड के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>हेयर रबड़ बैण्ड, हेडिंग 4016 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 28% है।</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>खारी और हार्ड बटर के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>खारी और हार्ड बटर, हेडिंग 1905 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>खोया/मावा के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>खोया/मावा दूध के गाढ़े रूप होने की वजह से हेडिंग 0402 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 5% है।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>किसी दवा कम्पनी के प्रिंटेड पेपरबोर्ड मोनो कार्टन/डब्बी पर जीएसटी की दर क्या है और नॉन–कॉरुगेटेड कार्टन और कॉरुगेटेड कार्टन के लिए जीएसटी दर क्या है?</td><td>• कॉरुगेटेड पेपर या पेपर बोर्ड के कार्टन, बॉक्स और केस, हेडिंग 4819 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 12% है।
• नॉन–कॉरुगेटेड पेपर और पेपरबोर्ड के फोल्डिंग कार्टन, बॉक्स और केस, हेडिंग 4819 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर रेज़िडुअल एन्ट्री क्र. सं. 453 के तहत जीएसटी की दर 18% है।</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>किसी किसान द्वारा सप्लाई की गई हेडिंग 2401 के अंतर्गत आने वाली तम्बाकू की पत्तियों पर रिवर्स चार्ज के आधार पर 5% जीएसटी लगता है। तम्बाकू की पत्तियों का क्या अर्थ है?</td><td>जीएसटी की 5% दर वाले तम्बाकू के पत्ते का अर्थ है, तम्बाकू पत्ते या तम्बाकू के पत्ते के कतरन या तम्बाकू के पत्ते की शिखाएँ।</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>इसबगोल के बीजों के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>• इसबगोल बीज, हेडिंग 1211 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
• ताज़े इसबगोल बीजों पर जीएसटी शून्य है।
• इसबगोल बीज सूखे या फ्रोज़न हों तो जीएसटी 5% है।</td></tr>
<tr><td>30.</td><td>इसबगोल की भूसी का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>इसबगोल भूसी, हेडिंग 1211 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 5% है।</td></tr>
<tr><td>31.</td><td>गिरी और सूखे नारियल का एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है?</td><td>• नारियल, ताज़े या सूखे, छिलका लगा या छीला हो, हेडिंग 0801 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी शून्य है। एचएसएन की विवरणात्मक टिप्पणियों के अनुसार, इस हेडिंग में गिरी, नारियल का सूखा गूदा शामिल नहीं है, जिससे नारियल तेल (1203) निकाला जाता है।
• गिरी, हेडिंग 1203 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस पर जीएसटी की दर 5% है।</td></tr>
<tr><td>32.</td><td>फुटवियर जिसका खुदरा बिक्री मूल्य 500 रु. से अधिक नहीं है (बशर्ते यह खुदरा बिक्री मूल्य फुटवियर पर ऐसे अंकित या एम्बॉज़ किया हो कि मिटे नहीं) तो 5% जीएसटी लगता है। क्या इस खुदरा बिक्री मूल्य में जीएसटी शामिल है?</td><td>• लीगल मेट्रोलॉज़ी (पैकेज्ड माल) नियम, 2011 के अनुसार, खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) वह अधिकतम मूल्य है जिसपर किसी पैकेज्ड माल को ग्राहक को बेचा जा सकता है और इसमें सभी कर शामिल हैं।
• इसी लिये, किसी पैक पर अंकित खुदरा बिक्री मूल्य में जीएसटी शामिल है।
• फुटवियर पर जीएसटी 5% होगा यदि आरएसपी प्रति जोड़ा 500 रु. से अधिक न हो। जीएसटी 18% होगा यदि आरएसपी प्रति जोड़ा 500 रु. से अधिक हो।
• हालाँकि, जीएसटी ट्रांज़ैक्शन मूल्य पर देय होगा।</td></tr>
<tr><td>33.</td><td>रेडीमेड कपड़ों का बिक्री मूल्य यदि प्रति कपड़ा 1000 रु. से अधिक न हो तो 5% जीएसटी लगता है। रेडीमेड कपड़ों का बिक्री मूल्य यदि प्रति कपड़ा 1000 रु. से अधिक हो तो 12% जीएसटी लगता है। एक सप्लायर कैसे निर्धारित करे कि रेडीमेड कपड़ों पर किस दर से जीएसटी लगेगा?</td><td>• नोटिफिकेशन में बिक्री मूल्य का अर्थ ऐसे रेडीमेड कपड़ों का ट्रांज़ैक्शन मूल्य है न कि खुदरा बिक्री मूल्य।
• इसका अर्थ यह है कि यदि कोई थोक विक्रेता प्रति पीस 950 रु. के ट्रांज़ैक्शन मूल्य पर रेडीमेड कपड़े खुदरा विक्रेता को बेचता है तो ऐसे रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी 5% होगा।
• हालाँकि, यदि खुदरा विक्रेता ऐसे रेडीमेड कपड़े प्रति पीस 1100 रू. पर बेचता है तो ऐसे रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी 12% होगा।</td></tr>
<tr><td>34.</td><td>चॉकलेट 'संदेश' बंगाली मिष्ठी पर क्या जीएसटी दर है?</td><td>संदेश में चॉकलेट हो या नहीं, जीएसटी की दर 5% है।</td></tr>
</table>

davp 15502/13/0151/1718

डिस्कलेमर : उपरोक्त उत्तर केवल शैक्षणिक और मार्गदर्शन के उद्देश्य हेतु हैं तथा इनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें **http://www.cbec.gov.in; www.cbec-gst.gov.in**

माल और सेवा कर - अच्छा है सरल है

जीएसटी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए @askGST_GoI पर ट्वीट करें
हेल्पडेस्क : 1800-1200-232, 0120-4888999

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभाग

बुनकरों के कल्याण को प्राथमिकता

भारत सरकार कपड़ा बुनकरों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। तीसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 7 अगस्त, 2017 को गुवाहाटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कपड़ा राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा ने कहा कि वह सिर्फ उनकी सराहना ही नहीं करते बल्कि कपड़ा बुनकरों की प्रतिबद्धता, समर्पण और कौशल को भी सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ा बुनकर अपने उत्पादों के उचित मूल्य पाने में सक्षम हो सकेंगे और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। बुनकरों के कल्याण के लिए कई पहल की गई हैं–

- भारत सरकार की हथकरघा संवर्धन सहायता स्कीम के तहत बुनकर नए करघों की लागत का 90 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।
- मुद्रा स्कीम के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा बुनकरों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए किसी तरह की सुरक्षा राशि की जरूरत नहीं है।
- कपड़ा मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) में बुनकरों के बच्चे जो स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा पा रहे है, उनकी फीस का 75 फीसदी भुगतान सरकार द्वारा करने के लिए उनके साथ सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्री टम्टा ने असम के मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि असम के बुनकरों के कल्याण के लिए राज्य की सभी जरूरत को केंद्र पूरा करेगा।

असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के लिए गुवाहाटी को चुनने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की 50 फीसदी से ज्यादा बुनकरों की आबादी पूर्वी उत्तर क्षेत्र में रहती है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों का सशक्तीकरण करना है। श्री सोनोवाल ने यह भी कहा कि पूर्वी उत्तर की हथकरघा क्षेत्र में काफी भूमिका है।

कपड़ा सचिव श्री अनंत कुमार सिंह ने कहा कि हमारे बुनकर बहुत मेहनती हैं, उनके सृजन में हृदय और अस्मिता भी दिखती है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ जरिए ढूंढ़ने होंगे जिससे कि बुनकरों की आमदनी बढ़ सके और उन्हें उनके उत्पाद का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।

इस अवसर पर कपड़ा मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्रों के बीच सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत बुनकरों को एक ही छत के नीचे यानी वीवर सर्विस सेंटर (डब्ल्यूएससी) से सरकारी सेवाएं मिलेंगी। डब्ल्यूएससी बुनकरों के लिए एक केन्द्र है जो विभिन्न सेवाएं देता है जिसमें बैंकिंग, पासपोर्ट, बीमा, पैन कार्ड, पहचान–पत्र और आधार शामिल हैं। डब्ल्यूएससी के तहत ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जिससे बुनकर अपने बिजली बिलों का भुगतान भी कर सकें।

केंद्रीय वस्त्र और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी 7 अगस्त, 2017 को तीसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पूर्व असम में गुवाहाटी में आयोजित एक हथकरघा प्रदर्शनी में

कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएं

–डॉ. सीमा

स्किल इंडिया पहल के माध्यम से महिलाओं को गैर–पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जा सके। महिलाओं के संदर्भ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है।

मैं एक समुदाय की प्रगति का पैमाना महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति को मानता हूं......

बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर

आज विश्व प्रगति की राह पर कामयाबी के नित नए मुकाम को छू रहा है, हमने लगातार गरीबी को घटते देखा है, शिक्षा का स्तर बढ़ते देखा है। हालांकि, यह प्रगति असमान है, समाज में आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं, और कई मामलों में पहले से ज्यादा विषम हो गई हैं जिसके फलस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण महिलाएं इस प्रगति से आज भी अपने जीवन को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को मुख्यधारा से जोड़ने में रूकावट महसूस करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ में समावेशी विकास के नए उद्देश्य से 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी) 2015' का संकल्प प्रस्तुत किया जिसके प्राप्ति का लक्ष्य 2015 रखा गया था। इन लक्ष्यों के अनुभव तथा बदलती दुनिया की जरूरतों के आधार पर विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से 'सतत विकास लक्ष्य (एस डी जी) : 2030' को सितंबर 2015 के संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन के दौरान 193 सदस्य देशों ने अपनाया तथा 1 जनवरी, 2016 से पूरे विश्व में एक साथ लागू किया। इस घोषणापत्र के 17 लक्ष्य हैं जोकि 169 अलग–अलग क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से चिह्नित करते हुए अगले पंद्रह सालों में लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं।

'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी) : 2015' का लक्ष्य तीन "लिंग भेद की समानता के साथ ही महिला सशक्तीकरण" को समर्पित था वहीं 'सतत विकास लक्ष्य" में महिलाओं से जुड़े मुद्दे को व्यापक फलक पर देखा गया है। लक्ष्य चार, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और लक्ष्य पांच लैंगिक समानता महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्य चार में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं के लिए भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा की उपलब्धता के साथ ही ऐसी शिक्षा सुविधाओं का विकास और अवनयन करना जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करें। वहीं लक्ष्य–5 में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी जगह सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करना हैं। मानव तस्करी, यौन शोषण और अन्य प्रकार शोषण सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना। बाल विवाह, बलात विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना। राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और जीवन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार के साथ ही ज़मीन और अन्य संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, पैतृक और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर समान अधिकार देना। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ अन्य तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नीतियों और प्रवर्तनीय कानून को मजबूत बनाने की बात की गई है।

भारत में महिलाओं की सामान्य व्यथा है, वो एक ही परिवेश में रहती हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि उनका खुद पर भी अधिकार नहीं होता। किसी भी आय या संपत्ति के

महिला उद्यमिता कार्यक्रम 'ट्रीड'

व्यापार संबद्ध उद्यमिता विकास सहयोग योजना (ट्रीड) में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का विचार है। प्रशिक्षण, परामर्श, प्रदर्शनियों में भागीदारी, नए एसएचजी की स्थापना जैसी क्षमता निर्माण की गतिविधियों तथा बैंक/संचालन समिति द्वारा मंजूर किए गए अन्य घटकों को चलाने के लिए ऋणदाता संस्थान/बैंक गैर–सरकारी संगठनों को जो भी ऋण देते हैं, उसकी 30 प्रतिशत तक राशि, जो अधिकतम 30 लाख रुपये होगी, भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।

योजना का जोर अधिकतर गैर–कृषि क्षेत्र के स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। महिलाओं द्वारा की जाने वाली गैर–कृषि गतिविधियों में आमतौर पर सिलाई, हस्तशिल्प, कशीदाकारी, खिलौने बनाना, रेडीमेड परिधान, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, कागज के कप–प्लेट निर्माण, मसाला पाउडर निर्माण, साड़ी बुनना, चटाई बुनना, अचार निर्माण, टोकरी एवं झाडू निर्माण, जूट के थैले बनाना आदि शामिल हैं।

अधिकार से निहित, हाशिए पर खड़े दलित और जनजाति समुदाय से ज्यादा पीड़ित और मजबूर दिखती हैं। महिलाएं समाज के हर स्तर पर शोषित और पीड़ित हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (2017) के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मेरी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह भारत की प्रगति की हमारी परिकल्पना तथा हमारे सभी नागरिकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन एवं अवसर के केंद्र में है।' उन्होंने इस परिकल्पना को हकीकत में बदलने की सरकार की प्रतिद्धता को दोहराया। भारत की 71.2 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जहां महिलाओं की समस्याएं और जटिल हैं। शिक्षा या विशिष्ट कौशल रोजगार के अवसर के अभाव में अधिकतर ग्रामीण महिलाएं घरेलू कार्य में कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कार्य में कार्यरत महिलाओं का अनुपात एन.एस.एस.ओ के 61 वें दौर में (2004–05) 35.3 प्रतिशत से बढ़कर 66 वें दौर (2009–10) में 40.1 प्रतिशत हुआ जोकि आगे पुनः 68 वें दौर (2011–12) के दौरान बढ़कर 42.2 प्रतिशत रहा।

सतत विकास लक्ष्यों के ध्यान में रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं ने महिलाओं के उत्थान को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत नीतिगत पहल की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शारीरिक श्रम आधारित कार्यों को कौशल–आधारित बनाना हैं। प्रस्तुत आलेख के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु, सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया तथा दीनदयाल अंत्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण जीवोकोपार्जन मिशन देखने का व्यापक प्रयास किया गया है।

स्किल इंडिया

राष्ट्रीय–स्तर पर भारत में दसवीं की पढाई अधूरी छोड़ने वालों का अनुपात 17.86 प्रतिशत है। महिलाओं के संदर्भ में यह अनुपात 17.79 प्रतिशत है, अधूरी शिक्षा का मुख्य कारण, महिलाओं की कम उम्र में शादी, शिक्षा संस्थान का घर से दूर होना तथा गरीबी हैं। जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही जीवन–स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने **स्किल इंडिया मिशन** की शुरुआत वर्ष 2015 में की जिसके माध्यम से युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को गैर–पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जा सके। महिलाओं के संदर्भ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है।

लिंग–भेद के अंतर को पाटने के लिए, इस नीति के तहत विशेष वितरण तंत्र की आवश्यकता को चिह्नित किया गया हैं,जैसे मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयां, स्थानीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के साथ ही घरेलू महिलाओं के लिए दोपहर में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य 'वित्तरहित को वित्तपोषित' कराना है जिसके तहत प्रशिक्षित उद्यमियों को ऋण प्रदान कर उद्यमिता को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **'महिला उद्यम निधि'** नामक एक विशेष कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है जिसके तहत सभी तीन श्रेणियों यानी 'शिशु' 'किशोर' एवं 'तरुण' के अंतर्गत ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। मुद्रा की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 के अनुसार 2015–16 के दौरान पीएमएमवाई के तहत समर्थित कुल 3.49 करोड़ उद्यमों में से 36 प्रतिशत (1.25 करोड़ खाते) नए उद्यमियों के हैं, कुल योग में महिलाओं का अनुपात 79 प्रतिशत (2.76 करोड़) जिसे (चित्र 1 और 2) के जरिए दर्शाया गया है।

स्टैंडअप इंडिया

खंडित समाज में स्त्री श्रम, समानता और सौंदर्य का सहज प्राकृतिक मिश्रण है। सरकार की स्टैंडअप इंडिया ने इसे सम्बल प्रदान किया हैं। स्टैंडअप इंडिया पहल का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना एवं उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत समाज के हाशिए पर खड़े अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ ही महिलाओं के लिए उद्यमिता के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने की योजना है। इस पहल में इन श्रेणियों के कम–से–कम दो इच्छुक उद्यमियों को ऋण मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बकौल प्रधानमंत्री यह योजना नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में तब्दील करेगी। स्टैंडअप इंडिया की पहल से महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

चित्र–1, विभिन्न संस्थानों द्वारा नए उद्यमियों को ऋण प्रदत खातों की संख्या

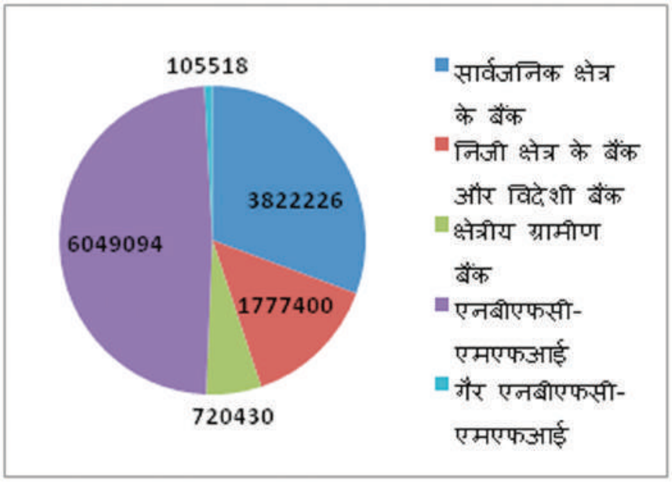

चित्र–2 विभिन्न संस्थानों द्वारा नए महिला उद्यमियों को ऋण प्रदत खातों की संख्या

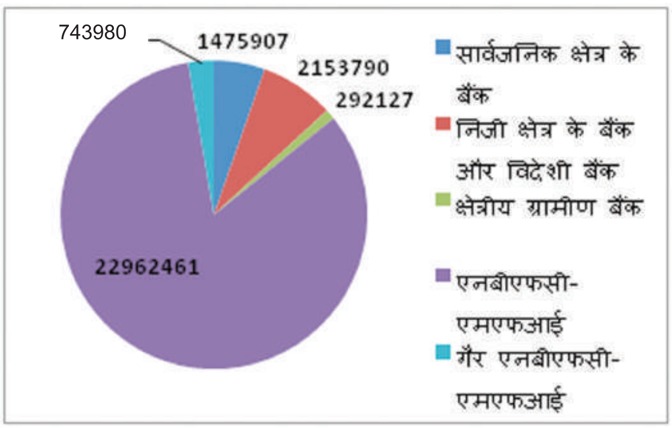

स्रोत : मुद्रा वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 (http://www-mudra-org-in/)

'स्टैंडअप इंडिया' योजना अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत हर बैंक शाखा को औसतन एक ऋण प्रत्येक वर्ग के लाभार्थियों को (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला), को सुनिश्चित करना है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए यह अनिवार्य है कि ऐसे उद्यम में अनु.जाति/जनजाति या महिला उद्यमियों की आयोजित शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी का 51 प्रतिशत होना अपरिहार्य है। इस योजना को सुदृढ़ करने के तहत 1.25 लाख बैंक शाखाओं को जोड़ा गया हैं। साथ ही स्टैंडअप इंडिया के पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की सहायता के 17,000 से अधिक सहायता केंद्रों की उपलब्धता की गई हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है जिसका लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के द्वारा वितरण का प्रावधान किया हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय–स्तर पर इस योजना के तहत भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्देशित **महिला कॉयर योजना** को सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला सशक्तीकरण की राह में यह अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत कॉयर बोर्ड तटीय प्रदेशों की ग्रामीण महिलाओं में कौशल शिक्षा प्रदान करता है जिससे वो खुद को और अपने परिवार को गरीबी से निकालने में सहायक हो सकें।

दीनदयाल अन्त्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन

अपनी पुस्तक 'स्केप फ्रॉम फ्रीडम' में मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने महिलाओं में 'स्वतंत्रता से भय' की अवधारणा की बात की है। दर्शन की दुनिया में इसे ही 'यथास्थितिवाद' कहा गया है। जहां आप जिस परिस्थिति में हैं, उसी में ही आदतन ढल जाते हैं और उसे बदलने के नाममात्र से डर जाते हैं भले ही वह बुरी परिस्थितियां क्यूं न हों। ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए **दीनदयाल अंत्योदय– राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन** का गठन किया गया है। इस योजना के तहत 'स्वयंसहायता समूह' के जरिए महिलाओं को इकट्ठा कर एक समूह का रूप दिया गया है, जहां वह अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े मुद्दों को संगठित स्वर देती हैं। यह समूह 'गरीबों के लिए गरीबों का' की तर्ज पर कार्य करता है। संभवतः महिलाओं से संबंधित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में यह विश्व की सबसे बड़ी पहल है, जिसका लक्ष्य लगभग 70 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

इस परियोजना के वित्त की जिम्मेदारी भारत सरकार तथा विश्व बैंक के सामूहिक योगदान से पूर्ण की जाती है। विश्व बैंक की 8 अगस्त, 2017 को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना ने अपने लक्ष्य सामाजिक लामबंदी, संस्था निर्माण और सामुदायिक बचत को प्राप्त कर लिया हैं। फिलहाल, इस परियोजना में भाग लेने वाले 13 राज्यों के 161 जिलों के 571 ब्लॉकों में लागू किया गया है। यह कार्यक्रम 7.5 लाख से अधिक परिवारों को 6.5 लाख एसएचजी में संगठित करके चलाया जा रहा है। इन एसएचजी को 41000 ग्राम संगठनों (वीओ) में संगठित किया गया है जिनमें से 4.08 लाख एसएचजी इन ग्राम संगठनों के (वीओ) नेटवर्क का हिस्सा हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू–जीकेवाई)

डीडीयू–जीकेवाई परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 25,696 रुपये प्रति व्यक्ति से एक लाख रुपये तक के प्लेसमेंट से जुड़े स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए धन मुहैया कराया जाता हैं। इस पहल के माध्यम से महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थांतरण सहायता केंद्र की स्थापना कर विस्थापित महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखा जाता हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : seema.chaudharys@gmail.com

जागो ग्राहक जागो

राष्ट्र 1 कर 1 बाजार जीएसटी

जीएसटी के अंतर्गत घरों पर कर देयता कम है।

घर के खरीददारों के लिए खुशखबरी

सीबीईसी एवं राज्यों को कई शिकायतें मिली हैं कि चूँकि जीएसटी के अंतर्गत निर्माणाधीन फ्लैट, काम्प्लेक्स इत्यादि के मामले में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा पर कर की दर 12% है, इसलिए जो लोग फ्लैट बुक कर के कुछ भुगतान 1 जुलाई, 2017 से पहले कर चुके हैं, उन्हें 1 जुलाई, 2017 के बाद की देय राशि पर अधिक कर का भार सहने के लिए कहा जा रहा है। यह जीएसटी कानून के विरुद्ध है, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है।

- जीएसटी के अंतर्गत फ्लैट, काम्प्लेक्स एवं भवनों/बिल्डिंगों के निर्माण पर पहले लगने वाले अनेक केन्द्रीय एवं राज्य करों की तुलना में जीएसटी का भार कम है।
- भवन निर्माण में लगने वाली अधिकतर सामग्री पर पहले 12.5% की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय था। सीमेंट पर कर की दर और भी अधिक थी। भवन निर्माण सामग्री पर अधिकतर राज्यों द्वारा 12.5% से लेकर 14.5% की दर से वैट लगाया जाता था। इसके अलावा निर्माण सामग्री पर राज्यों द्वारा प्रवेश कर भी लगाया जाता था। सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु इन सभी करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता था। कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत देय वैट के भुगतान हेतु भी इन सभी करों का लाभ प्राप्त नहीं था। अतः पहले फ्लैट के मूल्य में करों पर कर का भार भी शामिल रहता था।
- परिणामस्वरूप, निर्माण सामग्री पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, प्रवेश कर इत्यादि जो बिल्डरों द्वारा दिया जाता था, उसे फ्लैट के मूल्य में शामिल कर ग्राहक से वसूला जाता था। चूँकि यह फ्लैट के मूल्य में शामिल था, यह ग्राहक को दिखाई नहीं पड़ता था।
- पहले फ्लैट, मकान या ऑफिस के कंसट्रक्शन पर सर्विस टैक्स की दर 4.5% थी। इसके अतिरिक्त कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत 1% वैट भी देय था। खरीददारों को दिखने में कर की दर 5.5% लगती थी। कुछ राज्यों तथा शहरों में कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत वैट की दर 2% या उससे भी ज्यादा थी वहां क्रेता को दिखने वाला कर केवल 6.5% लगता था। किन्तु उपभोक्ता फ्लैट की लागत में शामिल इनपुट टैक्स का भार और करों पर लगने वाले कर को जान नहीं पाता था।
- जीएसटी के अंतर्गत परिस्थिति भिन्न है। जीएसटी के अंतर्गत लागू 12% रेट को ऑफसेट करने के लिए पूरा इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है। परिणामस्वरूप सन्निहित (एम्बेडेड) इनपुट टैक्स फ्लैट की लागत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। जीएसटी की लागू 12% दर का भुगतान उपलब्ध इनपुट क्रेडिट से ही पूरा हो जाना चाहिए और इसी कारण से बिल्डरों को बचे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उपलब्ध नहीं है।
- बिल्डरों से उम्मीद की जाती है कि वे जीएसटी के अंतर्गत घटे हुए कर के भार का फायदा कीमत/किश्त कम करके क्रेताओं तक पहुँचाएंगे। सभी बिल्डरों/कंसट्रक्शन कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए उपभोक्ताओं से जीएसटी लागू होने के बाद देय किश्त (सभी करों सहित) की अधिक राशि ना मांगें।
- इस कानूनी स्पष्टीकरण के उपरांत भी अगर कोई बिल्डर ऐसा करता है तो इसे जीएसटी कानून की धारा 171 के अंतर्गत मुनाफाखोरी (प्रोफीटियरिंग) माना जायेगा।

davp 15502/13/0144/1718

माल और सेवा कर - अच्छा है सरल है

जीएसटी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए @askGST_GoI पर ट्वीट करें
www.cbec.gov.in, www.cbec-gst.gov.in

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभाग

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण - 2017

स्वच्छ भारत अभियान

भारत का अभी तक का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम **स्वच्छ भारत अभियान** माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्तूबर, 2014 को आरंभ किया गया।

अभियान – 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का सपना पूरा करना।

प्रमुख उपलब्धियां – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) **एसबीएम–जी आरंभ होने के बाद से**

शौचालय बने – **4.56 करोड़**

ओडीएफ घोषित – एसबीएम (जी) आरंभ होने के बाद से **220578** ग्राम तथा **98632** ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता और शहरी विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 अगस्त, 2017 को स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) 2017 लांच करते हुए

सर्वेक्षण के उद्देश्य

भारत में 4626 गांवों के 1.4 लाख परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण **"स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण – 2017"** किया गया, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता की व्यापकता को निम्नलिखित मानकों पर कसा गया था–

- शौचालयों की उपलब्धता
- शौचालयों का प्रयोग
- कचरे और ठहरे हुए अपशिष्ट जल की उपस्थिति
- **सर्वेक्षण के आंकड़े**
- शामिल किए गए राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश – 32
- शामिल किए गए जिले – 696
- **पद्धतिः प्राथमिक नमूना इकाई – गांव**
- **आकार के अनुपात में संभावना (पीपीएस)** की नमूना पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4626 गांवों का आवंटन।
- गांवों के चयन के लिए **प्रतिस्थापन के बगैर सामान्य औचक या रैंडम नमूने** की पद्धति अपनाई गई।
- गांवों के भीतर जिन परिवारों का सर्वेक्षण होना था, उन्हें रैंडम नमूनों या सैंपलिंग के जरिए चुना गया।

सर्वेक्षण का क्रियान्वयनः सर्वेक्षण की योजना

- आकलन का समय – मई तथा जून, 2017 (8 सप्ताह)।
- 300 आकलनकर्ताओं का दल काम पर लगाया गया।
- 40 सदस्यीय नियंत्रण–कक्ष।
- मोबाइल–आधारित एप्लिकेशन का प्रयोग कर वास्तविक समय में जानकारी एकत्र की गई; सभी परिवारों तथा शौचालयों की जियो–टैगिंग की गई तथा नमूनों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह के चित्रों का प्रयोग किया गया।

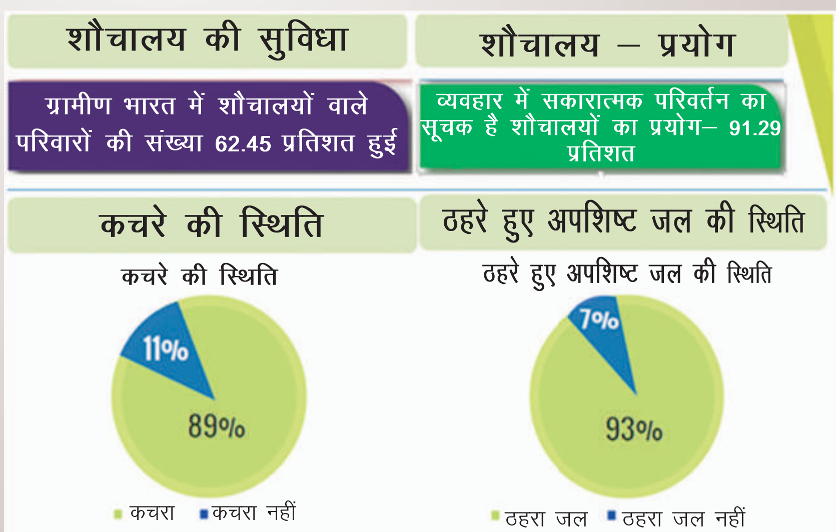

अध्ययन में प्रत्यक्ष अवलोकन के निष्कर्ष

- 4289 आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया गया और पाया गया कि 65 प्रतिशत आंगनवाड़ियों में शौचालय की सुविधा है और 86 प्रतिशत आंगनवाड़ियां कचरे से मुक्त हैं।
- 1670 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया गया और पाया गया कि 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय की सुविधा है और 83 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कचरे से मुक्त हैं।

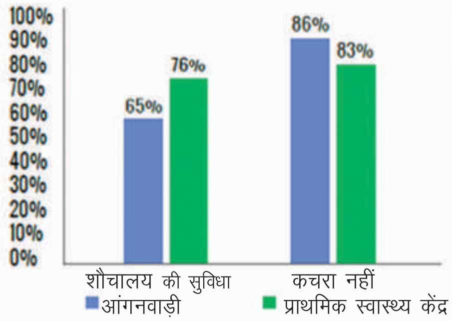

गुणवत्ता निगरानी एवं मूल्यांकन – 3 स्तरों पर गुणवत्ता जांच

- **आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण** – विभिन्न स्थानों पर कक्षा तथा क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **वॉर रूम** – क्षेत्र में समन्वय पर नजर रखने तथा गुणवत्ता जांचने के लिए चौबीसों घंटे का वॉररूम
- **त्वरित प्रतिक्रिया दल** – गुणवत्ता एवं तालमेल की जांच के लिए औचक निरीक्षण हेतु समर्पित त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया गया।

गंगा किनारे के सभी गांव ओडीएफ घोषित

गंगा के किनारे पर बसे 52 जिलों के सभी 4480 गांव ओडीएफ घोषित किए गए हैं। यह जिले पांच राज्यों– उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हैं। 12 अगस्त, 2017 को इलाहाबाद के नैनी में हुए गंगा गांव सम्मेलन **नमामि गंगे परियोजना** के तहत इन्हें ओडीएफ घोषित किया गया। यह घोषणा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने की। बाद में जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती और श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गंगा ग्राम मॉडल लांच किया। इसके लिए 24 नमामि गंगे गांवों की पहचान की गई है। इन्हें **'आदर्श गंगा ग्राम'** बनाया जाएगा। गंगा ग्राम योजना, जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। इन गांवों के ग्राम प्रधानों ने आदर्श गंगा ग्राम का लक्ष्य हासिल करने की शपथ भी ग्रहण की। शपथ जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती ने दिलाई।

स्वच्छता रथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, सुश्री उमा भारती और श्री तोमर ने हरी झंडी दिखाकर 30 स्वच्छता रथों को भी रवाना किया। रथ वास्तव में मोबाइल वैन थी, जिनमें स्वच्छता की फिल्में दिखाने के लिए एलईडी पैनल लगे थे और गांवों में समुदायों को साथ लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक टीम भी थी। रथ पूरे प्रदेश में घूमें और जन–जागरूकता फैलाने का काम किया। साथ ही समुदाय के सदस्यों का व्यवहार परिवर्तन करने में भी मदद की।

गंगा ग्राम - एक नज़र

- राज्यों तथा जल संसाधन मंत्रालय के सुझावों के अनुसार 5 राज्यों में 24 आदर्श **"गंगा ग्राम"** विकसित किए जाएंगे।
- उत्तराखंड में 3 गांव, उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 4, झारखंड में 5 और पश्चिम बंगाल में 2 गांव चिह्नित किए गए हैं।
- राज्य/मंत्रालय क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला एवं राज्य–स्तरों पर संसाधन आवंटित करेंगे।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) समूची प्रायोगिक परियोजना का समन्वय करेंगे।

गंगा ग्रामों की विशेषताएं (एनएमसीजी के दिशानिर्देश)

- परिवारों में 100 प्रतिशत शौचालयों के साथ खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) गांव
- नालियों की प्रणाली के जरिए अपशिष्ट जल की समुचित निकासी
- ठोस कचरे का समुचित निपटारा
- वर्षा जल संचयन/भूजल आपूर्ति/कुओं तथा तालाबों के रखरखाव समेत जल संरक्षण की गतिविधियां
- औषधीय पौधों और जैविक खेती को प्रोत्साहन देना।

गंगा ग्रामों की विशेषताएं (एनएमसीजी दिशानिर्देश)

- आधुनिक तकनीकों वाले श्मशान स्थलों का निर्माण
- गांव के तालाबों की मरम्मत
- छिड़काव के जरिए सिंचाई को बढ़ावा देना
- पर्यटन को प्रोत्साहन
- गंगा ग्रामों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल बिठाना तथा उनका क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ करना।

गंगा तट को खुले में शौच से मुक्त कराने की राह की चुनौतियां

- भारी संख्या तथा बड़ा भौगोलिक दायरा
- राज्यों में बालू की अनुपलब्धता
- गंगा के मैदान में बाढ़
- उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव
- दियरा गांवों की समस्याएं
- बिहार में विभागों में बदलाव जैसे प्रशासनिक मुद्दे
- धन की अनुपलब्धता

उपाय

- जिलाधिकारियों के लिए विशेष अनुकूलन कार्यक्रम

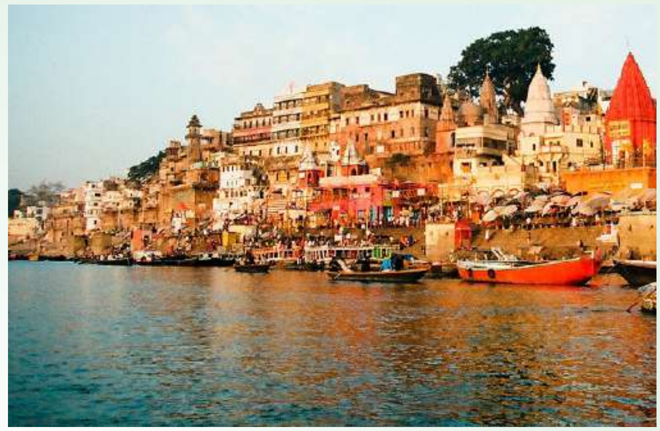

- सीएलटीएस तथा व्यवहार परिवर्तन के लिए आभासी कक्षाएं
- इलाहाबाद में 20 अगस्त, 2016 को गंगा ग्राम पंचायत सम्मेलन
- एसबीएम–जी मशीनरी तथा धन का प्रयोग किया गया
- प्रधानमंत्री, जल संसाधन एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्री और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से लगातार मार्गदर्शन
- पीएमओ, कैबिनेट सचिव की ओर से लगातार समीक्षा
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव, नोडल अधिकारी और टीम द्वारा सख्त जांच
- राज्यों के साथ सभी स्तरों पर लगातार संवाद

ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन के लिए रणनीति

- स्थिति का विश्लेषण
- आधार सामग्री
- सामुदायिक सहभागिता अभियान के जरिए गुणात्मक जानकारी का संग्रह
- सामुदायिक परामर्श तथा क्षमता निर्माण
- क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए सामुदायिक–स्तर के संस्थानों का निर्माण
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना
- क्रियान्वयन के लिए चरणवार कार्ययोजना तैयार करना
- डीपीआर तथा कार्ययोजना को ग्रामसभा में समुदाय द्वारा स्वीकृति मिलना
- कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

राज्य/मंत्रालय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए रणनीति

- राज्य/जिला–स्तर पर अनुकूलन एवं परामर्श

- नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
- विभिन्न विभागों के साथ सभी तीन स्तरों पर तालमेल
- धनराशि एनएमसीजी/अन्य संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त होगी
- घटनाक्रम एवं कार्य साझा करना।

आगामी कदम

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राज्यों/जिलों के साथ प्रारंभिक विचार–विमर्श।
- 12 अगस्त, 2017 को इलाहाबाद में गंगा ग्राम परियेाजना का शुभारंभ।
- कार्य आवंटन के लिए मंत्रालय/राज्य–स्तरीय विचार–विमर्श
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए समुचित नमूने तलाशना तथा लागू करना।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संयुक्त दल कार्य की निगरानी करेगा।

स्वच्छ-a-thon 1.0

केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, साफ–सफाई और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर अभिनव विचार प्राप्त करने के लिए 'स्वच्छ-a-thon 1.0' नामक स्वच्छ भारत हैथॉन का आयोजन कर रहा है। राउंड एक 2 अगस्त से 25 अगस्त, 2017 तक संपन्न हो चुका है। राउंड 2 हैथॉन 07 सितंबर, 2017 को शुरू होगा। 08 सितंबर को ग्रैंड फाइनल होगा। इस संबंध में ऑनलाइन प्रविष्टियां जमा करने के लिए एक विशेष पोर्टल 02 अगस्त, 2017 से ऑनलाइन कर दिया गया है (http://innovate.mygov.in/swachhathon-1.0/)।

मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों में अभिनव समाधान आमंत्रित किए हैं–

- पहाड़ी, सूखा, बाढ़ प्रभावित और दूरदराज के इलाकों के लिए अभिनव, सतत, पर्यावरण अनुकूल और सस्ती शौचालय प्रौद्योगिकी।
- शौचालयों के उपयोग पर निगरानी के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान।
- शौचालय प्रयोग और स्वच्छता के संबंध में लोगों के व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान।
- विद्यालयों के शौचालयों के संचालन एवं देखरेख को बेहतर करने के लिए अभिनव मॉडल और तरीके।
- मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) के लिए अभिनव समाधान।
- मल पदार्थों के जल्द अपघटन के लिए अभिनव समाधान।

पात्रता मापदंड

1. हैथॉन में कोई भी व्यक्ति (विदेशी भी) शामिल हो सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं है।
2. स्कूल, कॉलेज के छात्रों, व्यावसायियों, संस्थानों, स्टार्टअप सहित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह/टीम द्वारा प्रविष्टियां जमा की जा सकती हैं, पर ध्यान रहे कि एक टीम में अधिकतम 10 प्रतिभागी ही शामिल हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए mygov.in पोर्टल को देखें।

नए भारत के लिए 'संकल्प से सिद्धि' छवि वाला प्रतीक चिन्ह बनाएं

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "संकल्प से सिद्धि" के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों को "नए भारत" का प्रतीक चिह्न अर्थात् लोगो बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो 2017 से 2022 तक सभी भारतीयों को साथ लेकर चलने वाले इस आंदोलन की आकांक्षाओं एवं भावना को प्रकट करे।
- 2022 तक नए भारत के निर्माण की बुनियाद डालने वाला 2017 का संकल्प उस लोगो से झलकना चाहिए। लोगो का प्रयोग सरकार तथा नागरिक नए भारत के निर्माण हेतु अपने एकजुट प्रयासों को प्रकट करने के लिए करेंगे। इसीलिए चुना गया लोगो अगले पांच वर्षों में भारत में सबसे ज्यादा दिखने वाले चिह्नों में शामिल होगा।
- प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर, 2017 है। अधिक विवरण www.mygov.in पर देखें।

स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **'संकल्प से सिद्धि'** के अंतर्गत 2022 तक देश को गंदगी और कचरे से मुक्त कराने का जन संकल्प लेकर नए भारत का निर्माण करने का स्पष्ट आह्वान किया है। इस विचार के अनुरूप स्वच्छता को जन–आंदोलन बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 17 अगस्त से 08 सितंबर, 2017 तक देशभर में फिल्म, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन और इससे जुड़े कार्यों में बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल करना है।

'स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि' बैनर तले आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिताओं के विषय हैं –

- **फिल्म प्रतियोगिता – भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा योगदान**
- **निबंध प्रतियोगिता – मैं स्वच्छ भारत के लिए क्या करूंगा/करूंगी?**
- **चित्रकला प्रतियोगिता – मेरे सपनों का स्वच्छ भारत**

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के आधार पर 2 अक्तूबर, 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये प्रतियोगिताएं 8 सितंबर, 2017 तक संपन्न हो जाएंगी।

1) फिल्म प्रतियोगिता : फिल्म किसी भी भाषा में हो सकती है अथवा मूक हो सकती है– यह आवश्यक है कि जिस भाषा में फिल्म बनायी गई हो, उस भाषा के हैशटैग का उपयोग हो: #silent #assamese #bengali आदि।

हैशटैग (#) के साथ अपने राज्य जहां आप रहते हैं, का उल्लेख अनिवार्य है: जैसे कि– #Andaman and NicobarIslands#Andhra Pradesh #Arunachal Pradesh #Assam आदि।

वीडियो www.youtube.com पर अपलोड किए जाएं और इसके लिए लिंक www.mygov.in पर शेयर किया जाए।

इसके अंतर्गत निम्नांकित श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। कृपया निम्न अनुसार अपनी श्रेणी हैशटैग (#) के साथ इंगित करें:

क. आयु (0–18 वर्ष), 18 वर्ष से कम

ख. आयु (18 और उससे अधिक), 18 वर्ष से अधिक

ऊपर इंगित 3 श्रेणियों में से प्रत्येक से राष्ट्रीय–स्तर पर तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा राज्य और जिला–स्तर पर भी पुरस्कार दिए जाएंगे।

अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2017, मध्यरात्रि है।

2) निबंध प्रतियोगिता

विषय– **मैं स्वच्छ भारत के लिए क्या करूंगी/करूंगा?**

फिल्म की तरह ही, यह आवश्यक है कि जिस भाषा में निबंध लिखा गया है उस भाषा के हैशटैग का उपयोग हो: जैसेकि– #assamese #bengali #bodo #dogri #english #gujarati #hindi आदि।

3) चित्रकला प्रतियोगिता – इसका विषय है : 'मेरे सपनों का स्वच्छ भारत' **यह प्रतियोगिता केवल 1–5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ही है।** इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने व और अधिक जानकारी के लिए mygov.in पोर्टल पर जाएं।

तीन श्रेष्ठ विजेताओं को राष्ट्रीय–स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार राज्य और जिला–स्तर पर भी दिए जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर) और दिव्यांगजन क्रमशः हैशटैग #senior और #differentlyabled का उपयोग करके अपनी प्रविष्टि भेजें। उन्हें राष्ट्रीय–स्तर पर विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2017 मध्यरात्रि है।

भारत छोड़ो आंदोलन का वर्तमान संदर्भ

–दीपांकर श्रीज्ञान

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए विदेश नीति के संदर्भ में जिस सीमा का निर्धारण किया आज भी सरकार उसी रास्ते पर चलकर अन्य देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रही है। आज भारत दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए दूसरे देशों के सम्मान की रक्षा का भी उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आज भी हमारे लिए प्रेरणास्रोत है।

'भारत छोड़ो' आंदोलन जिसे 'अगस्त क्रांति' भी कहा जाता है, इसने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन को नई दिशा दी। इस वर्ष हम भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह अवसर हमारे लिए नए संकल्प प्रस्तुत करता है। गांधीजी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस दृढ़ता से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, वह आज भी गौर करने लायक है। उस समय देश और विश्व की परिस्थितियां विपरीत थीं। पूरा विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध की चपेट में था, ऐसे अवसर पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और भारत के स्वतंत्र होने पर, नए राष्ट्र के सामने विदेश नीति जैसी चुनौती महत्वपूर्ण थी। दुनिया भर के देश दो ध्रुवों में बंटे थे। एक तरफ ब्रिटेन अपने हित के लिए भारत के संसाधनों का दोहन करना चाहता था। दूसरी तरफ, स्वतंत्रता संघर्ष की अगुआ संस्था कांग्रेस की अपनी कुछ मांगें थीं। गांधीजी क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे और उन्होंने क्रिप्स मिशन को सिरे से नकार दिया था; अतः संघर्ष स्वाभाविक था। इस आंदोलन में भारतीय जनता ने जिस अद्‌भुत साहस का परिचय दिया, वह अद्वितीय था। सरकार की दमनात्मक कार्यवाही भी उतनी ही क्रूरता भरी थी। लेकिन इस आंदोलन से कई बातें निकल कर सामने आई। गांधीजी जिस रास्ते पर चलकर यानी सत्य और अहिंसा का जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया था, उससे बिल्कुल भी नहीं डिगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना रही हो, इस दौरान न सिर्फ भारतीय राजनीति के संदर्भ में उनके बयान सधे हुए थे बल्कि विश्व राजनीति को उन्होंने अपनी कसौटी पर कसा। उन्होंने अन्य देशों से जो संबंध बनाने की इच्छा दिखाई, वह उनकी ही कसौटी पर परखी हुई थी। अगस्त क्रांति ने लगभग यह साफ कर दिया था कि विश्व राजनीति में भारत का रुख कैसा होगा।

'भारत छोड़ो' आंदोलन की भूमिका पहले से ही बनने लगी थी। गांधीजी धीरे–धीरे जनमानस को तैयार करने लगे थे। आज़ादी के इस संघर्ष में निर्णयात्मक लड़ाई के लिए जनमानस तैयार था। 17 जुलाई, 1942 को गांधीजी कहते हैं–''इसी बीच जनता को समझ लेना चाहिए कि 'भारत छोड़ो' की यह एक और वजह है और हमारी यह मांग दिखावटी नहीं है बल्कि जनता के दुखित हृदय की आवाज है।''

इस ऐतिहासिक आंदोलन में 'आज़ादी की मांग' राष्ट्रीय

आंदोलन की सर्वप्रमुख मांग बन गई। अब ब्रिटिश सरकार से सत्ता परिवर्तन के अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी थी। हालांकि इस आंदोलन में कई मोड़ और उतार–चढ़ाव भी आए। दरअसल 11 मार्च को चर्चिल ने घोषणा की कि स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत जाकर, भारतीय नेताओं के साथ, युद्ध मंत्रीपरिषद ने जिस योजना को मंजूरी दी थी, उस पर बात करेंगे। मिशन का प्रस्ताव था– 'भारत में स्वशासित सरकार की यथाशीघ्र स्थापना', 'युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान तैयार करने वाली संस्था का निर्माण' और 'जब तक युद्ध चल रहा है तब तक रक्षा विभाग ब्रिटेन के पास रखना'। गांधीजी ने क्रिप्स के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। ब्रिटेन चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनका साथ दे। जबकि गांधीजी का मानना था कि वे किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दरअसल गांधीजी ने विदेशी संबंध को कैसे कायम किया जाए, इसकी मिसाल हमारे सामने प्रस्तुत की है– गांधीजी ने जून 1942 को च्यांग काईशेक को लिखा– ''क्योंकि चीन के प्रति मेरा लगाव है तथा मेरी दिली इच्छा है कि हमारे दोनों देश अपने परस्पर फायदे के लिए एक–दूसरे के नजदीक आ जाएं। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंग्रेज सरकार के भारत से चले जाने का किसी भी तरह यह अर्थ न लगाएं कि ऐसा जापान के विरुद्ध भारत की सुरक्षा को कमजोर करने या आपको संघर्ष में, परेशानी में डालने के लिए किया जा रहा है। भारत को किसी आक्रांता के समक्ष समर्पण नहीं करना चाहिए तथा उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। आपके देश की आज़ादी की कीमत पर मैं अपने देश की आज़ादी खरीद सकता हूं, मुझे इसका अपराध बोध नहीं है। यह समस्या मेरे सामने नहीं है, क्योंकि इस बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि भारत इस तरह से आज़ादी प्राप्त करने के पक्ष में नहीं है और जापान का आधिपत्य, चाहे वह भारत पर हो या चीन पर हो, दोनों देश के लिए समान रूप से विश्व शांति के लिए विशेष रूप से घातक होगा। अतः उस आधिपत्य को रोका जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इसमें भारत अपनी स्वाभाविक एवं अधिकारपूर्ण सहभागिता करे।''

महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अपने द्वारा अहिंसा का जो पैरामीटर बनाया था उससे वह रत्तीभर भी नहीं हिलने वाले थे। गांधीजी के लिए साध्य और साधन का सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जहां भी भारतीय जनमानस ने उग्र या हिसांत्मक रूख अख्तियार किया, गांधीजी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसका ज्वलंत उदाहरण चोरा–चोरी है। गांधीजी किसी भी अन्य देश की सहायता नहीं लेना चाहते थे जो हिंसा के जरिए या सैन्यबल से हमारा सहयोग करे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी अन्य देश से सैन्य सहायता लेने में परहेज नहीं था। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी, इटली, या जापान आदि देशों से सैन्य सहायता लेकर भारत को आज़ाद कराने में कोई गुरेज नहीं था जबकि गांधीजी कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहे। विश्व–स्तर की कूटनीतिक चालों को गांधीजी बेहतर ढ़ंग से समझते थे। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक थी चाहे वो आज़ादी जैसी चीज़ ही क्यों न हो। जो देश दूसरे देश की भावना का सम्मान नहीं कर सकता उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। जुलाई 1947 में गांधीजी ने जापानियों को संबोधित करते हुए हरिजन में लिखा– मुझे प्रारंभ में ही यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरी आप लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, परंतु आप लोगों द्वारा चीन पर आक्रमण किया जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप सब अहंकार की ऊंचाई से साम्राज्यवादी आकांक्षाओं पर उतर आए हैं। आप यह समझने में असफल हैं कि आपकी महत्वकांक्षा आपको एशिया की सदस्यता से वंचित कर देगी। इस प्रकार अनजाने ही आप विश्वसंघ और विश्व भ्रातृत्व पर रोक लगा रहे हैं जिसके अभाव में विश्व मानवता के कल्याण की कोई आशा नहीं।'' गांधीजी के कूटनीतिक प्रयासों से ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने का दबाव बनाने में सफलता मिली। इसके परिणामस्वरूप ही अमेरिका ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने का दबाव डालने लगा था।

24 फरवरी, 1942 को कॉमन –सभा (महासभा) में भारत के संबंध में बड़ी दिलचस्प बहस हुई। कॉमन सभा में भारत के विषय में बोलते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा– ''अब मैं भारत के प्रश्न को उठाता हूं जिसके संबंध में सभा के सभी दलों के सदस्यों ने बेचैनी प्रकट की है। भारत में उपस्थित खतरों को देखते हुए अन्य लोगों की तरह सरकार भी उस देश की एकता और शक्ति एवं दृढ़ता के प्रश्न पर उतनी ही चिंतित है और वह पूर्ण रूप से अनुभव करती है कि इस देश का यह परम कर्तव्य है कि वह वर्तमान परिस्थितियों में उस एकता की प्राप्ति के लिए अपनी ओर से पूरी–पूरी कोशिश करे। परंतु मेरा विचार है कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस प्रकार आंशिक रूप में सोच–विचार नहीं करना चाहिए बल्कि सरकार को आशा है कि इस संबंध में वह जो फैसला करने वाली है, उसके आधार पर निकट भविष्य में इस समस्या पर आप लोगों को पूरी तरह से बहस करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।'' यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि ब्रिटिश सरकार इन बातों द्वारा भारत का ध्यान युद्ध–विषयक समस्याओं की ओर से हटाकर राजनीतिक प्रश्नों की ओर अधिक लगा रही थी, जिनमें राजनीतिक बंदियों का प्रश्न प्रमुख था। सरकार साजिशन ध्यान भटकाने के काम में लगी हुई थी।

8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ''एक ऐसा समय आ सकता है, जब निर्देश जारी करना संभव न हो सके या निर्देश लोगों तक पहुंच ही न सके या कोई कांग्रेस समिति कार्य न कर

सके। अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक पुरुष और स्त्री को, जो इस आंदोलन में भाग ले रहा है, जारी किए गए निर्देशों की चौहदी में अपने का खुद ही फैसला करना होगा, हर भारतीय को जो आज़ादी चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील है, अपना मार्गदर्शक खुद बनना होगा।'' इस ऐतिहासिक आंदोलन की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि इसके द्वारा आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। सरकार से जो भी बात करनी थी, वह सत्ता हस्तांतरण की बात थी।

गांधीजी अनीति की राह पर चलने वाले समाज में नैतिक आदर्श के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि ''जब तक समाज में शक्ति का बंटवारा अनुचित अनुपात में रहेगा तब तक सामाजिक संघर्ष चलता रहेगा और समाज के सभी लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा।'' ब्रिटेन के द्वारा भारत के घरेलू मामले में दखल को बेवजह मानते हुए गांधीजी ने कहा– ''आखिर ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यह बात क्यों नहीं मान लेते कि यह भारत का घरेलू मामला है? वे भारत से एक बार हट जाएं, मैं वायदा करता हूं कि कांग्रेस लीग और देश के दूसरे सभी दल तब अनुभव करने लगेंगे कि सबका भला इसी में है कि हम सब आपस में मिल जाएं।'' गांधीजी का ऐसा मानना था कि ब्रिटेन के इस देश में बने रहने से जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलता है। और गांधीजी कदापि नहीं चाहते थे कि भारत किसी भी रूप में विश्व युद्ध में शामिल हो।

14 जुलाई, 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव पास हो जाने के बाद गांधीजी ने अपना भाषण दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप किसी के प्रति अपने मन में द्वेष और बैरभाव न रखें, सभी के प्रति दयालुतापूर्ण बर्ताव करें। हमेशा ईश्वर द्वारा प्रदर्शित सत्य मार्ग पर दृढ़ रहें। हमने जो काम करने का बीड़ा उठाया है, उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें, ताकि न केवल इस देश में अपितु समस्त विश्व में शाश्वत शांति और न्याय की स्थापना हो सके।'' आगे गांधीजी कहते हैं– 'मुझे अपने अंदर की आवाज को दबा देना होगा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही संसार से लोहा लेना पड़ेगा। वह मुझे यह भी कहती है कि 'जब तक तुममें निशंक होकर संसार का सामना करने की ताकत है, तब तक तुम सुरक्षित हो, भले ही दुनिया तुम्हें किसी और नजर से देखे। तुम उस दुनिया की परवाह न करो और केवल उस परमात्मा से डरते हुए अपना काम करते रहो, ।.... जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और न केवल हिंदुस्तान ही आज़ाद होगा, बल्कि समस्त संसार स्वतंत्रता की सांस ले रहा होगा।''

'भारत छोड़ो' आंदोलन एक निर्णायक लड़ाई थी, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। अंग्रेजों ने भारत पर अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए हर प्रकार का उपक्रम किया। एक ओर अंग्रेज जहां कुटिल चालों द्वारा भारतीय जनता का दमन करते, वहीं हिंसा और शक्ति के बल पर भारत पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते थे। श्री एडगर स्नों ने कहा– ''ऐसे विशाल देश में और ऐसे महान नेता के नेतृत्व में पिछले बीस वर्षों में यदि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई है तो इस पर हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परंतु वायसराय महोदय मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं। यह सत्य है कि गांधीजी के वचन सूत्रबद्ध होते हैं। उनके विचारों में जो पारस्परिक विरोध प्रतीत होता है उसे भारतीय जनता अपनी प्रेरणा–शक्ति से समझ लेती है, क्योंकि गांधीजी में आपको रहस्यवाद, अध्यात्मवाद और परंपरागत भावनाओं के साथ राजनीतिक यथार्थवाद का सुंदर सम्मिश्रण मिलेगा। वास्तव में उनके 'भारत छोड़ो' आंदोलन के सिद्धांत पर हमें इसी दृष्टिकोण से सोच–विचार करना चाहिए।

9 अगस्त, 1942 को सुबह गांधीजी को बिड़ला हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद आगा खां महल में बंद कर दिया गया। गांधीजी का राष्ट्र के लिए अंतिम निर्देश था– ''स्वतंत्रता के प्रत्येक अहिंसक आंदोलनकारी सिपाही को चाहिए कि वह एक कागज या कपड़े के टुकड़े पर 'करो या मरो' का नारा लिखकर अपने कपड़ों पर टांग ले जिससे कि यदि वह सत्याग्रह करने में मारा जाए तो उसे अहिंसा को न मान्यता देने वाले तत्वों के बीच से अपने इस चिह्न से पहचान लिया जाए।'' गांधीजी का राष्ट्रवासियों के नाम संदेश 'करो या मरो' का नारा जो उन्होंने दिया उससे यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि आज़ादी लेने के क्रम में प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। गांधीजी प्रणित स्वतंत्रता संघर्ष में हिंसा का कोई स्थान नहीं। गांधीजी ने कभी 'मारो' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यह गौर करने लायक बात है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज 'भारत छोड़ो' आंदोलन के 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम अपने अतीत की स्वर्णिम यादों को संजोते हुए, नए भारत के निर्माण का संकल्प करें। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सवा सौ करोड़ भारतवासी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'करेंगे और करके रहेंगे' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत नई ऊंचाईयों को छू रहा है। वह चाहे हमारे विदेशी संबंध हो या देश की प्रगति का सवाल हम बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, हम उस ओर बढ़ चले हैं।

'भारत छोड़ो' आंदोलन में गांधीजी और हमारे पुरखों ने जिस तरह संकल्प के साथ संघर्ष किया, वह आज भी अनुकरणीय है। आज हमारा देश उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह ऐसा अवसर है जब हम अपने पुरुखों के सपनों को साकार करने के लिए **'संकल्प से सिद्धि'** का मंत्र अपना रहे हैं। यह हमारे नए भारत का संकल्प है। आज हम 'Quit India मूवमेंट'

के अवसर पर 'न्यू इंडिया मूवमेंट' की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र ने जो लक्ष्य तय किया है–2017 से 2022 तक हम सर्वांगीण विकास को प्राप्त करेंगे। जिसमें स्वच्छ भारत, गरीबी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार से मुक्ति, आंतकवाद से मुक्ति, साम्प्रदायवाद से मुक्ति, जातिवाद से मुक्त भारत का संकल्प शामिल है। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ''भारत छोड़ो आंदोलन हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर है, महात्मा गांधी के 'करो या मरो' के आह्वान से प्रेरित होकर, हर हिन्दुस्तानी ने भारत माता को आज़ादी दिलाने का संकल्प लिया था। आज 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर हम उस जन आंदोलन में शामिल हर सेनानी को नमन करते हैं। **आइए, हम सब संकल्प लें और कंधे से कंधा मिलाकर नए भारत का निर्माण करें, जिस पर हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो।'' भावी पीढ़ी को हम ऐसा भारत दें जिसमें हर तरफ भाईचारा, प्रेम और सौहार्द हो।**

अहिंसा से निर्मित इस देश में आध्यात्म की क्षमता है जिससे हम न सिर्फ भारत को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को एकसूत्र में बांधकर मानवता की नई परिभाषा गढ़ेंगे। महात्मा गांधी के सपनों के भारत को साकार करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था– ''मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्त्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें ऊंच–नीच का कोई भेद न हो। जातियां मिलजुल कर रहती हों। ऐसे भारत में, अस्पृश्यता व शराब तथा नशीली चीजों के अनिष्टों के लिए, कोई स्थान न होगा। उसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। सारी दुनिया से हमारा संबंध शांति और भाईचारे का होगा। यह है मेरे सपनों का भारत।'' गांधीजी के सपनों के भारत को साकार करने के प्रति भारतीय जनमानस और सरकार कृत संकल्प है।

(लेखक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के निदेशक हैं।)
ई–मेल : divyagyan123@gmail.com

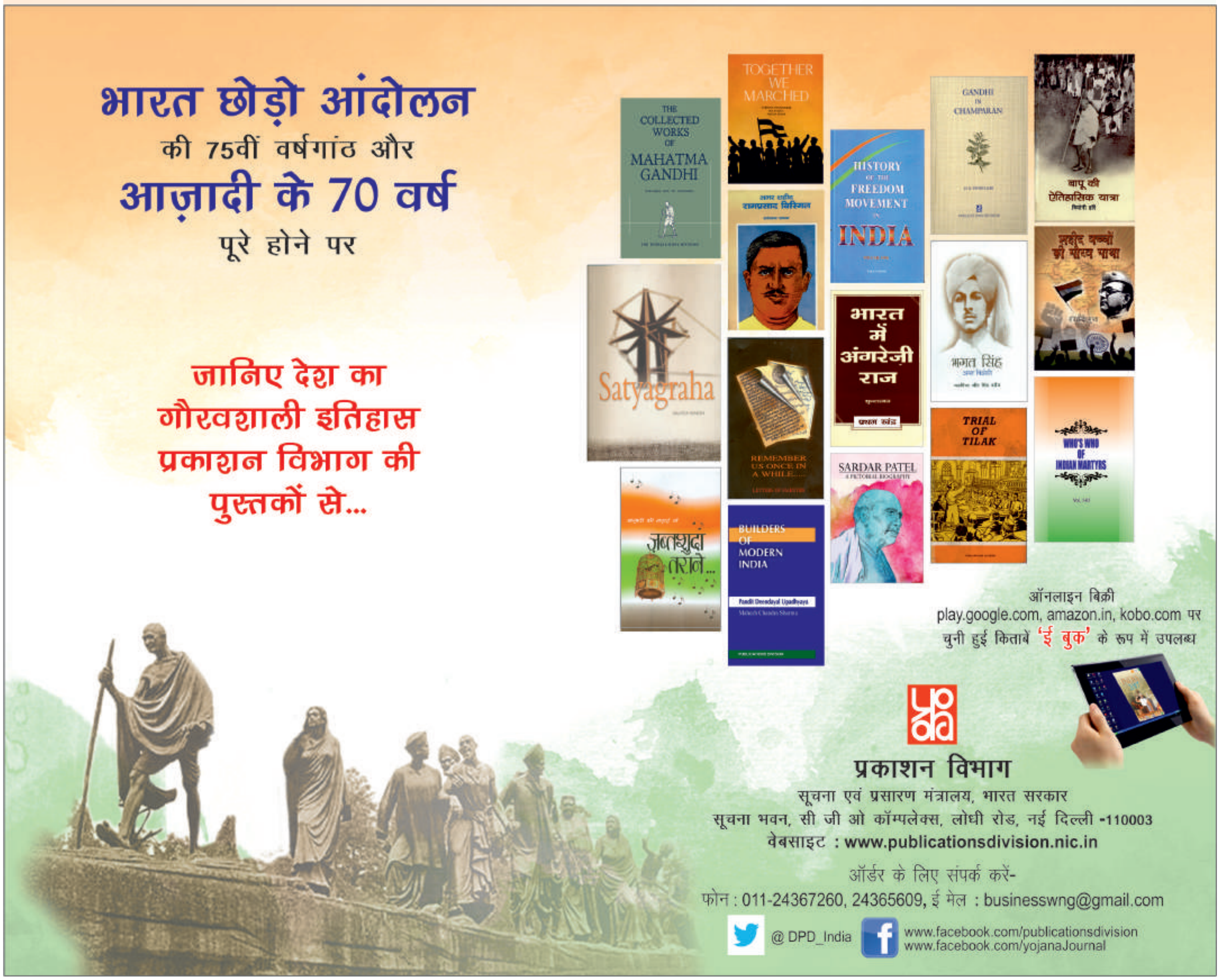

भारत छोड़ो आंदोलन इतिहास के झरोखे से

—श्री प्रकाश सिंह

अगस्त क्रांति देश की जनता की उस इच्छा और सपनों की अभिव्यक्ति थी जिसमें उसने यह ठान लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी लेकर रहेंगे। आज जब हम 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो इस विमर्श की आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों के आधार पर देश का निर्माण करें या सिर्फ अवसरों के रूप में इन्हें याद करके छोड़ दें।

भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में 9 अगस्त का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुम्बई के आगा खां भवन से इसी दिन महात्मा गांधी ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का प्रसिद्ध नारा देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के रूप में आज़ादी की अंतिम लड़ाई की घोषणा की थी तथा 'करो या मरो' का नारा दिया था। 1942 की अगस्त क्रांति सही अर्थों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति–संघर्ष की गाथा थी, जिसमें देश के प्रत्येक वर्ग, जाति तथा धर्म के लोगों ने अपनी एकता, देश के प्रति समर्पण तथा त्याग की भावना और बहादुरी का ऐसा परिचय दिया कि अंग्रेजी शासन में व्यापक–स्तर पर दहशत फैल गई थी। इसलिए 9 अगस्त 'क्रांति दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति देश की जनता की उस इच्छा और सपनों की अभिव्यक्ति थी जिसमें उसने यह ठान लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी ने इस अवसर पर कहा था कि 'मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूं—आज़ादी! आपको एक ही मंत्र देता हूं—करेंगे या मरेंगे। आज़ादी डरपोकों के लिए नहीं है। जिनमें कुछ कर गुजरने की ताकत है वही जिंदा रहते हैं।'

आंदोलन एवं नवाचार

'भारत छोड़ो' आंदोलन इस रूप में विशिष्ट है कि इसने समूचे राष्ट्र की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। इस आंदोलन की विशेषताएं इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाइयों तथा आंदोलनों से अलग करती हैं। यहां यह स्पष्ट कर दूं कि इसे नवाचार कहने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी अन्य आंदोलन को अच्छा अथवा बुरा कहना नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत को बताना भर है। जैसे दांडी यात्रा का अपना एक अलग चरित्र था, असहयोग आंदोलन की अपनी विशेषताएं थीं, उसी प्रकार 'भारत छोड़ो आंदोलन' की भी विशिष्टताएं हैं। उसी रूप में यह आंदोलन रचनात्मक और प्रेरणादायी है। यह आंदोलन इस मायने में सबसे खास था कि इसने देश के लोगों को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए स्वतः ही उद्वेलित कर दिया। जब 8 अगस्त को कांग्रेस ने अंग्रेज

भारत से जाएं, संबंधित प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने 'करो या मरो' का आह्वान किया, तो वास्तव में निर्णय ठीक उसी समय से वह आंदोलन शुरू करने का नहीं था, बल्कि इसके जरिए यह संदेश दिया जा रहा था कि हमें यह काम करना है। उस समय तो गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन को विधिवत शुरू करने में दो–तीन सप्ताह लगेंगे, क्योंकि मैं पहले वायसराय से बात करूंगा, जैसाकि मैं हमेशा कोई आंदोलन शुरू करने से पहले करता आया हूं। गांधी जी प्रायः ब्रिटिश सरकार को सूचित करते थे कि हम यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उस पर अंग्रेजों की सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा भी करते थे। 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पारित करते वक्त भी गांधी की यही भावना थी। परंतु 8 अगस्त की रात और 9 तारीख की सुबह ही स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय राष्ट्रीय नेतृत्व को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में गांधी जी और उनके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया, तो राज्य–स्तर पर भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जाहिर है, यह अचानक उठाया गया कदम नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही अपनी रणनीति बना रखी थी।

देश के लोग इतने बड़े पैमाने पर अपने नेताओं की गिरफ्तारी से हतप्रभ रह गए। गांधी जी ने हालांकि अहिंसक रूप से आंदोलन चलाने का आह्वान किया था लेकिन देशवासियों में अंग्रेजों को भगाने और स्वाधीनता प्राप्त करने का ऐसा उत्साह था कि जनता द्वारा इसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया सामने आई तथा 9 और 10 अगस्त को ही देश के कई इलाकों में बड़ी–बड़ी रैलियां शुरू हो गई, खासकर शहरों में लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उमड़ आए। पटना, दिल्ली, बंबई (अब मुंबई) में खासतौर से छात्र और नौजवान आंदोलन करने लगे। 9 अगस्त को ही कई जगहों पर गोलियां भी चलीं, जिसमें अनेक लोग मारे गए। किन्तु किसान, मजदूर, स्त्री, बच्चे सभी स्वाधीनता के सम्मोहन मे अपने दायित्व के निर्वहन मे लग गए। इस समय तक आंदोलन का विधिवत आह्वान नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी ने अभी तो यह तय ही नहीं किया था कि किस दिन से आंदोलन का आह्वान किया जाए। उन्होंने उस वक्त सिर्फ संकल्प लिया था कि हमें आंदोलन करना है। साथ ही यह भी संकल्प लिया था कि अब पीछे नहीं हटना है, यानी 'करो या मरो।'

जन नेतृत्व आंदोलन

राममनोहर लोहिया ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर ट्राटस्की के हवाले से लिखा था कि रूस की क्रांति में वहां की सिर्फ एक प्रतिशत जनता ने हिस्सा लिया था, जबकि भारत की अगस्त क्रांति में देश के युवा नेतृत्व सहित बीस प्रतिशत लोगों ने हिस्सेदारी की थी।

प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार यह जन सामान्य द्वारा किया गया जन–आंदोलन था, जिसे किसी विशेष व्यक्ति एवं संगठन ने नेतृत्व प्रदान नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 'यह किसी पार्टी या व्यक्ति का आंदोलन न होकर आम जनता का आंदोलन था। जिसका नेतृत्व आम जनता द्वारा ले लिया गया था। आमतौर पर जब किसी आंदोलन की रूपरेखा बनती है तो नेतृत्व अपने कैडर तैयार करता है, खास तिथि का निर्धारण करता है कि उक्त तिथि से सत्याग्रह शुरू होगा और अमुक–अमुक लोग अपनी क्रमवार गिरफ्तारियां देंगे। फिर हम स्कूल–कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे या विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, लेकिन अगस्त क्रांति में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। यकीनन कांग्रेस के भीतर आंदोलन की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसके नेताओं की अचानक गिरफ्तारी ने इसे तत्काल भड़का दिया। कांग्रेस की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगता है कि उसे मालूम था कि विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों से मोर्चा लेने जा रही है और इस पर ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिक्रिया काफी सख्त होगी। इसीलिए लोगों को क्या निर्देश देने हैं, यह भी सोच लिया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा भी था कि 'इच मैन विल बी ओन लीडर' यानी हर सेनानी अपना नेता खुद होगा। वह अपनी बुद्धि और विवेक से काम करेगा। चूंकि उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जा चुका है कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्देश का इंतजार नहीं करेगा। सही अर्थों में इस आंदोलन की यही खास विशेषता थी। पहले के आंदोलन में नेतृत्व को काफी वक्त मिल जाता था। अंग्रेज उन्हें तुरंत उठाकर जेल में नहीं डाल देते थे। पूर्व के आंदोलनों में सरदार पटेल और उनके जैसे अन्य बड़े राष्ट्रीय नेताओं को भी पर्याप्त समय मिला करता था, जिससे वे आंदोलन की दशा–दिशा तय कर पाते थे। मगर अगस्त क्रांति में इन सभी नेताओं की गिरफ्तारी ने हर एक सेनानी को अपना नेता बना दिया था। इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों जैसे थानों, स्टेशनों इत्यादि पर कब्जा करना शुरू किया, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता स्वाधीनता की सिद्धि हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु प्रस्तुत होने लगे, बड़े पैमाने पर इन कार्यकर्ताओं और ग्रामीण नौजवानों ने इस आंदोलन को स्थानीय–स्तर पर हर एक गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। परिणामस्वरूप, प्रतिक्रिया का स्वर ऊपर से लेकर सबसे निचले स्तर तक बिलकुल स्पष्ट सुनाई देना शुरू हो गया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद करने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्त्व बाद में राष्ट्रवादी सोच रखने वाले तमाम युवाओं ने करना शुरू किया। 'भारत छोड़ो' आंदोलन सही मायने में एक जनांदोलन था जिसमें लाखों आम भारतीय शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का युवा नेतृत्व अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय था, लेकिन उसे भूमिगत रहकर काम करना पड़ रहा था। इस दौरान जयप्रकाश नारायण ,राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव ने क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करने, उनकी हौंसला अफजाई

करने का काम किया। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का चरित्र और तरीका स्पष्ट करने वाले 'आज़ादी के सैनिकों के नाम' दो लंबे पत्र अज्ञात स्थानों से लिखे। यह ध्यान देने की बात है कि गांधी जी ने आंदोलन को समावेशी बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में दिए अपने भाषण में समाज के सभी तबकों को संबोधित किया था– जनता, पत्रकार, नरेश, सरकारी अमला, सैनिक, विद्यार्थी इत्यादि यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजों, यूरोपीय देशों और मित्र राष्ट्रों को भी अपने उस भाषण के जरिए संबोधित किया था। सभी तबकों और समूहों से देश की आज़ादी के लिए 'करो या मरो' के उनके व्यापक आह्वान का आधार उनका पिछले 25 सालों के संघर्ष का अनुभव था। 'भारत छोड़ो' आंदोलन के जो भी घटनाक्रम, प्रभाव और विवाद रहे हों, मूल बात थी भारत की जनता में लंबे समय से पल रही स्वाधीनता की इच्छा का विस्फोट। इस आंदोलन के दबाव में भारत के आधुनिकतावादी मध्यमवर्ग से लेकर सामंती नरेशों तक को यह लग गया था कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। स्वयं अंग्रेजों को भी इस बात का अनुभव होने लगा था कि भारत को बहुत दिनों तक गुलाम बनाकर रखना संभव नहीं होगा। इसलिए एक तरफ यह वर्ग स्वाधीनता के संघर्ष में बढ़–चढ़कर शामिल हुआ वहीं दूसरी तरफ अपने वर्ग–स्वार्थ को बचाने और मजबूत करने की फिक्र में भी लगा रहा। इसलिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी प्रशासन का पारंपरिक स्वरूप और उसे चलाने वाली भाषा अंग्रेजों की बनी रही, साथ ही विकास का मॉडल भी वही रहा। 1857 के बाद अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक सशक्त रूप से व्यापक दमनचक्र इसी आंदोलन के दौरान चलाया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 घायल हुए, 18 हजार नजरबंद और 60 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे।

वर्तमान राजनीति एवं अगस्त क्रांति

लोकसभा ने 09 अगस्त, 2017 को अगस्त क्रांति की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्ष 2022 तक एक समावेशी और समृद्ध भारत बनाने का प्रस्ताव पारित किया, जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद एक खास चर्चा में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, "आज, भारत छोड़ो आंदोलन के 75वें वर्ष में हम एक शक्तिशाली, समृद्ध, स्वच्छ, गौरवशाली भारत बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, अच्छा प्रशासन हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत हो और सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो।" उन्होंने कहा, "हम एक ऐसा देश बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जहां भाईचारा और राष्ट्रवाद हो और वह लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हो।' उन्होंने हिंदी में लिखा प्रस्ताव पढ़ा,' **125 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधियों ने प्रतिज्ञा की है कि हम लोगों को एक–साथ लाएंगे और अगले पांच सालों तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हम भारत को महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के सपने जैसा बनाएंगे।'** यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से वर्ष 2022 तक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेने और उसे सिद्ध करने का आह्वान करते हुए देश को जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, गंदगी, अशिक्षा, कुपोषण आदि समस्याओं से मुक्त करने के लिए मुहिम छेड़ने की जरूरत जताई और **'संकल्प से सिद्धि'** तक की इस यात्रा को वर्तमान राजनीति की अनिवार्य जिम्मेदारी से जोड़ा। यदि भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में आयोजित विशेष आयोजन में राजनीतिक दलों की ओर से देश को अगले पांच सालों में आगे ले जाने का संकल्प लेते समय दलगत राजनीति को पूरी तौर पर परे रख दिया जाता तो शायद जनता के बीच कहीं अच्छा संदेश जाता। आखिर यही तो वे चंद अवसर होते हैं जब राजनीतिक नेतृत्व आम जनता को प्रेरित करने का काम कहीं आसानी से कर सकता है।

निष्कर्ष

आज जब हम 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो इस विमर्श की आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों के आधार पर देश का निर्माण करें या सिर्फ अवसरों के रूप में इन्हें याद करके छोड़ दें। आज हम आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहे है। 25 वर्ष बाद शताब्दी मनाएंगे, किन्तु उद्देश्य पूर्ति करने को लेकर हम ईमानदार रहे हैं क्या? हमने उस चेतना को ग्रहण करने की व्यावहारिक रणनीति तैयार की है क्या,या स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा–प्रतीकों, प्रसंगों और विभूतियों का उत्सव मनाकर उनके सारतत्त्व को खत्म कर देना चाहते हैं। ये अहम सवाल हैं, जिसके बारे में आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे प्रत्येक नागरिकों के साथ सत्तारूढ़ और उच्च पद पर आसीन लोगों को भी सोचना चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : spsinghdu@gmail.com

समस्त वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए वेबसाइट लांच

देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के समस्त वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल 15 अगस्त, 2017 को लांच किया गया। इस पोर्टल का डोमेन नेम http://gallantryawards.gov.in है। इस वेबसाइट में चक्र शृंखला के पुरस्कार विजेताओं का विवरण दिया गया है। इनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं के नाम इत्यादि शामिल हैं। इस पोर्टल में अब तक के समस्त वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम, यूनिट, वर्ष, प्रशस्ति–पत्र एवं फोटो जैसी आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने इसमें बेहतरी के लिए सुझाव अथवा फीडबैक आमंत्रित किए हैं।

एक नए भारत के निर्माण का आह्वान

–पवन कुमार शर्मा

प्रधानमंत्री का यह नारा इसी सोच की प्रतिध्वनि है जिसमें संकल्प और सिद्धि दोनों आध्यात्मिक तत्व भारत की भावभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और एकात्म संकल्पना के आधार पर संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत करते हैं और यह कार्य बिना विराट को जाग्रत किए नहीं हो सकता। 'संकल्प से सिद्धि : एक नए भारत का निर्माण' इसी विराट को जाग्रत करने का एक सांस्कृतिक अधिष्ठान है।

भारतीय परंपरा में **'संकल्प'** का बहुत महत्व है। तभी तो किसी कार्य को करने के पूर्व संकल्प व्यक्त किया जाता है। संकल्प शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की सम धातु में कृत+घञ के संयोग से हुई है। जिसका अर्थ होता है– इच्छाशक्ति, कामना शक्ति, मानसिक दृढ़ता। यानी संकल्प वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी इच्छा–शक्ति दृढ़ हो तथा जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी कामना शक्ति का भरपूर उपयोग कर सकता हो; साथ ही मार्ग में आने वाली समस्याओं का सामना अपने संकल्प पूर्ति तथा पूर्ण मानसिक दृढ़ता के साथ कर सके। अब प्रश्न उठता है कि किसी मनुष्य में इतनी विशेषताएं क्यों कर समाविष्ट होंगी? तो, ध्यान में आता है, कि तभी तो भारत में कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संकल्प लेने या करने का विधान है।

जब यजमान अपने संकल्प में अपने संपूर्णकाल, अतीत, पूर्वज, सृष्टि के सृजक और भूगोल, खगोल, सबको साक्षी मानकर कोई भी कार्य करने की इच्छा का संकल्प लेता है तो उस कार्य में वे सब भी उसके न केवल सहयोगी बन जाते हैं बल्कि कार्य की सिद्धि और असिद्धि में भी सबकी प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। फिर यह कार्य किसी व्यक्ति का न होकर संपूर्ण समष्टि का कार्य होता है। क्योंकि हमने अपने संकल्प में जिनका उल्लेख किया है वे तो हमारे सहयोगी होते ही हैं बल्कि उनके साथ संपूर्ण सृष्टि की जड़ और चेतन शक्तियां भी हमारे साथ संबद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार यह संकल्प व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो जाता है। भारतीय संकल्प परंपरा का यह वैशिष्ट्य है कि यह व्यक्त तो व्यक्तिगत होता है किन्तु इसका निहितार्थ समष्टिगत होता है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब 'भारत छोड़ो आंदोलन' के आरंभ के दिन (9 अगस्त को) उसके 75वें वर्ष में जब यह उद्घोषणा करते हैं कि आज हम 'भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस (9 अगस्त) को **'संकल्प पर्व'** के रूप में मनाएंगे तो उसका कुछ अर्थ होता है। और जब वे इस **संकल्प को सिद्धि** से जोड़ते हैं तो उसके महात्म्य की व्यापकता और बढ़ जाती है। जब वे **'संकल्प से सिद्धि : एक नए भारत का निर्माण'** का स्वप्न भारतीयों के सम्मुख रखते हैं तो वे अपने

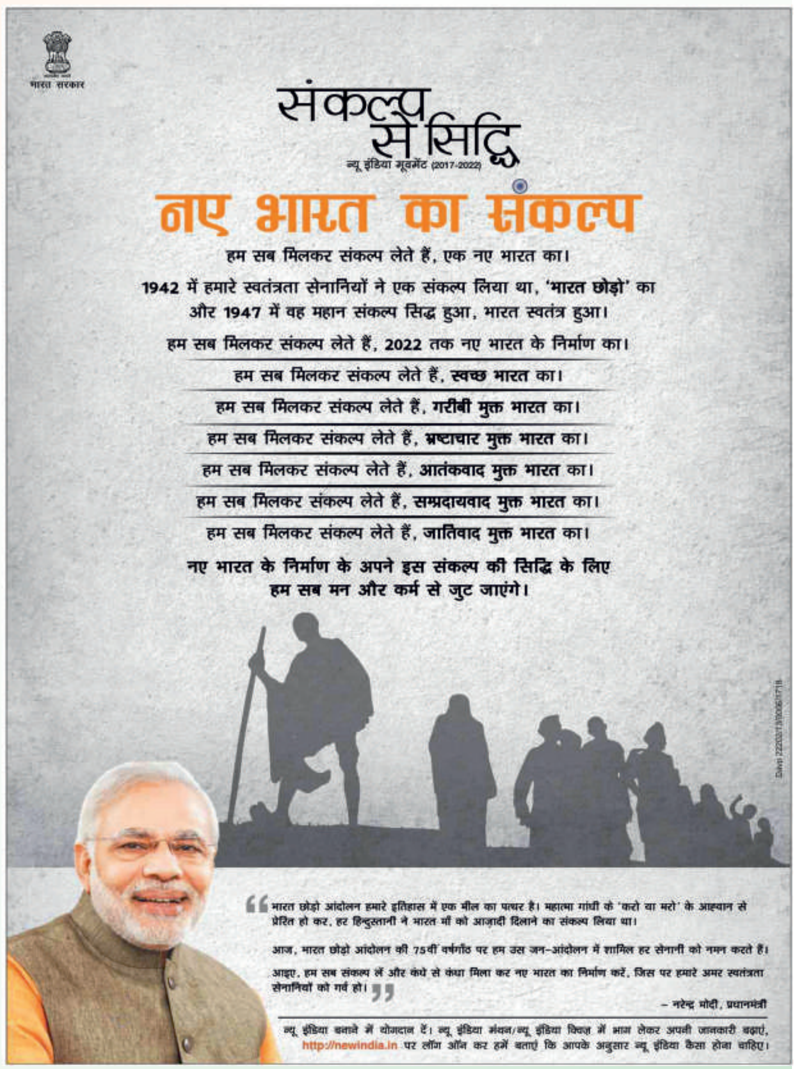

संकल्प को, जोकि व्यक्तिगत है, को भारत की 128 करोड़ (लगभग) जनसंख्या और उसकी श्रेष्ठ परंपरा के साथ जोड़कर **'व्यष्टि से परमेष्टी'** तक की कुण्डलीय रचना का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से वे एक ऐसी एकात्म संकल्पना को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं जिसमें भारत का प्रत्येक जड़ और चेतन तत्व जुड़ा हुआ है। **संकल्प से सिद्धि** अभियान न केवल समस्त भारतवासियों को इसके साथ जोड़ता है बल्कि वे सब भी इसका अंग हो जाते हैं जिनका किसी भी प्रकार से भारत के साथ संबंध है। (भारत से बाहर रहने वाले भारतीय भी) इस प्रकार से एक वृहत्तर भारत इस प्रक्रिया का अंग बन जाता है। जब किसी आंदोलन के साथ करोड़ों की संख्या में प्राणियों की सद्भावनाएं जुड़ जाती हैं तो निश्चित ही वह अभियान सफलता को प्राप्त होता हैं, इसमें संदेह नहीं है।

इस अभियान में दो शब्दों का समुच्चय है। एक है संकल्प, जिसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमने समझने की कोशिश की है। दूसरा शब्द है, सिद्धि। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की सिध् धातु में क्तिन प्रत्यय के संयोग से होती है, जिसका अर्थ होता है निष्पन्नता पूर्णता, संपूर्ति आदि–आदि। यूं तो सिद्धियां हजारों प्रकार की होती हैं। सिद्धियों का संबंध गुणों के साथ होता है, जैसे सतोगुणी सिद्धि, रजोगुणी सिद्धि तथा तमोगुणी सिद्धि। इनमें तमोगुणी सिद्धि (प्राणियों को दुख प्रदायक) सबसे शीघ्र प्राप्त होती है। रजोगुण सिद्धि (स्वयं के लाभ के लिए) को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जाता है। सतोगुणी सिद्धि (प्राणिमात्र के कल्याण वाली) को ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी के लिए लिखा है कि "यह गुण साधन से न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई"।

इस प्रकार से जब हम इस अभियान को व्यष्टि से समिष्ट से जुड़ा हुआ पाते हैं वैसे ही न केवल संपूर्ण समाज बल्कि सभी प्राणियों में भ्रातृभाव की स्थापना हो जाती है। और जैसे ही भ्रातृभाव स्थापित होता है वैसे ही **'वसुधैव कुटुम्बकम'** के भाव के आधार पर अन्य प्राणियों का सुख–दुख अपना–सा लगने लगता है। फिर अन्य के जीवन में गंदगी का प्राधान्य स्वयं के जीवन–सा लगता है। इसी भाव के वशीभूत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2015 में **'स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत'** अभियान का न केवल नारा दिया बल्कि सबको उसमें सहभागी भी बनाया। गांधीजी के आदर्शों को उसमें समाविष्ट करके उनके 150वें वर्ष तक भारत को गंदगीमुक्त करने का संकल्प किया।

धर्म के 10 गुणों में से एक गुण 'शौच' है जोकि साफ–सफाई का ही परिणाम है। अतः इस प्रकार से सिद्धि की जो आठ अवस्थाएं हैं उनमें अधिकांश 'गंदगी भारत छोड़ो' के परिप्रेक्ष्य में कार्य करती प्रतीत होती हैं। भारतीय परंपरा में गंदगी को गरीबी का कारण माना जाता है। जैसे ही गंदगी दूर होती है वैसे ही दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इस प्रकार से संकल्प मात्र से ही गंदगी और दारिद्रता को सहजता से दूर किया जा सकता है। दारिद्रय भ्रष्टाचार का मुख्य कारण होता है।

दारिद्रय के दूर होने से व्यक्ति अपने देश, समाज एवं अन्य व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में सोचना प्रारंभ कर देता है। इस दृष्टिकोण से भारत की विकराल समस्याओं में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता सबसे आगे हैं। **स्वच्छ और समृद्ध समाज सर्वप्रथम अपने देश को श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठापित करने के विषय में सोचता है।** संकल्प में जिस प्रकार वह संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्म स्थापित करता है तो ऐसे में वह सभी प्राणियों में समत्व देखने लगता है। जब उसके लिए सभी समान और अपने हो जाते हैं तो वह सदाचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। जब सभी में एक ईश्वर है तो फिर वह मत–पंथ–संप्रदायों के आधार पर समाज को विभाजित करके देखने की मनोवृत्ति को त्याग देता है। यही संकल्प की परम सिद्धि है। सिद्धि के जो आठ स्वरूप हैं, वे भी प्रकारान्तर से इसी ओर इंगित करते हैं।

जाति किसी समय भारत का गौरव हुआ करती थी। जाति वस्तुतः कौशल आधारित समाज की प्रतिनिधि संस्था थी। इसी के बल पर भारत 'सोने की चिड़िया' बना था। वस्तुतः यह विशेषीकरण का आधार थी किन्तु कालांतर में इसने विकृत रूप ग्रहण कर लिया। साथ ही आधुनिक समाज के ढांचे के चलते जातियों के स्वरूप भी बनने–बिगड़ने लगे किन्तु सामाजिक संरचना प्राचीन ही बनी रही; जिसके चलते समाज में विसंगतियों ने जन्म ले लिया। इसलिए जातीय व्यवस्था के पुराने स्वरूप को अद्यतन करने की आवश्यकता है तथा विकृत स्वरूप को जाना ही चाहिए।

इस प्रकार से **गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद इन सबका समकालीन समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।** संकल्प की अवधारणा में भी इनको प्रश्रय नहीं है और सिद्धियों को जो स्वरूप हमने दिया है वे भी इन विकृतियों से अछूती हैं। इस प्रकार से **'संकल्प से सिद्धि' की प्राप्ति में विकृतियों के स्थान पर संस्कृति की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए।** चूंकि संस्कृति, समाज को गतिशील बनाए रखती है।

यह भी एक संयोग ही है कि अभी हाल में ही भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का 125वां जयंती वर्ष संपन्न हुआ है और पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन दोनों महामानवों ने समाज के समग्र जागरण को ही स्वयं के जीवन का ध्येय बनाया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जब संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति का आह्वान करते हैं तो यह भारत के विराट को जगाना ही है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचारों में अनेक स्थानों पर उदघृत किया है। **बिना विराट के जागरण के भारत का नवनिर्माण संभव नही।** मैं यहां पर उपाध्याय जी के विचारों को उद्धरित करना समीचीन समझता हूं। क्योंकि बिना इसको समझे प्रधानमंत्री जी की भावना से परिचित नहीं हो सकते हैं।

उपाध्याय जी लिखते हैं कि ''समयाभाव के कारण जैसे मैंने अर्थव्यवस्था के संस्थागत पहलुओं की चर्चा नहीं की। किन्तु यह स्पष्ट है कि अनेक पुरानी संस्थाएं बंद होंगी और नई जन्म लेंगी। इस परिवर्तन के कारण जिनका पुरानी संस्थाओं में निहित स्वार्थ हैं, उन्हें धक्का लगेगा। कुछ लोग जो प्रकृति से ही अपरिवर्तनवादी हैं, उन्हें भी सुधार और सृजन के इन प्रयत्नों में कुछ कष्ट होगा किन्तु बिना औषधि के रोग ठीक नहीं होता और व्यायाम के कष्ट उठाए बिना बल भी नहीं आता। अतः हमें यथास्थिति का मोह त्यागकर नवनिर्माण करना होगा। हमारी रचना में प्राचीन के प्रति अश्रद्धा एवं अवज्ञा का भाव अवश्य ही नहीं होना चाहिए. किन्तु उससे चिपटे रहने की भी आवश्यकता नहीं। परिवर्तन की दिशा कौन–सी होगी। इसका हमने ऊपर विचार किया है।'' (एकात्म मानव दर्शन पृष्ठ–82–83)

प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि के नारे का यही हेतु है कि हम जड़ता को त्यागें और विराट को जाग्रत कर भारत का नवनिर्माण करें। विराट को जाग्रत करने के विषय में उपाध्याय जी लिखते हैं कि ''जैसे राष्ट्र का आधार चित है, वैसे ही जिस शक्ति से राष्ट्र की धारणा होती है उसे 'विराट' कहते हैं। 'विराट' राष्ट्र की वह कर्म शक्ति है जो चित से जाग्रत एवं संगठित होती है। विराट का राष्ट्र जीवन में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का है। प्राण से ही सभी इन्द्रियों को शक्ति मिलती है, बुद्धि को चैतन्य प्राप्त होता है और आत्मा शरीरस्थ रहता है। राष्ट्र में भी विराट के सबल होने पर ही उसके भिन्न–भिन्न अवयव अर्थात संस्थाएं सक्षम और समर्थ होती हैं। अन्यथा संस्थागत व्यवस्था केवल दिखावा मात्र रह जाती है। विराट के आधार पर ही प्रजातंत्र सफल होता है और राज्य बलशाली बनता है। इसी अवस्था से राष्ट्र की विविधता उसकी एकता के लिए बाधक नहीं होती। भाषा, व्यवसाय आदि भेद तो सभी जगह होते हैं किन्तु जहां विराट जाग्रत रहता है वहां संघर्ष नहीं होते। सब लोग शरीर के भिन्न–भिन्न अवयवों की भांति या कुटुम्ब के घटकों के समान परस्पर पूरकता से काम करते रहते हैं। हमने अपने राष्ट्र के विराट को जागृत करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुट जाएं। हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमरीका की तस्वीर'' (एकात्म मानव दर्शन पृष्ठ–84–85)

प्रधानमंत्री का यह नारा इसी सोच की प्रति ध्वनि है जिसमें संकल्प और सिद्धि दोनों अध्यात्मिक तत्व भारत की भावभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और एकात्म संकल्पना के आधार पर संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत करते हैं और यह कार्य बिना विराट को जाग्रत किए नहीं हो सकता। 'संकल्प से सिद्धि : एक नए भारत का निर्माण' इसी विराट को जाग्रत करने का एक सांस्कृतिक अधिष्ठान है।

(लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल में समाज विज्ञान एवं शिक्षा संकाय में अधिष्ठाता है और राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष हैं।)

ई–मेल : pawan_sharma1967@yahoo.co.in

आगामी अंक

अक्तूबर, (विशेषांक) 2017 – सिंचाई और जल संरक्षण

एक पोर्टल, जहां आप कर सकते हैं नए भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा

माननीय प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई, 2017 की अपनी मन की बात में **संकल्प से सिद्धि** की बात की थी। 1942 में देश की भावना से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने 1942 में (भारत छोड़ो आंदोलन) भारत को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था और उन्होंने पांच वर्ष बाद 1947 में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से भारत को गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता से भी उसी प्रकार मुक्त कराने का संकल्प लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 2017 (भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ) में सभी नागरिकों को नया भारत बनाने का प्रण लेना चाहिए और अगले पांच वर्ष में यानी 2022 (आजादी की 75वीं वर्षगांठ) तक उसे हासिल कर लेना चाहिए। 'संकल्प से सिद्धि' को जनांदोलन बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। कोई भी नागरिक उस पोर्टल पर जा सकता है और नए भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा ले सकता है। कृपया पोर्टल **www.newindia.in** पर जाएं।

'राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषण' पुस्तक का लोकार्पण

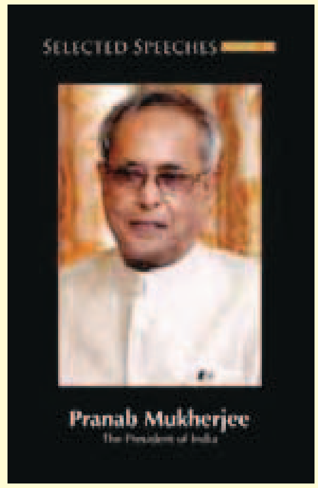

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जुलाई, 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के विदाई समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चुनिंदा भाषणों के चौथे खंड का विमोचन किया। तत्पश्चात् उन्होंने पुस्तक की पहली प्रति श्री मुखर्जी को भेंट की। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद (जो तब राष्ट्रपति–निर्वाचित थे) भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

'राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषण' (खंड–IV) राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अपने कार्यकाल के चौथे और पांचवे वर्ष के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन के चार भागों की श्रृंखला का आखिरी खंड है। पहले तीन खंडों में राष्ट्रपति मुखर्जी के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा दिए गए चुनिंदा भाषण संकलित हैं। इस खंड में शामिल भाषण तीन वर्गों में हैं: (i) राष्ट्र, संसद, संवैधानिक निकाय और सशस्त्र बल; (ii) महत्वपूर्ण दिन और कार्यक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्ति और अवसर; (iii) प्रीतिभोज, भाषण और विदेशी दौरे (iv) पुरस्कार समारोह, और (v) शिक्षा और सम्मेलन। राष्ट्रपति के भाषणों के चारों खंड प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए हैं।

राष्ट्रपति भवन श्रृंखला

पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रपति के कार्यों के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें जारी की हैं जिनमें राष्ट्रीय संस्था के रूप में राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत दर्ज है तथा यह पाठकों को राष्ट्रपति भवन के रहस्य वातावरण की झलक दिखाती हैं।

ये पुस्तकें बहुमूल्य धरोहर हैं जो दुर्लभ तस्वीरों से भरी हुई हैं तथा ये संकलनकर्ताओं द्वारा संभाल कर रखी जाने वाली चीज हैं जो वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहेंगे। अब तक राष्ट्रपति भवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सत्रह शीर्षक जारी किए जा चुके हैं जिनमें राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों के चार खंड भी शामिल हैं।

राष्ट्रपति भवन श्रृंखला ने प्रकाशन विभाग की क्षमता को बढ़ाया है तथा इस मीडिया इकाई का दर्जा ऊंचा किया है। सभी बाधाओं के बावजूद गुणवत्ता के ऊंचे मानदंडों को बनाए रखते हुए इन खंडों को समय पर प्रकाशित करने के प्रयासों की राष्ट्रपति भवन द्वारा सराहना की गई है। इन पुस्तकों के विमोचन समारोहों के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों ने प्रकाशन विभाग के कार्यों की सराहना की।

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस. दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17
1 सितंबर 2017 को प्रकाशित एवं 5-6 सितंबर 2017 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

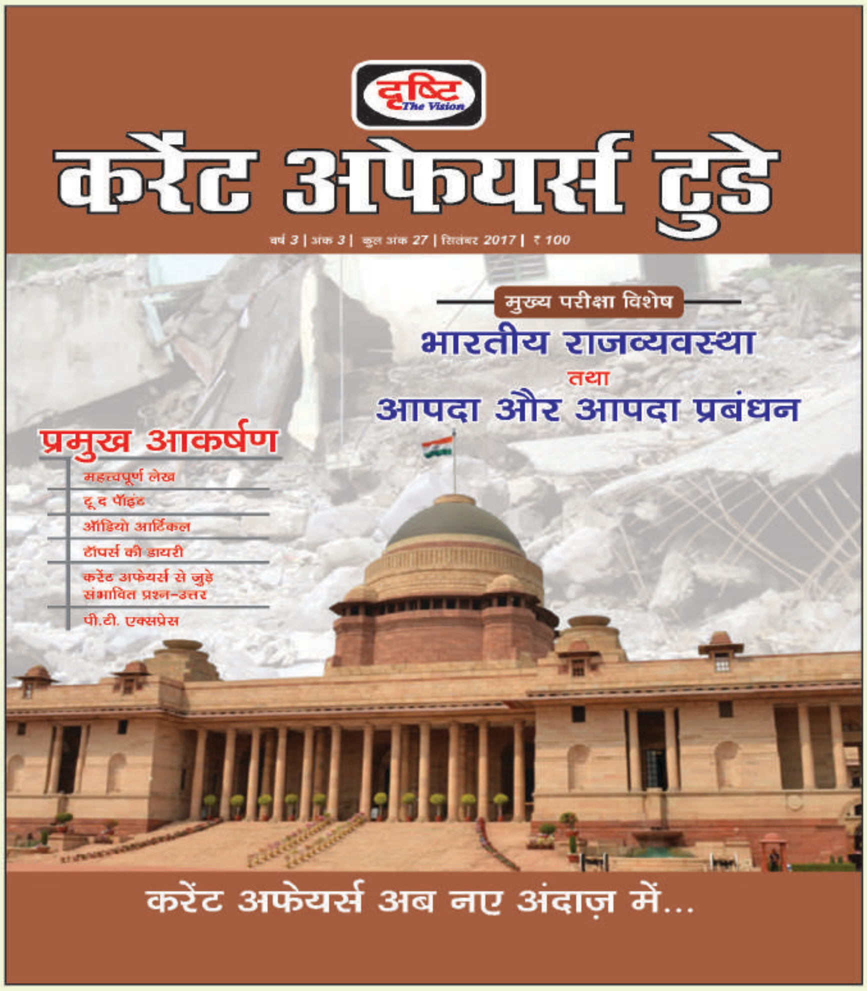

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, संपादक: ललिता खुराना